धारा 370 एवं 35A
की समाप्ति एवं
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन पर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को संदेश

जम्मू-कश्मीर संवैधानिक संकल्प एवं
पुनर्गठन विधेयक पर संसद में

गृहमंत्री श्री अमित शाह का वक्तव्य

कमल संदेश

राष्ट्रीय अखंडता विशेषांक

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अनुच्छेद 370 और -35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। अब व्यवस्था की यह कमी दूर होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा।

कमल संदेश

राष्ट्रीय अखंडता विशेषांक

धारा 370 एवं 35A की समाप्ति एवं
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन पर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को संदेश

एवं

जम्मू-कश्मीर संवैधानिक संकल्प एवं
पुनर्गठन विधेयक पर संसद में

गृहमंत्री श्री अमित शाह का वक्तव्य

प्रस्तावना

श्री जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा

सितम्बर, 2019

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास
पी.पी.- 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली - 110003

प्रकाशकीय

जम्मू–कश्मीर का विषय लंबे समय से पूरे देश पर छाया रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 370 इस प्रदेश की सारी समस्याओं के मूल में रहा है। परंतु यह देश का दुर्भाग्य रहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के निरंतर प्रोपगेंडा के कारण इस पर बहस भी करना मुश्किल हो गया था। यह विडंबना ही थी कि संविधान में इसे अस्थाई प्रावधान के रूप में शामिल किए जाने के बाद भी कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल इसे स्थायी मान कर चलते रहे हैं। यह एक भयंकर भूल थी जिसके कारण घाटी के एक वर्ग में अलगाववादी मानसिकता पनपाई गई तथा युवाओं को पाक प्रायोजित आतंकी संगठनों द्वारा दिग्भ्रमित कर आतंकी–अलगाववादी गतिविधियों की ओर धकेला गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह इस राज्य का शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। इसकी कीमत देश को अपने वीर जवानों के बलिदान से दशकों तक चुकानी पड़ी है। साथ ही, धारा 370 से राज्य की जनता को भी कोई लाभ नहीं मिल पाया और वह विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ती गयी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि आज धारा 370 निरस्त तथा जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन से देश में एक काले अध्याय का अंत हुआ। पूरा देश इस निर्णय के साथ एकजुट खड़ा है तथा देश के कोने–कोने में लोग उत्सव मना रहे हैं।

जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक बड़ा निर्णय लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इतिहास रच दिया। मोदी सरकार द्वारा धारा 370 के निरस्तीकरण एवं जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के निर्णय को संसद के दोनों सदनों में जिस प्रखरता एवं तार्किक आधार पर गृहमंत्री श्री अमित शाह ने पारित करवाया, उसे निश्चय रूप से लंबे समय तक देश याद रखेगा। यह निर्णय डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ–भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं के संघर्ष, लाखों–करोड़ों देशवासियों के अरमानों एवं असंख्य वीर सैनिकों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश एवं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा संसद में संकल्प एवं विधेयक प्रस्तुत एवं पारित तथा राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के समय उनके वक्तव्यों का संपादित पाठ अपने सुधी पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रकाशक

कमल संदेश

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास

पी.पी.- 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली - 110003

सितम्बर, 2019

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना 6

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत 8

जम्मू-कश्मीर पर संवैधानिक संकल्प एवं पुनर्गठन विधेयक पर मा. गृहमंत्री का वक्तव्य

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संकल्प एवं विधेयक प्रस्तुति वक्तव्य (6 अगस्त, 2019) 14

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संकल्प एवं विधेयक पर चर्चा का उत्तर (6 अगस्त 2019) 21

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संकल्प एवं विधेयक प्रस्तुति वक्तव्य एवं चर्चा का उत्तर (5 अगस्त 2019) 36

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मा. गृहमंत्री का वक्तव्य

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पर वक्तव्य (28 जून, 2019) 48

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पर वक्तव्य (1 जुलाई, 2019) 61

प्रस्तावना

अस्थिरता और विभाजन को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद-370 एवं 35(ए) के अंत के साथ भारत को एकजुट और एकीकृत देखने का डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे हमारे महापुरुषों का सपना आखिरकार साकार हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश की आम जनभावना अनुच्छेद-370 एवं 35(ए) को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस विषय पर आंदोलन कर एक लंबे समय तक स्वयं को तपाया और लगाया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर विषय पर 'एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान - नहीं चलेगा, नहीं चलेगा' का नारा दिया तथा इसके लिये संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अनुच्छेद-370 एवं 35(ए) को हटाना एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाला ऐतिहासिक कदम है, इसने भारत को एकता के सूत्र में बांधा है तथा यह कदम लोकतांत्रिक राजनीति की एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ायेगा जिसमें सभी नागरिकों के लिए विकास, न्यायप्राप्ति और गरिमापूर्ण जीवन जीने के समान अवसर उपलब्ध होंगे।

इस ऐतिहासिक निर्णय को अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों से भी समर्थन एवं सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अनुच्छेद-370 एवं 35(ए) को हटाने और क्षेत्र में समृद्धि, शांति, स्थिरता और आशा के युग की शुरुआत करने को अपना समर्थन दिया है। सरकार के इस कदम के माध्यम से न्याय और समानता के दृष्टिकोण की विजय हुई है।

भाजपा के 2019 के संकल्प-पत्र में भी उल्लिखित था कि जम्मू व कश्मीर राज्य के सभी क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने की जरूरत है, जिसे अनुच्छेद-370 ने रोक रखा था। दशकों से पार्टी का यह स्पष्ट रुख रहा है कि अनुच्छेद-370 एवं 35(ए) के कारण समस्त राष्ट्र में एकता की भावना का विकास नहीं हो पाया तथा भारत के नागरिक के रूप में जिन सुविधाओं का लाभ पूरे देशवासियों को मिलता था, वो इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाया। इसमें कोई शंका नहीं है कि इसके कारण अलगाववाद को बढ़ावा, आतंकवाद को संरक्षण तथा सीमापार से चलने वाले विध्वंसक विचारों को प्रश्रय मिला, जिसे देश के राजनीतिक चिंतकों एवं बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने हमेशा नजरअंदाज किया। इन लोगों ने कभी यह नहीं बताया कि अनुच्छेद-370 वास्तव में राज्य के लोगों के वंचित रहने का कारण, अलगाववाद और अस्थिरता को बढ़ावा देने का एक उपकरण तथा अविश्वास को फैलाने का एक कारक बन चुका है।

यह एक शुभ संकेत है कि अधिकतर लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से अनुच्छेद-370 एवं 35(ए) ने अवरोधक का कार्य किया है तथा कैसे इसने संपूर्ण राज्य एवं यहाँ के निवासियों के भाग्य को उनके हाथ से लेकर कुछ परिवारों के हाथों में सौंप दिया। इस अनुच्छेद के लोगों को वंचित बनाने वाले आयामों पर यदि संक्षिप्त दृष्टि डालें तो आश्चर्य ही होगा। इसके कारण केंद्रीय कानूनों के क्रियान्वन से होने वाले जनकल्याण से लोग वंचित हुए, इसने क्षेत्र के पिछड़े तबके की तरक्की को रोक दिया; इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को विधिसंगत नागरिकता का लाभ नहीं मिल पाया; इसने क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। यही नहीं, सात दशकों तक अनुच्छेद-370 एवं 35(ए) ने यह भी सुनिश्चित किया कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को राजनीतिक अधिकारों का लाभ ना मिले तथा उन्हें शरणार्थी ही माना जाए। अनुच्छेद-370 ने दशकों पहले जम्मू और कश्मीर में बसे सफ़ाई कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को तरक्की से रोका। इसने उन महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया जिन्होंने राज्य से बाहर शादी की। इसने शिक्षा के प्रचार-प्रसार को रोका, औद्योगिक विकास और रोजगार में गतिरोध पैदा किया और लोकतंत्र की जड़ों को पनपने से रोका। अनुच्छेद-370 के कारण राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गयी क्योंकि पूरे भारत से कोई भी डॉक्टर इस क्षेत्र में आकर काम करने की इच्छा नहीं रखता। अनुच्छेद-370 ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतरने से रोका, लद्दाख जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया तथा यह सुनिश्चित किया कि कुछ परिवार और राजनीतिक समूह यहाँ की राजनीति को नियंत्रित करें। दुःखद और विडंबनापूर्ण यह है कि ये परिवार भारतीय लोकतंत्र के कारण फले-फूले, यहाँ के संसाधनों पर निर्भर रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस राज्य के भारत के साथ 'सशर्त विलय' जैसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कभी नहीं छोड़ा। इन्होंने कभी भी इस राज्य के अन्य हिस्सों से आने वाली आवाज़ों और मांगों को नहीं सुना और न ही इन्होंने कभी राज्य के अन्य हिस्सों के उन लोगों के लिए सहानुभूति प्रदर्शित की, जिनकी मान्यताएं और जीवन के तरीके अलग थे।

अनुच्छेद-370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि यह भय, अभाव, संघर्ष और अविश्वास की एक थोपी गयी व्यवस्था से इस राज्य के लोगों की मुक्ति के जैसा है। यह वास्तव में एक ऐसे नए युग की शुरुआत है, जो स्वतंत्रता और एकता की भावना को बढ़ावा देगा। यह एक नई सुबह है, एक नई जागृति जो राज्य के लोगों को असीम संभावनाएं प्रदान करेगी। यह आशा की नई शुरुआत है।

यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक निर्णय को जिस कुशलता से क्रियान्वित किया उससे करोड़ों जनों के सपने साकार हुए हैं। इस 'प्रस्तावना' के माध्यम से धारा-370 एवं 35(ए) पर संवैधानिक संकल्प एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा दिये गये राष्ट्र को संदेश, गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा इनपर तथा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने पर संसद के दोनों सदनों में दिए गए वक्तव्य आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी सुधी पाठक इनका गहराई से अध्ययन करें।

(जगत प्रकाश नड्डा)

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआतः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन

8 अगस्त 2019

'हम सब मिलकर नए भारत के साथ-साथ अब नए जम्मू-कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें'

मेरे प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभभाई पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान हैं और दायित्व भी समान हैं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा। अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ।

अनुच्छेद 370 और 35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद-आतंकवाद-परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले तीन दशक में लगभग 42 हजार निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया, जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की ये कमी दूर होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा।

हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहस होती है, संसद के बाहर भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन-मनन होता है, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों। यहां तक कि पहले की जो सरकारें, एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थीं, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थीं कि उनका बनाया कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू-कश्मीर के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे।

सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू-कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए Minimum Wages Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले श्रमिकों को ये सिर्फ कागजों पर ही मिलता था। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते

समय अनुसूचित जनजाति के भाई-बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था।

अब आर्टिकल 370 और -35ए, इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू-कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में, अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे LTC, House Rent Allowance बच्चों की शिक्षा के लिए Education Allowance हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती। ऐसी सुविधाओं का review कराकर जल्द ही जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों और वहां की पुलिस को भी ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

बहुत जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जम्मू-कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी की इसके प्रभाव को कम किया जाए।

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन, सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां Good Governance और Development का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थीं, उन्हें अब जमीन पर उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिली है। हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य-संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे, ना लड़ सकते थे ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?

हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे, ना लड़ सकते थे ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?

जम्मू-कश्मीर के अपने भाई-बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले MLA होते थे, वैसे ही MLA आगे भी होंगे। जैसे पहले मंत्रिपरिषद होती थी, वैसी ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे

ही आगे भी आपके सीएम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद-अलगाववाद से जम्मू-कश्मीर को मुक्त कराएंगे। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू-कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा। नागरिकों के जीवन में Ease of Living बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए, वो बेरोक-टोक मिलने लगेगा, शासन-प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगी, तो मैं नहीं मानता कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अन्दर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी। हां लद्दाख में वो बनी रहेगी।

हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। जैसे बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव होंगे। मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द से जल्द किया जाए।

एक जमाना था, जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो, जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू-कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी, तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी लेकर आएगी।

ये मेरा खुद का अनुभव है कि चार-पांच महीने पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पंचायत चुनावों में जो लोग चुनकर आए, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले जब मैं श्रीनगर गया था, तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी। जब वो यहां दिल्ली आए थे, मेरे घर पर आए थे, मैंने उनसे काफी देर तक बात की थी। पंचायत के इन साथियों की वजह से जम्मू-कश्मीर में बीते दिनों ग्रामीण स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम हो या फिर राज्य को ODF बनाना हो, इसमें पंचायत के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें भी जो महिला पंच, जो चुनकर आयी है, वो कमाल कर दिखाई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ, नयी ऊर्जा के साथ, नए सपनों को साथ, आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, Good Governance और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।

दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरे ये युवा जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान- आगे आईये - खुद संभालिए।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन-प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए। एक जमाना था, जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो, जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू-कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी, तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी लेकर आएगी।

मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलगू और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर

सोचें।

जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में, अपने फैसलों में इस बात को प्राथमिकता दें कि जम्मू-कश्मीर में कैसे टेक्नोलॉजी का और विस्तार किया जाए। जब वहां डिजिटल कम्यूनिकेशन को ताकत मिलेगी, जब वहां BPO सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, उतना ही जम्मू-कश्मीर के हमारे भाई-बहनों का जीवन आसान होगा, उनकी आजीविका और रोजी-रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे।

सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन नौजवानों को भी मदद करेगा, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। नई स्पोर्ट्स एकैडमीज, नए स्पोर्ट्स स्टेडियम, साइंटिफिक इनवायर्नमेंट में ट्रेनिंग, उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी।

सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन नौजवानों को भी मदद करेगा, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। नई स्पोर्ट्स एकैडमीज, नए स्पोर्ट्स स्टेडियम, साइंटिफिक इनवायर्नमेंट में ट्रेनिंग, उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी।

जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या फिर हर्बल मेडिसिन इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने का जरूरत है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि ये पौधा High Altitude पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षाबलों के लिए संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह पर शरीर के इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सोचिए, ऐसी अद्भुत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए या नहीं? कौन हिन्दुस्तानी नहीं चाहता है और मैंने सिर्फ एक का नाम लिया है। ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल प्रॉडक्ट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं। उनकी पहचान होगी, उनकी बिक्री होगी तो इसका बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा, वहां के किसानों को मिलेगा। इसलिए मैं देश के उद्यमियों से, Export से जुड़े लोगों से, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय Products को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आगे आएं।

Union Territory बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की स्वाभाविक जिम्मेदारी बनती है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी। लद्दाख में स्पीरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इकोटूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है। सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। अब वहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे। अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा।

लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है, उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है। समाधान करने का प्रयास भी कर रही है। ये हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें। देश की मदद करें। संसद में किसने मतदान किया, किसने नहीं किया, किसने समर्थन दिया, किसने नहीं दिया, इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के हित में मिलकर, एकजुट होकर काम करना है। मैं हर देशवासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-

कश्मीर और लद्दाख के लोगों की चिंता हम सबकी चिंता है, 130 करोड़ नागरिकों का चिंता है. उनके सुख-दुःख, उनकी तकलीफ से हम अलग नहीं हैं।

अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय ऐतिहासिक तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो भी परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के हमारे भाई-बहन दे रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त लोग डटकर खड़े हुए हैं। भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले हमारे ये सभी-भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। हमें उन सब पर गर्व है। मैं आज जम्मू-कश्मीर के इन साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।

ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है। ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो। हमारे जो साथी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है।

आज इस अवसर पर मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासन से जुड़े सभी लोग, राज्य के कर्मचारी और जम्मू-कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को संभाल रही है, वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है, बदलाव हो सकता है।

जम्मू-कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। गर्व करते है इसकी रक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर के अनेकों वीर बेटे-बेटियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन दांव पर लगाया है। पुंछ जिले के मौलवी गुलाम दीन, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, लद्दाख के कर्नल सोनम वानंचुग जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी, उन्हें महावीर चक्र दिया गया था, राजौरी की रुखसाना कौसर, जिन्होंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था, उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, पुंछ के शहीद औरंगजेब, जिनकी पिछले वर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे वीर बेटे-बेटियों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनेक जवान और अफसर भी शहीद हुए हैं। देश के अन्य भू भाग से भी हज़ारों लोगों को हमने खोया है इन सभी का सपना रहा है- एक शांत, सुरक्षित, समृद्ध जम्मू-कश्मीर बनाने का। उनके सपने को हमें मिलकर पूरा करना है।

ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी, तो स्वभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी, तो स्वभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। मैं जम्मू-कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से, आह्वान करता हूं।

आइए, हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें कि इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है। आइए, हम सब मिलकर नए भारत के साथ-साथ अब नए जम्मू-कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

जय हिंद !!!

❖ ❖ ❖

यह दोनों प्रस्ताव एवं विधेयक भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित होंगे: अमित शाह

जम्मू और कश्मीर संवैधानिक संकल्प एवं पुनर्गठन विधेयक

6 अगस्त 2019 I लोकसभा

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संकल्प एवं विधेयक प्रस्तुति वक्तव्य

मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि यह सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे, सिवाय खंड (1) के, जिसे नामत् निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः-

संविधान के समय-समय पर संशोधित, सभी उपबंध, बिना किसी संशोधन और अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे; इस बात के सिवाय, कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित, किसी अपवाद, अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज, अथवा भारत के भू-भाग में कानून के प्रवर्तन, अथवा कोई अन्य लिखित संधि, अथवा समझौता, जैसा अनुच्छेद- 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा अन्यथा न हो।

कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्य सभा के सामने यह विधेयक रखा था। राज्य सभा का अनुमोदन हो गया है और मैं इस विधेयक को लेकर यहां आया हूं।

कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

कि यह सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि, वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे, सिवाय खंड (1) के, जिसे नामत् निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः-

संविधान के समय-समय पर संशोधित, सभी उपबंध, बिना किसी संशोधन और अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे; इस बात के सिवाय, कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित, किसी अपवाद, अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज, अथवा भारत के भू-भाग में कानून के प्रवर्तन, अथवा कोई अन्य लिखित संधि, अथवा समझौता, जैसा अनुच्छेद363- के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा अन्यथा न हो।

कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004

का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) (नेता सदन, कांग्रेस पार्टी) : अच्छा ठीक है। सर, आप कहते हैं कि यह कश्मीर का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब भी युनाइटेड नेशन्स के लोग वहां की मॉनिटरिंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन्स सन् 1948 से मॉनिटरिंग करता है।

श्री अमित शाहः कांग्रेस इतना स्पष्ट कर दें कि यह कांग्रेस पार्टी का स्टैण्ड है कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन्स मॉनिटर कर सकता है। एक बार इतना स्पष्ट कर दें कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन्स मॉनिटर कर सकता है?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम सिर्फ क्लेरीफिकेशन चाहते हैं आप मुझे बोलने दीजिए, आप पूरी बात कीजिए। मैं सिर्फ क्लेरीफिकेशन मांग रहा हूं, गृह मंत्री जी मैं सिर्फ क्लेरीफिकेशन मांग रहा हूं और कुछ नहीं। हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारी चीजों का स्पष्टीकरण नहीं होता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। आप देखिए कि हमारे हिन्दुस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर ने शिमला एग्रीमेंट किया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर डिक्लेयरेशन किया तो ये सारी चीजें होते हुए भी यह कैसे इन्टरनल मैटर माना जाएगा, यह हमारा प्रश्न है कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशकंर जी ने पोंपियो जी से बात की, उस समय भी यह कहा गया कि यह बायलेटरल इश्यू है तो हमें यह सुलझाना चाहिए। यह आपको बताना पड़ेगा कि यह इन्टरनल है या बायलेटरल है और क्या यह आप खुद कर सकते हैं? आने वाले दिनों में क्या लाहौर समझौता नहीं रहेगा यह जानकारी हमें चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं लेकिन यह हमें जानना चाहिए। सारी जम्मू घाटी को कैदखाना बना दिया। जम्मू-कश्मीर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सभी हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। यहां लाखों की तादाद में फोर्सेस हैं, लेकिन आपने अमरनाथ यात्रा बंद कर दी।

जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और उस वक्त जम्मू-कश्मीर का जो संविधान बना था, इन दोनों संविधानों में बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है, जम्मू-कश्मीर ने भी इसे स्वीकार किया है कि वह भारत का अभिन्न अंग है।

श्री अमित शाहः साहब, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इन्होंने क्लैरीफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरीफिकेशन में एक क्लैरीफिकेशन पूछता हूं। उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बिना मैं यह बिल कैसे लेकर आ गए?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम सिर्फ क्लैरीफिकेशन चाहते हैं।

श्री अमित शाहः यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो यह रिकॉर्ड में जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है कि वो फिर से रिपीट कर दें कि वे क्या कहना चाहते हैं। भले ही सदन का दो मिनट का समय व्यय हो, लेकिन यह बहुत जरूरी है, वे रिपीट कर दें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बड़ी खुशी है, अमित शाह जी मुझे बहुत खुशी है। मैं शंका में हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि यह इन्टरनल मैटर है। आपने एक स्टेट का बायफर्केशन कर दिया, वह भी हो गया। लेकिन मेरा कहना है कि सन 1948 से जहां यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग हो रही है वह क्या इन्टरनल मामला है? जो हम लोगों ने शिमला समझौता और लाहौर समझौता किया था वह इन्टरनल मामला था या बायलेटरल था? कुछ दिन पहले जयशंकर जी ने पोंपियो जी को कहा कि यह हमारा बायलेटरल मामला है इसमें आप दखलअंदाजी मत कीजिए तो उसके बाद भी क्या जम्मू-कश्मीर इन्टरनल मामला हो सकता है? ये तरह-तरह की बातें हैं, इनको हमें समझाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं।

श्रीमति स्मृति जूबिन ईरानी: यह हिन्दुस्तान का इंटरनल मैटर है। आप हिन्दुस्तान के पक्ष में बोलिए, आप

एक हिन्दुस्तानी हैं। .

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप गलत कर रहे हैं। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको गलतफहमी हो रही है। I want to be enlightened by you. Congress Party wants to be enlightened by you. It is a fundamental question. I want to be enlightened

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं, इसके लिए क्या सदन अधिकृत है या नहीं। कश्मीर के विलय का यह मामला 1948 में यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया था और इसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने पाकिस्तान के साथ जो शिमला करार किया, उसका भी जिक्र किया गया और एक तरीके से उन्होंने इस सदन की कम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाया है कि यह सदन इस विधेयक को चर्चा के लिए ले सकता है या नहीं। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि यह सिर्फ पोलिटिकल चीज नहीं है। यह कानूनी विषय है और इसकी प्रतिक्रिया संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से आ सकती है।

जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। आप मेरी बात सुनिए। क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे? मैं स्पष्ट करता हूं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू और कश्मीर के पीओके को क्या आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? इसके लिए जान दे देंगे। आप एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हैं? हम इसके लिए जान दे देंगे।

सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और उस वक्त जम्मू-कश्मीर का जो संविधान बना था, इन दोनों संविधानों में बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है, जम्मू-कश्मीर ने भी इसे स्वीकार किया है कि वह भारत का अभिन्न अंग है। According to the Article 370(1)(c), in the Constitution of India, the provisions of Article 1 and of this article shall apply in relation to that State. इसका मतलब है कि जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल1- के सारे प्रॉविजन्स लागू होते हैं। अनुच्छेद1- में क्या है? Article 1 says that India, that is Bharat, shall be a Union of States. भारत सभी राज्यों का एक संघ है और इसमें भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों की लिस्ट दी हुई है। उसमें 15वें नम्बर पर जम्मू एडं कश्मीर स्टेट का उल्लेख है। इससे यह प्रस्थापित होता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके लिए कानून बनाने के लिए यह संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतः कम्पिटेंट है.. सक्षम है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है। उसमें लिखा गया है कि the State of Jammu & Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India. इस बात को जम्मू-कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है।

इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुसंशा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से, मैं दोनों चीजें लेकर यहां पर उपस्थित हु आ हूं। बालू साहब को कुछ कहना है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): पीओके के बारे में कुछ कहिए।

श्री अमित शाह: जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। आप मेरी बात सुनिए। क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे? मैं स्पष्ट करता हूं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू और कश्मीर के पीओके को क्या आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? इसके लिए जान दे देंगे। आप एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हैं? हम इसके लिए जान दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि मैं सदन में जब-जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला

हूं, तब-तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा हैं। हमारे संविधान ने जम्मू-कश्मीर की जो सीमाएं तय की है और जम्मू-कश्मीर के संविधान ने जम्मू-कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के सभासदों ने अपने निर्णयों द्वारा देश के इतिहास में समय-समय पर नए अध्याय जोड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ये दोनों, प्रस्ताव और बिल, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित होंगे। यह महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है, यह महान सदन एक बार फिर एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है, जो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखेगा।

राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कांस्टीट्यूशनल आर्डर, 2019 साइन किया है। इसके तहत 370 (1)(D) का उपयोग करते हुए एक संवैधानिक आर्डर उन्होंने पास किया, जिसमें भारत के संविधान के सारे के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान में लागू होंगे। इसका मतलब है कि 35(A) खत्म हो गया।

अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का जवाब मैं बाद में दूंगा। काफी सदस्यों के मन में ये चीजें हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं, इन सबकी कानूनी वैधता क्या है और संवैधानिक स्थिति क्या है? इससे पहले कि सभी सभासद इसकी पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सकें, मैं इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं।

राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कांस्टीट्यूशनल आर्डर, 2019 साइन किया है। इसके तहत 370(1)(D) का उपयोग करते हुए एक संवैधानिक आर्डर उन्होंने पास किया, जिसमें भारत के संविधान के सारे के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान में लागू होंगे। इसका मतलब है कि 35(A) खत्म हो गया।

अनुच्छेद 367 और 370(1)(D) को एक साथ जो अधिकार प्राप्त होता है, उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने जहां-जहां भारत के संविधान में कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया है, वहां इसे जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेम्बली पढ़ा जाए, इस प्रकार का संशोधन भी इस कांस्टीट्यूशनल आर्डर में उल्लेख किया है। एक रेजोल्यूशन है, जिसे मैंने अभी पढ़ा है। इसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के बारे में जो धारा 370 का उपयोग हो रहा है, उसे सीज करने के प्रस्ताव को यदि सदन अनुमति देता है, तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों, अपनी अनुकूलता से इसे साइन करके गजट में प्रोसीड करेंगे।

अध्यक्ष जी, तीसरा मैं बायफरकेशन एक्ट लेकर आया हूं, इस पर मैं बाद में आऊंगा।

एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था और आज भी काफी सदस्यों के मन में यह बात है कि यह अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 की धारा (3) को पढ़ना चाहता हूं। सभी सदस्य इसे ध्यान से सुनें। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify.

अध्यक्ष जी, इसका मतलब यह होता है कि धारा 370 (3) का उपयोग करके राष्ट्रपति महोदय धारा 370 को सम्पूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति जी का अधिकार है, लेकिन उसमें राइडर डाला हुआ है।

Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues such a notification.

राष्ट्रपति महोदय तभी यह नोटिफिकेशन निकाल सकते

हैं, जब जम्मू और कश्मीर की कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की अनुशंसा हो, तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार हैं, उन पर जम्मू और कश्मीर की कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की अनुशंसा को बाधित करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है।

अब मैं कांस्टीट्यूएंट असेम्बली पर आता हूं। मैंने जैसा पहले उल्लेख किया कि कांस्टीट्यूशन आर्डर, 2019 निकाला है। इसमें राष्ट्रपति महोदय ने धारा 367 read with 370(1)(D) के अधिकार का उपयोग करके कांस्टीट्यूएंट असेम्बली मीन्स 'लेजिस्लेटिव असेम्बली ऑफ़ जम्मू और कश्मीर' शब्द का प्रयोग किया है। अब यह अधिकार जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेम्बली के अधीन आता है कि वह राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करें कि आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अब काफी सारे सभासद यह कहेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें इतिहास बताना चाहता हूं।

इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से दो बार किया है। पहली बार वर्ष 1952 में, दूसरी बार वर्ष 1965 में किया है। वर्ष 1952 में धारा 370(1)(D) का उपयोग करते हुए उन्होंने 'महाराजा' की जगह 'सदर-ए-रियासत' किया और वर्ष 1965 में 'सदर-ए-रियासत' की जगह 'गवर्नर' किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पाटी इतना हो-हल्ला कर रही है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रपति महोदय ने दो बार इस अधिकार का उपयोग कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। और कैबिनेट मतलब सरकार है।

महोदय, पूरा देश जानता है कि जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है। धारा 1)356)(बी) के हिसाब से असेम्बली की पूरी सत्ता इन दोनों सदनों में निहित है। दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है, वही असेम्बली का भी अभिप्राय होता है।

महोदय, मैं कल राज्य सभा से अनुमित लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि यह सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन देगा। मैंने जो दोनों चीजें रखी हैं, किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी है और दूसरा यह संकल्प तथा बिल मैं क्यों सदन के सामने लाया हूं, इसे समझाने की बात मैंने सदन में रखी है। इस पर आपका विवाद हो सकता है, जो भी तकलीफ हो सकती है, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा और तसल्ली से दूंगा। हम वाद-विवाद करें, वितंडावाद न करें। वाद-विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक बात कहता हूं और उसके सामने आप दो चीजें खड़ी कर सकते हैं। यह मेरा दायित्व है, मेरा संवैधानिक दायित्व है कि मैं सदन को इसका जवाब दूं, परन्तु हो-हल्ला करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी।

जहां तक बाइफरकेशन का सवाल है, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि उसे एक यूनियन टेरिटरी बनायी जाए, इसलिए इस मांग के तहत हम जम्मू-कश्मीर में दो यूनियन टेरिटरीज लेकर आए हैं। एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख क्षेत्र की होगी, जिसमें अक्साई चीन भी समाहित होगा और वहां दो हिल काउंसिल्स बनी हैं, वे चालू रहेंगी।

अध्यक्ष जी, जहां तक बाइफरकेशन का सवाल है, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि उसे एक यूनियन टेरिटरी बनायी जाए, इसलिए इस मांग के तहत हम जम्मू-कश्मीर में दो यूनियन टेरिटरीज लेकर आए हैं। एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख क्षेत्र की होगी, जिसमें अक्साई चीन भी समाहित होगा और वहां दो हिल काउंसिल्स बनी हैं, वे चालू रहेंगी और हिल काउंसिल्स के अध्यक्ष मिनिस्टर के दर्जे के साथ अपना कार्यभार सभांलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिसे स्थानीय नुमाइंदों की आवाज पूरे हिल काउंसिल्स में सुनाई देगी। किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन होने का सवाल ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगी, वहां असेम्बली भी बनेगी। वहां एमएलए भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे और वे लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे। वे जम्मू-कश्मीर के प्रशासन का डे-टू-डे काम करेंगे।

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आर्टिकल1- और जम्मू-कश्मीर के आर्टिकल3-, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो इसका भी पूर्ण अधिकार इस संसद को है। मैं

आपके सामने ये दोनों बिल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं।

आप सभी सदस्यों को अपने-अपने विचार रखने का अधिकार है। पार्टियों ने जो लिस्ट दी हैं, माननीय सांसद उसके हिसाब से अपने विचार सदन में रखें। मैं तसल्ली से एक-एक सेकेंड यहां बैठने वाला हूं और पूरा नोट करूंगा। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मेरी तैयारी भी है, परन्तु शांत वातावरण में चर्चा हो। घाटी के लोग हमें देख रहे हैं, देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है।

वे कहते हैं कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कैबिनेट के सदस्य थे। मैं सदन के रिकॉर्ड के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह कैबिनेट किसी एक पार्टी की चुनी हुई कैबिनेट नहीं थी, सर्वदलीय कैबिनेट थी और कॉन्सटीट्यूएंट असेम्बली में जो प्रस्ताव गए हैं, वे कैबिनेट के थ्रू नहीं गए हैं। कॉन्स्टीट्यूएंट असेम्बली ने स्वतः ही चर्चा करके संविधान को लिखने का काम किया है। संविधान बनने के बाद यह हुआ कि कोई भी प्रस्ताव जो कानून बनने के लिए जाएगा, वह कैबिनेट के थ्रू जाएगा। उस कैबिनेट को अधिकार संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उसने दिया है। इसलिए जब कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, it does not mean कि उन्होंने 370 का समर्थन किया है और रिकॉर्ड क्लीयर होना चाहिए। इस सदन में इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर भी नहीं रहना चाहिए।

उस वक्त संविधान सभा में जो कानून बनने जाता था, वह कैबिनेट से होकर नहीं जाता था। कैबिनेट से होकर कानून बनने के लिए जाने का सिलसिला संविधान बनने के बाद देश की कैबिनेट को मिला। उस वक्त स्वतः ही संविधान सभा अपनी चर्चा करके संविधान को गढ़ रही थी, बना रही थी। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के सदस्य थे, it does ot mean कि उन्होंने 370 का समर्थन किया।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): इसलिए यह माना कि कैबिनेट से आया था। किसी का विरोध नहीं हुआ। सिर्फ महावीर त्यागी साहब ने एक अमेंडमेंट की थी।...(व्यवधान)...

श्री अमित शाहः अभी भी यह कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने कहा कि कैबिनेट से आया। मैंने कभी नहीं कहा कि कैबिनेट से आया। उस वक्त संविधान सभा में जो कानून बनने जाता था, वह कैबिनेट से होकर नहीं जाता था। कैबिनेट से होकर कानून बनने के लिए जाने का सिलसिला संविधान बनने के बाद देश की कैबिनेट को मिला। उस वक्त स्वतः ही संविधान सभा अपनी चर्चा करके संविधान को गढ़ रही थी, बना रही थी। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के सदस्य थे, it does ot mean कि उन्होंने 370 का समर्थन किया।

❖ ❖ ❖

जम्मू-कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगाः अमित शाह

जम्मू और कश्मीर संवैधानिक संकल्प एवं पुनर्गठन विधेयक

6 अगस्त 2019 I लोकसभा

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संकल्प एवं विधेयक पर चर्चा का उत्तर

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों के मन का भाव समझ रहा हूं। इस आनन्द की अभिव्यक्ति का कुछ औचित्य भी बनता होगा, लेकिन 70 साल से जो टीस दिल के अन्दर सब लोग दबाकर बैठे हैं, वह टीस जब समाप्त होने का समय आता है तो आनन्द की अभिव्यक्ति को औचित्य से नहीं जोड़ना चाहिए। इस देश का बच्चा-बच्चा यह बोलता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, चाहे आप कहीं भी जाएं, बंगाल में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, गुजरात में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं या उत्तर प्रदेश में जाएं।

मैं इतना पूछना चाहता हूं कि हम कभी यह क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? हम कभी यह क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? हम कभी यह क्यों नहीं बोलते हैं कि तमिलनाडु भारत का अंग है? अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के लिए यह इसलिए बोलना पड़ता है, क्योंकि धारा 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका उत्पन्न की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है? संविधान में इसकी बड़ी स्पष्टता है, मगर जन मानस में दुनिया के अंदर एक संशय था और मैं आज प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके साहस के कारण आज यह कलंक हमारे माथे से मिटने जा रहा है।

धारा 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका उत्पन्न की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है? संविधान में इसकी बड़ी स्पष्टता है, मगर जन मानस में दुनिया के अंदर एक संशय था और मैं आज प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके साहस के कारण आज यह कलंक हमारे माथे से मिटने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कई भाषण हुए कि धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है। वास्तव में धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है, बल्कि धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ने से रोकती है और अगर इस सदन का आदेश प्राप्त होता है तो आज वह रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। किसी ने धारा 370 हटाने का विरोध नहीं किया। स्पष्ट बोलूं तो वे भी चाहते हैं कि धारा 370 हटे, मगर कहने का साहस नहीं है। वह भी चाहते हैं कि धारा 370 हटे, मगर बोट बैंक बीच में आ जाता है कि हमारा वोट बैंक क्या सोचेगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से सप्ताह हो जाएगा। यह क्षण देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति को शत्-शत् नमन करना चाहता हूं कि जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने साहस का परिचय देते हुए अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुच्छेद 370 की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं इस चर्चा में काफी सारे सदस्यों ने भाग लेते हुए कुछ चीजों के बारे में जानना चाहा है, कुछ मुद्दे भी उपस्थित किए हैं, जिनका मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा।

सम्माननीय सदस्यों ने कहा है कि यूनियन टेरिटरी क्या हमेशा के लिए है, यूनियन टेरिटरी क्यों बनायी गयी है, यूनियन टेरिटरी कब तक रहेगी? मनीष तिवारी जी ने कहा, बहन सुप्रिया सुले जी ने कहा, अधीर रंजन जी ने भी कहा... मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी और जम्मू के लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक यूनियन टेरिटरी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को काई आपत्ति नहीं है।

मान्यवर, एक मुद्दा उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाईड कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाईड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी

कभी दे ही नहीं सकते हैं। आज भी पाक ऑक्यूपाईड कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली हैं और पाक ऑक्यूपाईड कश्मीर पर हमारा दावा उतना ही मजबूत है, जितना पहले था। अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बिल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, इसमें पाक ऑक्यूपाईड कश्मीर और अक्साई चीन का उल्लेख है और एक-एक इंच जमीन का उल्लेख है।

जहां तक यूनाइटेड नेशन का सवाल है, मैं इसके इतिहास में जाना चाहता हूं। 1 जनवरी, 1948 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 35 में रेफरेंस दिया गया है। 20 जनवरी, 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान (यूएनसीआईपी-UNCIP) सेटअप किया और 13 अगस्त, 1948 को यूएनसीआईपी के प्रस्ताव को भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। जब प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो उसमें पहली और दूसरी, दो धाराएं थीं और तीसरी धारा भी थी। दूसरी धारा और पहली धारा में यह था कि कभी भी किसी भी देश की सेना किसी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूं कि सेना विजयी हो रही थी। सेना पाकिस्तानी कबाइलियों के अधिकार क्षेत्र में आए हुआ हमारा हिस्सा जीत रही थी, तब अचानक एक तरफा शस्त्र विराम किसने कर दिया था? मैं यह बताना चाहता हूं कि वह भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और उसी के कारण आज पाक अधिकृत कश्मीर है।

वर्ष 1965 के अंदर जिस दिन पाकिस्तान की सेनाओं ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया था, उसी दिन यह प्रस्ताव खारिज हो गया था, क्योंकि एक और दो नहीं होता है, तो तीन का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है, न ही कोई बाधक है। यह सदन जम्मू और कश्मीर राज्य के डिविजन के मामले में संपूर्ण इख़्तियार रखता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि जब शिमला समझौता हुआ था, इसको भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने रिकार्ड पर लाया था। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं और शिमला समझौते ने इस बात को दोहराया है। इसलिए, जहां तक यूएन का मामला है, भारत की सीमाओं में कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों को पूरा संवैधानिक अधिकार है, यह स्पष्ट हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मनीष तिवारी जी ने यहां पर इतिहास का एक लंबा आरूपण उसकी पृष्ठभूमि समझाने के लिए किया था। इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। मगर इतिहास की एक सीमा तक आकर वह रुक गए। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने इतिहास के बारे में कहा है कि भारत ने अपनी सेनाएं भेजी थीं। सेनाओं ने घुसपैठियों को खदेड़ा था और घुसपैठियों की शक्ल में जो पाकिस्तान की सेना के जवान और अधिकारी थे, उनको भी खदेड़ा था। उन्होंने यह सारा यश जवाहर लाल नेहरू जी को दिया है कि उनके नेतृत्व में यह सब कुछ हुआ था। कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू जी के कारण आज कश्मीर भारत का हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूं कि सेना विजयी हो रही थी। सेना पाकिस्तानी कबाइलियों के अधिकार क्षेत्र में आए हुआ हमारा हिस्सा जीत रही थी, तब अचानक एक तरफा शस्त्र विराम किसने कर दिया था? मैं यह बताना चाहता हूं कि वह भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और उसी के कारण आज पाक अधिकृत कश्मीर है। अगर सेनाओं को हमारा पूरा हिस्सा जीतने की छूट दे दी जाती, तो आज पाक अधिकृत कश्मीर पूरा का पूरा भारत अधिकृत होता।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, गिलगित और बाल्टिस्तान पहले से चला गया था। पाक अधिकृत कश्मीर बाद में गया था। वर्ष 1947 में गिलगित और बाल्टिस्तान को मेजर ब्राउन ने दे दिया था।

श्री अमित शाह: महोदय, मैं अभी पाक अधिकृत कश्मीर की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर का रेफरेंस दिया था। उसके बाद में अधीर रंजन जी ने यूनाइटेड नेशन का रेफरेंस दिया, यूनाइटेड नेशन में लेकर कौन गया था? ढेर सारे दस्तावेज

हैं, देश के उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विश्वास में लिए बगैर आकाशवाणी से प्रसारण कर दिया गया कि भारत इस मसले को 35 सेक्शन के अंदर लें, सेक्शन भी ठीक पसंद कर लिया गया था। शशि थरूर जी को मालूम है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की दुहाई आपने भी दी है कि यह मत करिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होंगी? लेकिन जब देश हित का मामला होता है, तो हमने यह निर्णय हमारे देश की स्थिति को सुधारने के लिए लिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय यूनाइटेड नेशन में कौन लेकर गया था? जवाहरलाल नेहरू जी ही यूनाइटेड नेशन में लेकर गए थे, यह भी इतिहास का मानना है। इन्होंने कहा है कि कश्मीर के ऊपर उनके बारे में ठीक तरह से नहीं सोचा जा रहा है। इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसी के आधार पर ही सोचा जाएगा। इस घटना के बारे में भी इतिहास कभी न कभी तय करेगा कि सच्चाई क्या है और यह देश के लिए ठीक है या नहीं है। मगर मुझे भरोसा है कि जब भी इस घटना का जिक्र होगा, यह देश माननीय नरेन्द्र मोदी जी को वर्षों तक याद रखेगा।

370 से इस देश के कानून वहां नहीं पहुंचते। वहां के लोगों में अलगाववाद फैलता है, वहां की असेम्बली की मंजूरी के अलावा देश की संसद का कोई कानून वहां नहीं पहुंचते है और 371 क्या है? 371 का मूल जो है, महाराष्ट्र और गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बोर्डों की रचना करना है, इसमें क्या आपत्ति है? हम 371 को भला क्यों निकाल देंगे?

उन्होंने कहा कि आप 371 का क्या करेंगे। 370 और 371 के बीच का अंतर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 370 जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। अस्थायी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यह पहले से कहा गया है कि यह अस्थायी उपबंध है और 370 हटाने की जरूरत इसलिए है कि वह देश की संसद का इख़्तियार वहां पर कम करता है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे कानून जो जनता की अच्छाई के लिए हम बनाते हैं, वे जम्मू-कश्मीर की जनता तक पहुंचते नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान पेट्रोल डाल कर भड़का रहा है, यह 370 के कारण। मैं आगे इस विषय पर आऊंगा।

मान्यवर, मैं 371 पढ़ना चाहता हूं - महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन। 370 टेम्परेरी प्रोविजन है। दोनों के बीच का अंतर आप समझ लीजिए। दोनों के बीच में और अंतर क्या हैं?

370 से क्या हो रहा है? 370 से इस देश के कानून वहां नहीं पहुंचते। वहां के लोगों में अलगाववाद फैलता है, वहां की असेम्बली की मंजूरी के अलावा देश की संसद का कोई कानून वहां नहीं पहुंचते है और 371 क्या है? 371 का मूल जो है, महाराष्ट्र और गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बोर्डों की रचना करना है, इसमें क्या आपत्ति है? हम 371 को भला क्यों निकाल देंगे? 371A नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, भूमि और संसाधनों आदि के स्वामित्व के लिए असेम्बली निर्णय करती है। 371B असम के उत्तरी कचर, कारबी आंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधान सभाओं की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे। हम यह क्यों निकालेंगे? यह कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। 370 का और 371 का तुलना करके आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 371 के बीच में अंतर क्या है?

मान्यवर, इसी तरह से मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, इन सारे राज्यों की कुछ-कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 ,371A से 371J तक अलग-अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 370 और 371 की तुलना ही नहीं हो सकता। यहां रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी यह सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की कोई

मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वे आश्वस्त रहें, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा कि हमने जो रास्ता लिया है, वह ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी रास्ते पर आपने दो बार 370 में ऐसे संशोधन पहले जवाहर लाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया है। उस वक्त वह रास्ता ठीक था? लेकिन हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए संशोधन कर रहे हैं, तब रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपके वोट बैंक के आड़े आता है, इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन सुप्रिया सुले ने काफी सारे सवाल उठाए हैं कि अभी फोन नहीं लग रहे हैं। इतने सारे सुरक्षा बलों को वहां पर भेज दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1989 से 1995 तक, यह तो कुछ नहीं है। मसूदी साहब यहां पर उपस्थित हैं, क्या हुआ था, घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आतंकवाद इतना बढ़ा कि सालों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। फोन छोड़िए, खाना-पीना, ब्रेड-बटर नहीं मिलता था।

जम्मू-कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू-कश्मीर ने दर्द को सहा है। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2019 तक 41,849 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसलिए उन्हें सरकार से कुछ विशेष देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात करके उनके विकास के लिए काम करना है, वे 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार हैं।

यह तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह करके वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बिगाड़ना चाहता है, तो उसे मौका न मिले। बाकी कोई कारण नहीं है, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। एहतियात लेने से आप सरकार को कैसे रोक सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आकर हम सुरक्षा बलों को हटा लेंगे और वहां पर कुछ घटनाएं हो जाए। कुछ नहीं होगा, न हम आपके दबाव में आएंगे, न सुरक्षा बल हटेंगे, न वहां पर कुछ होगा।

इन्होंने कहा कि चर्चा नहीं की गई। 70 साल तक चर्चा करते-करते थक गए, तीन पीढ़ियां आ गईं, मगर चर्चा का अंत नहीं आया, तब जाकर यह करना पड़ा है। कितनी चर्चा करें, किससे चर्चा करें? जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं, उनसे चर्चा करें। क्या चर्चा करें? हम हुर्रियत के साथ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अगर घाटी के लोगों के मन में कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम उनको सीने से लगाएंगे, प्यार से रखेंगे, पूरा हिन्दुस्तान उनको प्यार से रखेगा।

महोदय, अगर उनके मन में कोई आशंका है, तो जरूर चर्चा करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा चर्चा से कोई इन्कार नहीं है, मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं हैं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर चर्चा के अंदर कूद पड़े होते हैं, तब चर्चा करने का माहौल भी बदलना पड़ता है, वक्त भी बदलना पड़ता है और तरीका भी बदलना पड़ता है। जहां तक घाटी के लोगों के लिए चर्चा करने का सवाल है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घाटी की जनता से जितनी जरूरत पड़ेगी हम उतनी चर्चा उनके हर शक-शुबहा को दूर करने के लिए करेंगे। हम अपने कामों, निर्णयों से भी उनको आश्वस्त करा देंगे कि जम्मू-कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू-कश्मीर ने दर्द को सहा है। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2019 तक 41,849 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसलिए उन्हें सरकार से कुछ विशेष देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात करके उनके विकास के लिए काम करना है, वे 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी सवा लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया था, जिसमें से 80 हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या-क्या हुआ है?

आपने कहा कि आप एक ओर नागा एकॉर्ड करने जा रहे हो और दूसरी ओर धारा 370 हटा रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं कि नागा एकॉर्ड और धारा 370 के बीच में दूर-दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा ब्लंडर जो पास्ट में

हुआ था, वह हम नहीं करेंगे और इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई रिलेशन नहीं है। आप मन में आश्वस्त रहिए।

दूसरा, आपका एक स्टेटमेंट है कि बेकारी के कारण आतंकवाद बढ़ा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेकारी, इकोनॉमी की समस्या हर राज्य में है। वहां आतंकवाद क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही आतंकवाद क्यों बढ़ा, क्योंकि वहां धारा 370 का उपयोग करके पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना में पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए।

मान्यवर, इसका कोई लेन-देन नहीं है और अगर इकोनॉमी का भी लेन-देन है, तो मैं बाद में बताता हूं कि धारा 370 इकोनॉमी के लिए भी कैसे बाधक है? उन्होंने राइट टू एजुकेशन के बारे में कहा, मैं बाद में इस पर भी आऊंगा।

आंध्र असेंबली के बारे में कहा गया कि हमने इनसे चर्चा की थी, हमने इनसे चर्चा की थी, हमने इनसे चर्चा की थी। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों की जनता और अन्य देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने क्या चर्चा की, एक प्रस्ताव भेजा, जिसे दो तिहाई बहुमत से आंध्र की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, आंध्र की असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। असेंबली और ऊपरी सदन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, फिर भी आपने आंध्र का विभाजन किया। आपने चर्चा क्या की?

सवाल मेरी पार्टी की सहमति या असहमति का नहीं है। मैं आंध्र विभाजन पर जा ही नहीं रहा हूं कि वह उचित था या नहीं था। प्रक्रिया का सवाल उठाया गया है। आप पहले तथ्यों को पकड़िए। उन्होंने प्रक्रिया का सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों से चर्चा की। स्थानीय असेम्बली और स्थानीय अपर हाउस की तो मंशा थी कि डिवीजन न हो, फिर आपने क्यों किया, और आपने किया तो हमें क्यों टोक रहे हैं? आप जरा बताएं, और आपने कैसे किया था? हम तो बैठ कर आमने-सामने ठंडे दिमाग से आपसे चर्चा कर रहे थे। तब सदन के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मार्शलों ने सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। काला दिन आज नहीं है, बल्कि काला दिन वह था, जिस दिन संसद की पवित्रता को आपने भंग किया। मैं अभी भी यह कहता हूं कि आंध्र प्रदेश का डिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं इस मुद्दे पर नहीं हूं, बल्कि मैं इसकी प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि आपने रातों-रात एक राज्य को दो यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया। अब से ये यूनियन टेरिटरीज़ होंगे। वर्ष 1975 में आपने पूरे देश पर इमरजेंसी डाल कर आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया था। हमें मत समझाइए। वर्ष 1975 में पूरे देश को यू.टी. बना दिया था।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यूनियन टेरिटरी का सवाल है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज़ बनाना लद्दाख वालों की डिमांड है, जिसे आपने आज तक पूरा नहीं किया। जहां तक जम्मू और कश्मीर का सवाल है, तो वहां की परिस्थिति के नॉर्मल होते ही, उचित समय पर हम तुरन्त उस पर पुनर्विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

जहां तक यूनियन टेरिटरी का सवाल है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज़ बनाना लद्दाख वालों की डिमांड है, जिसे आपने आज तक पूरा नहीं किया। जहां तक जम्मू और कश्मीर का सवाल है, तो वहां की परिस्थिति के नॉर्मल होते ही, उचित समय पर हम तुरन्त उस पर पुनर्विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

नेहरू जी ने 370 के बारे में कहा था कि यह टेम्पोरेरी है, उचित समय आएगा, तब हटाएंगे। उसमें 70 साल लगे। हमें 70 साल नहीं लगेंगे, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सीनियर सदस्य श्रीमान् बालू जी ने एक सवाल उठाया कि संपत प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू-कश्मीर के जजमेंट के तहत, मैं जो यह बिल और संकल्प लेकर आया हूं, यह अनकांस्टीट्युशनल है। संपत प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू-कश्मीर के केस में दलील क्या है? उसके अन्दर

दलील यह थी कि आर्टिकल 370(3) अस्तित्व में ही नहीं रहता है क्योंकि जैसे ही जम्मू और कश्मीर की कंस्टीट्युएन्ट असेम्बली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 370(3) का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

मेरे पास जजमेंट भी है। उसके पैरा 5 और 6 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान खंड पीठ ने कहा कि आर्टिकल 370 (3) समाप्त नहीं हुआ है, आर्टिकल 370(3) पूर्णतया आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि एक दलील यह आई कि आर्टिकल 370(1)(D) का व्याप इतना नहीं है, एक लिमिटेड उपयोग है। ए.आई.आर., 1961, एस.सी. 1519, यह भी संविधान खंड पीठ है। उसने यह कहा - There is no reason to limit the word 'modification' as used in Article 370(1) only to such modifications as do not make any 'radical transformation'. Legislature can make any radical transformation. आप कुछ भी कर सकते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है।

जम्मू-कश्मीर के लिए बनाया गया कानून कैसे सांप्रदायिक दिखेगा? क्या वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते है? ऐसा कहा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। वहां माइनॉरिटी जैन भी है और सिख भी हैं। वहां माइनॉरिटी कमीशन को स्वीकार नहीं करके, धारा 370 ने माइनॉरिटीज के साथ अन्याय किया है। आज वहां माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और यह धारा 370 के कारण नहीं है।

इसके साथ उन्होंने कहा कि अब वहां का शासन उप राज्यपाल चलाएंगे, उनके सलाहकार चलाएंगे। इसका रिकॉर्ड ठीक रहे, इसलिए मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि वहां हमने असेम्बली का प्रोविजन किया है। जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद असेम्बली है, वहां विधायक भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, जन-प्रतिनिधि भी होंगे और उनका मंत्रिमंडल भी होगा, जो जम्मू और कश्मीर का शासन करेगा। किसी एडवाइजर के आधार पर इतना बड़ा राज्य चलेगा, इस प्रकार की आपकी दलील के साथ मैं सहमत नहीं हूं।

मसूदी साहब ने रेफरेंडम का मुद्दा उठाया। मसूदी साहब, रेफरेंडम तो तभी खत्म हो गया, जब पाकिस्तान ने वर्ष 1965 में भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया। अब यूनाइटेड नेशन में रेफरेंडम का कोई मुद्दा नहीं है और यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

अभी कहा जा रहा है कि 72 घंटे से कर्फ्यू है। मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं कि जब नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस के समय जब टेररिज्म बढ़ रहा था, तब कितने घंटों का कर्फ्यू होता था? अभी वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है। यह एहतियात है। यह परिस्थितिजन्य नहीं है। वहां स्थिति बिगड़ी है, इसलिए कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, बल्कि स्थिति न बिगड़े, इसके लिए कर्फ्यू लगाया गया है। मसूदी साहब, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप हाई कोर्ट में जज रहे हैं। मुझे लगता था कि आप अपना जजमेंट क्वोट करेंगे, मगर आपने नहीं किया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि यह जजमेंट खोखला है। मुझे लगता था कि आप क्वोट करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाई-लिखाई करके आज आया था। मगर अच्छा ही हुआ कि आपने क्वोट नहीं किया।

कुट्टी जी ने कहा गया कि आपका एजेंडा सांप्रदायिक है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं। धारा 370 कैसे एक सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है! क्या जम्मू-कश्मीर में हिन्दू नहीं रहते हैं, क्या वहां जैन नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते है, सिख नहीं रहते ह ै। कैसे यह सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? कुट्टी साहब, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? आप मुझे जरा समझाइए। जम्मू-कश्मीर के लिए बनाया गया कानून कैसे सांप्रदायिक दिखेगा? क्या वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते है? ऐसा कहा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। वहां माइनॉरिटी जैन भी है और सिख भी हैं। वहां माइनॉरिटी कमीशन को स्वीकार नहीं करके, धारा 370 ने माइनॉरिटीज के साथ अन्याय किया है। आज वहां माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और यह धारा 370 के कारण नहीं है।

कहा गया कि जमीन को बांटना कंसेन्ट के अलावा ठीक नहीं है। मैंने सुबह ही बहुत विस्तार से कहा कि

संविधान की किस धारा के तहत हमने यह किया है और यह अधिकार कहां से प्राप्त होता है, उसको सदन के सामने रखा है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। शशि थरूर जी ने कहा कि सिक्योरिटी की चिंता हो रही है।

थरूर साहब, वर्ष 1989 से लेकर आज तक 41,849 लोग मारे गए हैं। इसी रास्ते पर मारे गए हैं। मैं आप सब को हृदय से पूछना चाहता हूं कि क्या अभी भी उसी रास्ते पर चलना है? क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं सोचेंगे? दूसरे रास्ते से शांति आए, क्या इसका भी प्रयास नहीं करेंगे? क्या घाटी के लोगों की खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे? 70 साल से इसी रास्ते पर चले, जिसका आप आग्रह कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम आया? मैं पूछना चाहता हूं। 41,849 से ज्यादा लोग मारे गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। यह रास्ता जिम्मेदार नहीं है। कभी तो हमें अलग हटकर सोचना पड़ेगा। कब तक हम वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? जिस आइडियोलॉजी को हम स्वीकारते हैं, उसके आधार पर ही हर चीज के बारे में सोचेंगे, हमें देश हित की सोच करनी पड़ेगी, घाटी के युवाओं की सोच करनी पड़ेगी।

मेरी पार्टी की परम्परा है, ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, पार्टी के वोट बैंक के लिए या पार्टी को चुनाव में फायदा हो, इसलिए नहीं लेते हैं। ऐसे फैसले, देश का भला किसमें है, वह देखकर लिए जाते हैं। ऐसे फैसले, देश की सुरक्षा किसमें है, वह देखकर लिए जाते हैं। ऐसे फैसले, घाटी की जनता की भलाई किसमें है, वह देखकर लिए जाते हैं।

आज लद्दाख क्षेत्र के हमारे एक युवा साथी ने बहुत जोश के साथ सदन में भाषण दिया, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। लद्दाख की जनता के सारे ऐतिहासिक तथ्य सदन और देश के सामने रखे हैं। क्या हम इनकी भावनाओं को नहीं सुनेंगे, कब तक अनसुना करेंगे? बहुत लंबे समय तक अनसुना नहीं कर पाएंगे।

ओवैसी साहब ने कहा कि सदन ऐतिहासिक भूल करने जा रहा है। ओवैसी साहब, हम ऐतिहासिक भूल करने नहीं जा रहे, ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रहे हैं। इतिहास बताएगा कि भूल धारा 370 को डालना था। मुझे विश्वास है कि पांच साल के बाद जम्मू-कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है, उसे देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि धारा 370 का झुनझुना हमें जो पकड़ा दिया, उसने हमारा बहुत अहित किया।

उन्होंने भी नागा समझौते का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि मैं आयरन फेस को बनाने के लिए सब एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं लौह पुरुष बनना नहीं चाहता हूं। विनम्रता के साथ मै कहना चाहता हूं कि मेरा अस्तित्व एक छोटे से कार्यकर्ता का है और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। वह मुझे बहुत पसंद है। मेरी पार्टी की परम्परा है, ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, पार्टी के वोट बैंक के लिए या पार्टी को चुनाव में फायदा हो, इसलिए नहीं लेते हैं। ऐसे फैसले, देश का भला किसमें है, वह देखकर लिए जाते हैं। ऐसे फैसले, देश की सुरक्षा किसमें है, वह देखकर लिए जाते हैं। ऐसे फैसले, घाटी की जनता की भलाई किसमें है, वह देखकर लिए जाते हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सारे फैसले जो आज मैं सदन के सामने लेकर आया हूं, वे घाटी की जनता की भलाई के लिए हैं।

मान्यवर, आज पूरे दिन धारा 370 और 35A पर चर्चा चलती रही, मगर किसी ने यह नहीं बताया कि धारा 370 से फायदा क्या होगा? अगर धारा 370 चालू रखनी है, तो क्यों रखनी है, यह तो बताते! घाटी को भी मालूम पड़ता कि धारा 370 से हमें प्राप्त क्या होगा। मैंने धैर्यपूर्वक एक-एक शब्द सुना है, सबके भाषण सुने हैं। किसी की भी आर्ग्यूमेंट में यह नहीं आया कि धारा 370 कैसे कश्मीर का कल्याण कर सकती है, कैसे घाटी के लोगों का कल्याण कर सकती है, कैसे लद्दाख और जम्मू का कल्याण कर सकती है। कोई कल्याण कर ही नहीं सकती, तो आर्ग्यूमेंट कैसे आएंगे? मैं इसे हटाने का प्रस्ताव लेकर आया हूं, तो मैं बताता हूं कि धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कैसे बाधक है।

मान्यवर, धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक

है। जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन विकास को रोकने वाली, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। यह धारा 370 महिला विरोधी है, यह धारा 370 दलित विरोधी है, यह धारा 370 आदिवासी विरोधी है और यह धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद के ग्रुप्स बने।

मान्यवर, धारा 370 से क्या होता है? इस देश के कानून को जम्मू-कश्मीर में लागू होते हुए धारा 370 रोकती है। सब कानून जो देश की जनता ने पारित किए हैं और देश की भलाई के लिए किए। चाहे वह कांग्रेस की सरकार ने किए हों, बीजेपी की सरकार ने किए हों या कोई अन्य सरकार ने किए हों। संसद जो कानून का प्रसार करती है, वह देश की रिक्वायरमेंट को समझकर, देश की जनता की भलाई को समझकर करती है। क्यों धारा 370 का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर के सियासतदानों ने, तीन परिवार के लोगों ने इतने सारे कानून स्वीकार नहीं किए? यह कोई छोटी सूची नहीं है। 9 संविधान सुधारों के साथ, 106 कानूनों को आज हम जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं कर पाए हैं। वहां उन कानूनों का इख़्तियार नहीं है।

इस देश के कानून को जम्मू-कश्मीर में लागू होते हुए धारा 370 रोकती है। सब कानून जो देश की जनता ने पारित किए हैं और देश की भलाई के लिए किए। चाहे वह कांग्रेस की सरकार ने किए हों, बीजेपी की सरकार ने किए हों या कोई अन्य सरकार ने किए हों। संसद जो कानून का प्रसार करती है, वह देश की रिक्वायरमेंट को समझकर, देश की जनता की भलाई को समझकर करती है।

कौन से कानून हैं? जैसे बाल विवाह का कानून है। छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, भला यह कानून कैसे जम्मू-कश्मीर का विरोधी कानून है? देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अंदर नहीं है। कितनी भी छोटी बच्ची हो, उससे आप शादी कर सकते हो। किस जमाने में जम्मू-कश्मीर को डाल रहे हैं? धारा 370 को जो रखना चाहते हैं, उन्हें देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि बाल विवाह का आप समर्थन कर रहे हैं।

महोदय, नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी, वहां क्यों नहीं पहुंचाना है? वहां सिख रहते हैं, जैन भाई रहते हैं, लद्दाख बौद्ध धर्म मतावलम्बियों से भरा हुआ है। क्यों माइनोरिटी कमीशन नहीं बना?

महोदय, राइट टु एजुकेशन एक्ट में छः से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अधिकार देश की संसद ने दिया है। देश भर में बच्चों को अधिकार है कि वह राज्य से मांग करे कि 14 साल तक मेरी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की जाए। मसूदी साहब बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ाई-लिखाई हो रही है और मेरा अधिकार पढ़ाई-लिखाई का है, दोनों चीजों में मूलभूत अंतर है। देश के छः से 14 साल के सभी बच्चों को अधिकार है जबकि जम्मू-कश्मीर के बच्चों को नहीं है। यह धारा 370 ने दिया है। मसूदी साहब, आप बैठ जाएं, कुछ बचाव नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं है, सब खोखला है।

महोदय, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अब मैं पूछना चाहता हूं, जो धारा 370 को बचाना चाहते हैं, टीचरों को ढंग से बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें क्या आपत्ति थी? क्यों नहीं स्वीकार किया? धारा 370 के द्वारा रोक कर बैठे हैं।

लैंड एक्विजिशन स्वीकार नहीं किया। मल्टीपल डिसएबिलिटी एक्ट, दिव्यांगों के लिए और बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए कानून बना, लेकिन वहां के लिए स्वीकार नहीं किया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून बना, मैन्टेनेंस एंड वैलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट बनाया, उसको भी स्वीकार नहीं किया। इसमें क्या बुराई थी? धारा 370 ने क्या किया? क्या कभी डैप्थ में गए हो? जो लोग कटाक्ष लिखते हैं, मैं उनको भी सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या कभी इसके परिणामों के बारे में विचार किया है कि हमने घाटी और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की क्या गत कर दी है? उनको कितने अधिकारों से वंचित रखा है?

महोदय, मैंने सीनियर सिटिजन एक्ट के बारे में बता दिया। देश भर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू-कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं होगा चाहे निर्वाचन क्षेत्र में कितनी भी आबादी बढ़ जाए, एक ही जन प्रतिनिधि मिलेगा, क्यों? देशभर में बढ़ती आबादी के अनुपात में जन प्रतिनिधि मिले, क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है क्यों कि मेरा वोट बैंक घट रहा है, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। यह धारा हटते ही वहां बाकी सब धाराएं लागू हो जाएंगी।

व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता है और कोई व्यक्ति उसकी सूचना तंत्र को देता है तो उसे प्रोटेक्शन देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत जोर-जोर से इसकी प्रशंसा करती थी।

मगर वहां नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तीन परिवारों का शासन है। भ्रष्टाचार पनपता रहे, हमें कोई आंच नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि चिंता 370 की नहीं है, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है। इसी कारण से 370 के लिए हो-हल्ला हो रहा है। जम्मू-कश्मीर बैंक में जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आया, चेहरे पर पसीने आने लगे, ठंड में पसीने आने लगे, क्यों भला? हमें कोई चिंता नहीं है। इस देश में हम पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर के लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। 70 सालों तक तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर पर अपनी पकड़ बनाई। 73 वां और 74 वां संशोधन जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं आया, इसको स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेकर आए थे, मगर फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां हमारी वोट बैंक हर्ट हो रही है।

नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देश में सभी जगह है। वहां के वाल्मीकि भाइयों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए इस कमीशन को स्वीकार नहीं किया, कारण क्या है? कारण एक ही है कि जो चलता है उसे चलने दो, हम धारा 370 के प्रोटेक्शन में है, मगर आज यह प्रोटेक्शन जाने वाला है। सभी सफाई कर्मचारियों को देश के समान न्याय मिलेगा। ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन, दलितों के लिए रिजर्वेशन, मैं पोलिटिकल रिजर्वेशन की भी बात कर रहा हूं, वहां नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो 370 को बचाना चाहती है तो क्या आप दलित और ट्राइबल्स के रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर दलित और ट्राइबल भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा है, जम्मू-कश्मीर के अंदर क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो 370 की वकालत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं?

इसी प्रकार अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति प्रिवेंशन ऑफ़ अट्रोसिटी एक्ट की तरह द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्टर्स एक्ट बना है। जो वन में काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक्ट बनाया है, उनके आरोग्य के लिए, उन्हें उनके श्रम का उचित पारितोषिक मिले, मगर यह एक्ट भी वहां लागू नहीं है। मेरे गुर्जर भाई पहाड़ियों पर घूमते रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। धारा 370 बचाने वाले ये भी कर रहे हैं, इसको याद रखिए, जनता को हिसाब देना पड़ेगा। यहां पर आप मैंडेट के आधार पर बोलते हैं, जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपसे सब हिसाब मांगेगी।

बहुत सारे सेन्ट्रल एक्ट्स हैं, जिनके माध्यम से जम्मू-कश्मीर के विकास को रोका गया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों की भलाई को रोका गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर के लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। 70 सालों तक तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर पर अपनी पकड़ बनाई। 73 वां और 74 वां संशोधन जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं आया, इसको स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेकर आए थे, मगर फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां हमारी वोट बैंक हर्ट हो रही है।

आज मैं नरेन्द्र मोदी जी की इच्छाशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रपति शासन आते ही हमने वहां पंचायत चुनाव कराए। विधायक हो या सांसद, सिर्फ तीन परिवारों के पास पावर थी। आज जम्मू-कश्मीर के अंदर 40 हजार

पंच, सरपंच अपने गांव के विकास का खाका खुद खींच रहे हैं। आज उनके पास अधिकार हैं और 3500 करोड़ रुपये इन पंच, सरपंचों को आरटीजीएस के माध्यम से डायरेक्ट भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इनको रोका गया है। गरीबी की बात ले लीजिए इन्होंने अपने-आप को धारा 370 से प्रोटेक्ट कर दिया, जनता को 370 से गुमराह करते रहे, तीन परिवार ही चुनकर आते रहे।

पूरा देश जानता है कि कौन से तीन परिवार हैं, आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। यह सभी जानते हैं या नहीं जानते। सभी जानते हैं कि कौन से तीन परिवार हैं। मान्यवर, जम्मू-कश्मीर के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ। वहां पूरा पैसा जो जनता के कल्याण के लिए गया, लेकिन वहां पर इतना विकास नहीं हुआ, जितना विकास होना चाहिए था। अभी 370 की वकालत करने वाले कहेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है। मान्यवर, मैं आंकड़े देना चाहता हूं।

आर्टिकल 370 का उपयोग करके एक शेल्टर बनाकर अथाह भ्रष्टाचार करने का काम वहां के सियासतदानों ने किया है। मान्यवर, वर्ष 2011-12 में भारत में प्रति व्यक्ति 3,683 रुपये एवरेज भेजा, जिसमें जम्मू-कश्मीर भी आ जाता है। जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजे, लेकिन वहां विकास नहीं हुआ।

मान्यवर, वर्ष 2004 से 2019 तक दो लाख सत्तर हजार करोड़ (2,70,000 करोड़) रुपये भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दिए हैं, लेकिन आप जम्मू के गावों में जाकर देखिए कि वहां स्थिति क्या है। गांवों में जाकर देखिए कि कितनी गरीबी है, वह पैसा कहां गया। आर्टिकल 370 का उपयोग करके एक शेल्टर बनाकर अथाह भ्रष्टाचार करने का काम वहां के सियासतदानों ने किया है। मान्यवर, वर्ष 2011-12 में भारत में प्रति व्यक्ति 3,683 रुपये एवरेज भेजा, जिसमें जम्मू-कश्मीर भी आ जाता है। जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजे, लेकिन वहां विकास नहीं हुआ। वर्ष 2017-18 में 8,227 रुपये भेजे और अब जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2017-18 में 27,358 करोड़ रुपये भेजे हैं। अब जाकर जब वहां राष्ट्रपति शासन आया है तो उनके नसीब में गैस, बिजली, शौचालय भी आया है। गांव में रोड़ भी बन रही हैं और सरपंच और पंच बैठकर गांवों के विकास का खाका तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उनको आर्टिकल 370 नहीं हटाना है, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हो सकता। वे बेटियों की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे। अगर जम्मू-कश्मीर की बेटी किसी भारतीय से शादी करती है तो उसके बच्चों को जम्मू-कश्मीर का नागरिक बनने का अधिकार नहीं है। क्यों वहां सम्पत्ति लेने का अधिकार नहीं है? उनका क्या गुनाह है?

एक ही देश के अन्दर आर्टिकल 370 का उपयोग करके बेटियों की शादी कहां करनी है, क्या आप इसके लिए भी बाध्य करेंगे? यह आप कैसे कर सकते हैं? देश आगे बढ़ चुका है अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जम्मू-कश्मीर की बेटी कहीं पर भी शादी करे उसके बेटे बेटियों को अधिकार नरेन्द्र मोदी सरकार दे रही है।

मान्यवर, आतंकवाद को एक अलग फिलोसफी से देखने वाले लोगों ने आतंकवाद की बढ़ोतरी की। सुप्रिया बहन मेरी बात से सहमत नहीं होंगी, उन्होंने एक अलग थ्योरी रखी कि आतंकवाद का मूल गरीबी में है। सुप्रिया जी गरीब देश का वफादार होता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आतंकवाद जम्मू-कश्मीर में क्यों बढ़ा है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का अपप्रचार करके वहां पर अलगाववाद और बाकी सारी चीजों की स्वायत्ता की मांग का जहर हर रोज घोला गया, लोगों को इससे लगा कि हमें इससे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या मिला, कोई हिसाब देगा कि जम्मू-कश्मीर की जनता को क्या मिला? सिर्फ गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। किसका भला हुआ? सिर्फ इन तीन परिवारों का भला हुआ और किसी का भला नहीं हुआ इन तीन परिवारों का ही भला हुआ।

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर की जनता को क्या मिला? परिणाम यह हुआ कि सन् 1988 में जनरल जिया उल हक ने ऑपरेशन टोपेक की शुरुआत की। जरा सुनिए

जनता को जवाब देने के काम में आएगा। सन् 1988 में जिया उल हक ने ऑपरेशन टोपेक की शुरुआत की। मान्यवर तीन युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधे युद्ध न करके परोक्ष रूप से युद्ध लड़ने की शुरुआत की। उन दस्तावेजों के अन्दर धारा 370 और 35A का जिक्र है। उनमें जिक्र क्या है कि धारा 370 और 35A ऐसी हैं, जिसके कारण अलगाववाद खड़ा हो तो जम्मू-कश्मीर का युवा हमारे देश को और जम्मू-कश्मीर को अस्थिर कर सकता है। इसका उदाहरण यह है कि पाकिस्तान पूरे देश में पाक प्रेरित आतंकवादी संगठन तो चाहता है, वह चाहता है कि आतंकवाद बढ़े, पनपे, फले-फूले, लेकिन बाकी राज्यों में क्यों नहीं पला बढ़ा। जम्मू-कश्मीर अलगाववाद क्यों बढा? इसलिए बढ़ा क्योंकि वहां 370 के चलते अलगाववाद को जनता के बीच आरोपित करने का काम पाकिस्तान ने किया, इस को खाद और पानी देने का काम किया और वर्ष 1988 से आतंकवाद का एक बहुत बडा ताण्डव वहां शुरू हुआ। वर्ष 1989 से लेकर आज तक 41 हजार लोग मारे गए हैं। आज भी लड़ाई का अंत नहीं हुआ है।

अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर का और विशेषकर घाटी के युवाओं का भला नहीं हुआ। आतंकवाद के रास्ते पर जो युवा गए हैं, जिनके मन में अलगाववाद की भावना है, जो लोग अनुच्छेद 370 के लिए सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गया है, इस सदन के माध्यम से, मैं उन सबको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि आप हिसाब-किताब तो करिए कि आपको अनुच्छेद 370 से क्या मिला?

हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर का और विशेषकर घाटी के युवाओं का भला नहीं हुआ। आतंकवाद के रास्ते पर जो युवा गए हैं, जिनके मन में अलगाववाद की भावना है, जो लोग अनुच्छेद 370 के लिए सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गया है, इस सदन के माध्यम से, मैं उन सबको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि आप हिसाब-किताब तो करिए कि आपको अनुच्छेद 370 से क्या मिला? क्या आपको रोटी मिली, शिक्षा मिली, सुख-सुविधा, रोजगार मिला, आरोग्य मिला? क्या मिला आपको अनुच्छेद 370 से? क्यों झुनझुना पकड़े हुए हो?

अनुच्छेद 370 ने हमेशा जम्मू-कश्मीर को भारत के खिलाफ उकसाने का मौका पाकिस्तान को दिया। इसी के कारण आतंकवाद इतना बढ़ा और 41 हजार से ज्यादा लोग मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हम इसके मूल में जाना चाहते हैं। हमें इसकी चिन्ता नहीं है कि इतिहास कैसे लिखा जाएगा। मुझे मालूम नहीं कि इतिहास कैसे लिखा जाएगा, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर मुझे इतना मालूम है कि अनुच्छेद 370 का इतिहास लिखा गया है कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर के अंदर इतना आतंकवाद फैला है, अनुच्छेद 35A के कारण इतना आतंकवाद फैला है और 41 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मैं मानता हूं कि अनुच्छेद 370 के जाने से हम धीरे-धीरे घाटी के सभी लोगों को अपने नजदीक ला पाएंगे। उनके मन में एक नई आशा, नई उमंग ला पाएंगे और वहां पर विकास होगा।

मान्यवर, वहां गरीबी कैसे बढ़ी? देशभर में आज़ादी के समय भूमि की जो कीमत थी, उसमें कई गुना, सैकड़ों गुना बढ़ोतरी हुई, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खरीददारों को आपने लिमिटेड कर दिया। खरीदने वाला भी गरीब, बेचने वाला भी गरीब है, कैसे करेंगे? देश भर में जमीन की कीमत में वृद्धि हुई, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अंदर नहीं हुई। जब अनुच्छेद 370 हटेगा, वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां पर शिक्षा संस्थाएं जाएगी, वहां आरोग्य की संस्थाएं जाएगी, इंडस्ट्री जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो गरीबी हटेगी और उनकी भूमि की वैल्यू बढ़ेगी। ये कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर का क्या हाल होगा?

सुप्रिया बहन वहां के पर्यावरण और वहां की खूबसूरती की चिन्ता हो रही थी। सुप्रिया बहन, पर्यावरण और खूबसूरती के लिए देश भर में कानून बने हैं और अनुच्छेद 370 हटते ही वे सारे कानून वहां इम्पलीमेंट होंगे। उन्हीं कानूनों के तहत वहां का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और खूबसूरती भी अच्छी रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगा। हम इसको जरा

भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

मान्यवर, अनुच्छेद 370 पर कई बार चर्चा हुई, इस सदन में भी हुई। माननीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ने इंटरवीन करते वक्त इसका उल्लेख भी किया है। अनुच्छेद 370 पर जब चर्चा हुई थी, तब मधु लिमये, राम मनोहर लोहिया, इन्दर मल्होत्रा, श्री समनानी, अब्दुल गनी, जो कांग्रेस के संसद सदस्य थे और घाटी से थे, गोपाल दत्त मैंगी, श्याम लाल सर्राफ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने विचार रखे।

आज अटल जी का उल्लेख किया गया, अटल जी पूरा जीवन अनुच्छेद 370 के खिलाफ लड़े हैं और अपने जीवन में अनुच्छेद 370 की खिलाफत करते हुए, सत्याग्रह करते हुए साढ़े चार महीने जेल में भी रहे हैं। जब अटल जी की सरकार बनी, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास फ्रैक्चर्ड मैनडेट है, इसलिए मैं अनुच्छेद 370 को नहीं हटाऊंगा। आज विधाता की विधि का कमाल देखिए कि अटल जी की ही पार्टी के नरेन्द्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला है और आज अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है।

ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल से, 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं? ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि सारा सूफी संप्रदाय जम्मू-कश्मीर से उखाड़ कर फेंक दिया। क्या इस सूफी संप्रदाय के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे?

मान्यवर, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मधु लिमये सेक्युलर नहीं थे? मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या लोहिया जी सेक्युलर नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोहिया जी के लिए, लोहिया जी ने ढाई घण्टे के लम्बे भाषण में इसी सदन में खड़े होकर कहा है कि अनुच्छेद 370 भारत और कश्मीर को अलग करने वाला अनुच्छेद है, उसे तत्काल निकाल देना चाहिए, एक क्षण की भी देरी नहीं हो।

मान्यवर, अब्दुल गनी जी सेक्युलर नहीं थे क्या, इसका धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई लेना-देना नहीं था। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अंदर सभी धर्मों के बाशिंदे बसते हैं और सभी पर यह लागू होने वाला है, यह किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है।

मान्यवर, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि पार्टिशन हुआ। पार्टिशन होने के बाद पाकिस्तान से ढेर सारे शरणार्थी यहां आए। वे कच्छ में भी आए, हमारे यहां गुजरात में भी आए, पंजाब में आए, दिल्ली में भी ढेर सारे शरणार्थी बसे। मैं वो शरणार्थियों का नाम लेना चाहता हूं - डॉ. मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल। दो जम्मू-कश्मीर नहीं गए, पंजाब गए, तो आज वे देश के प्रधानमंत्री बन पाए। जो जम्मू-कश्मीर गए हैं, उनको वोटिंग राइट भी नहीं है। आडवाणी जी तो पहले आ गए थे। आज ये दो हमारे देश के बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वे जम्मू-कश्मीर नहीं गए थे, वे पंजाब गए थे। जम्मू-कश्मीर में जो गए, वे काउंसलर भी नहीं बन पाए, क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं।

ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल से, 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं? ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि सारा सूफी संप्रदाय जम्मू-कश्मीर से उखाड़ कर फेंक दिया। क्या इस सूफी संप्रदाय के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे? लाखों-लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर निकल गए, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे? धारा 370 कौन-सी ह्यूमन राइट्स की खैरख्वाह है?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो धारा 370 का समर्थन करते हैं, वे दलित विरोधी हैं, ट्राइबल विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं और जो 370 का समर्थन करते हैं, वे आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेन्द्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं।

मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें। बहुत चल दिए उस रास्ते पर, वह रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। उस रास्ते पर 41 हजार लोग जान गंवा बैठे हैं, वह रास्ता छोड़ें। मोदी जी और यह सरकार

जो नया रास्ता लेकर आई है, इस रास्ते पर आगे बढ़ें और घाटी, लद्दाख और जम्मू, तीनों की जनता को आज आजादी के बाद जैसे सब प्रदेशों के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेशों के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वह अधिकार दें और सच्चे अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दें।

माननीय अध्यक्ष :माननीय श्री अधीर रंजन जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह हमारी पार्टी है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, उस समय डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और टेलिकम्यूनिकेशंस छोड़ कर, सभी चीजों पर सूबे की सरकार का अधिकार था, लेकिन केन्द्र की सरकार ने धीरे-धीरे मान लीजिए कि 90 फीसदी अधिकार अपने कब्जे में ले लिया। अगर यह सरकार चाहती थी, तो बाकी विषय पर कहती है कि हमारे लिए यह दिक्कत आती है तो वह अपने कब्जे में ले सकते थे। इसके लिए धारा 370 का उन्मूलन करना जरूरी नहीं था।

मोदी जी और यह सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है, इस रास्ते पर आगे बढ़ें और घाटी, लद्दाख और जम्मू, तीनों की जनता को आज आजादी के बाद जैसे सब प्रदेशों के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेशों के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वह अधिकार दें और सच्चे अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): प्रधानमंत्री जी, आपने लाल किले से कहा था कि मैं कश्मीरियों को गोली से नहीं, बल्कि गले से लगाऊंगा। आज कश्मीर में एक कॉन्सेन्ट्रेशन कैम्प (Concentration Camp) हो गया, जहां कोई बाहर नहीं निकल सकता है।

माननीय अध्यक्ष : वहां पर किसी को गोली नहीं लगी है। माननीय सदस्य बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी, आप जवाब देना चाहते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हाउस अरैस्ट कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री जी छवि को धूमिल करते हैं। यह मैं जरूर कहूंगा। इसलिए प्रधानमंत्री आप खड़े होइए, कुछ बोलिए। हम आपसे सुनना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष :माननीय गृह मंत्री जी ने सारगर्भित जवाब दे दिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित के लिए सोचते हैं, लेकिन जिस तरह से धारा 370 का उन्मूलन किया जा रहा है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, देश की जनता क्या चाहती है, लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की जनता क्या चाहती है, इसकी नब्ज को समझकर ही प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला लिया है। यह बिल हम मूव कर रहे हैं और मैं सभी से अपील करता हूं कि इस ऐतिहासिक काम के अंदर सभी आगे बढ़कर साथ दें।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि यह सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि, वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड (1) के, जिसे नामत् निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

संविधान के समय-समय पर संशोधित, सभी उपबंध, बिना किसी संशोधन और अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे; इस बात के सिवाय, कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित, किसी अपवाद, अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज अथवा भारत के भू-भाग में कानून के प्रवर्तन, अथवा कोई अन्य लिखित संधि, अथवा समझौता, जैसा अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा अन्यथा न हो।

कुछ माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर

मतदान कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष: अब मतदानः

शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह हैः

हां : 351

नहीं : 72

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

Shri Asaduddin Owaisi (Hyderabad): Sir, I want division.

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह हैः

हां : 366

नहीं : 66

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, चूंकि श्री सौगत राय जी ने इस विधेयक पर संशोधन की सूचना दी है, वह अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं खण्ड 2 से 103 को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा।

खंड 2 से 103

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

कि खंड 2 से 103 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 103 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली से पांचवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाह: मैं प्रस्ताव करता हूंः

कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न यह हैः

कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

Shri K. Muraleedharan (Vadakara): Sir, I want division.

माननीय अध्यक्ष: अब मतदान।

लोक सभा में मत विभाजन हुआः

माननीय अध्यक्ष :शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है :

हां : 370

नहीं : 70

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 14. माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष जी, मैं इस बिल को विद्ड्रा करना चाहता हूं, क्योंकि सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित कर चूका है। इसके बाद इस बिल को लाने की जरूरत नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक राज्य सभा में पारित हुआ है तो मैं राज्य सभा से भी इस विधेयक को वापस लेने के लिए, जब राज्य सभा अस्तित्व में होगी तब दरख्वास्त करूंगा।

❖ ❖ ❖

कश्मीर की समस्या का समाधान का रास्ता धारा 370 की समाप्ति से निकलेगा: अमित शाह

जम्मू और कश्मीर संवैधानिक संकल्प एवं पुनर्गठन विधेयक

5 अगस्त 2019 I राज्यसभा

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संकल्प एवं विधेयक प्रस्तुति वक्तव्य एवं चर्चा का उत्तर

सभापति महोदय, मैं आज इस सम्माननीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं। उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। कुछ अपने विचार रखे हैं। कुछ genuine concern भी सदन के पटल पर रखे हैं और कुछ ने अपनी पार्टी की विचारधारा की लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर, मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि as a legislator, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत, धारा 370 के समाप्त होने से होने जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं इसके विषय पर जाने से पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, मैं डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं, जो कश्मीर के अंदर वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2018 तक जो रक्तपात चला, उसकी भेंट चढ़ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब कौन देगा? मुझे बहुत स्पष्ट कहना है कि 41,849 लोगों की जान नहीं जाती, अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग-अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35(A) पर बहुत सारी बातें कहीं, मगर ज्यादातर बातें तकनीकी आधार पर कहीं गई। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह... वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त हुआ है, वह किसी ने भी नहीं बताया है।

मैं सब चीज़ों को डील करूंगा, परंतु सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 35(A) और धारा 370 के जाने से क्या हो जाएगा?

मान्यवर, मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रचना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए - कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र में गए, कुछ जम्मू-कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू-कश्मीर में जो पाकिस्तान से शरणार्थी गए, उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली, वे वहां councillor भी नहीं बन सकते हैं। क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है? यह अन्याय है या नहीं? मान्यवर, इस देश को पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दो प्रधान मंत्री दिए - डॉ. मनमोहन सिंह और श्री इंदर कुमार गुजराल। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में जिसने शरण ली, वह कौंसिलर भी नहीं बन सकता है - यह कहां का न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यह अन्याय क्यों हो रहा है?

मान्यवर, ये कहते हैं कि धारा 370 और 35A चली जाएगी, तो कयामत आ जाएगी और धारा 370 के कारण ही जम्मू-कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बारे में बाद में बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया।

मान्यवर, धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र स्थानिक स्तर तक नहीं पहुंचा। धारा 370 और 35A के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, फला-फूला, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। धारा 370 और 35A के कारण ही वहां गरीबी घर कर गयी। आज पूरे देश में विकास दिखायी देता है, लेकिन घाटी के गांवों को देखते हैं तो हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी वे क्यों गुरबत में जी रहे हैं, क्यों गरीबी में जी रहे हैं। मान्यवर, वहां पर आरोग्य की भी इतनी सुविधाएं नहीं मिलीं, उसका कारण भी धारा 370 है। वहां पर जो विकास

नहीं हुआ, जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधक भी धारा 370 है, आज शिक्षा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, उसका भी कारण धारा 370 है। मान्यवर, यह धारा 370 महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी यही धारा 370 है।

मान्यवर, मैं सभी चीज़ों का डिटेल्ड जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। देश के संविधान में 73वां और 74वां संशोधन आया, देश भर में लागू हो गया। लेकिन चूंकि धारा 370 की वजह से यह संविधान संशोधन जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी उसे लेकर आए थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में वह लागू नहीं हुआ। जब आज़ाद साहब मुख्य मंत्री थे, तब भी नहीं कर पाए - क्यों नहीं कर पाए - क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां सहमति नहीं बन पा रही थी। मान्यवर, वहां पर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव नहीं होते थे। आज भी वहां पर 73वां और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज अगर यह सदन इस संकल्प को पास करेगा, कल लोक सभा पास करेगी और 73वां और 74वां संशोधन अपने आप जम्मू-कश्मीर में लागू हो जाएगा।

आज शिक्षा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, उसका भी कारण धारा 370 है। मान्यवर, यह धारा 370 महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी यही धारा 370 है।

मान्यवर, वहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर और लेजिस्लेटर सुना रहे हैं - 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन पर क्यों भरोसा नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि 40 हज़ार से ज्यादा पंच-सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार धारा 370 है। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन आया। राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू-कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए और आज 40 हज़ार पंच-सरपंच गांव की सेवा-सिद्धी कर रहे हैं, उनके हाथ में 3,500 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। यह अधिकार उन्हें नहीं मिला था, लेकिन कोई नहीं बोलेगा।

हम पर आरोप लगाया जा रहा कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। घाटी में क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? घाटी में मुसलमान भी रहते हैं, हिन्दू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं।

मान्यवर, तीन परिवारों के शासन ने जम्मू-कश्मीर में मोनोपॉली कर रखी है। जम्मू-कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को नीचे नहीं पहुंचने दिया लेकिन आज राष्ट्रपति शासन में, प्रधानमंत्री जी अगुवाई में वहां पर चुनाव हुए और 40 हजार पंच-सरपंच वहां काम कर रहे हैं। चुनाव में खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। चुनाव शांतिपूर्ण हुए और 7-5 परसेंट वोट लेकर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वहां पर 50-50 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह बात बताती है कि जम्मू-कश्मीर की जनता जम्हूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार मन बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किनारे करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू-कश्मीर का कितना नुकसान किया है।

मान्यवर, मैंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की गरीबी के लिए धारा 370 जिम्मेदार है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। यह 2,77,000 करोड़ रुपया नरेन्द्र मोदी पैकेज के अलावा है। मान्यवर, जब हम देखते हैं, तो जमीन पर कुछ नहीं हुआ। मैं इस बात पर बाद में आता हूं कि क्यों कुछ नहीं हुआ।

2011 और 2012 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3,683 रुपया भेजा था और जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा गया, मगर वहां विकास

नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेन्सियों को वहां एन्ट्री नहीं है। उन्हें कौन रोकता है? उन्हें धारा 370 रोकती है।

2017 से 2018 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज़ 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा था और जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया था, मगर यह नीचे तक नहीं जाता है, क्योंकि धारा 370 रूकावट डालता है। वहां का ही व्यक्ति बिज़नेस कर सकता है। चंद लोग, जो इन तीन परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली है, लोहे की एजेंसीयां ले ली हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर सीमेंट देश के अन्य हिस्सों से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी को वहां बिज़नेस करने की परमिशन नहीं है। वहां स्पर्धा ही नहीं होती है। इन तीन परिवारों का आशीर्वाद जिस पर होता है, वही बिज़नेस कर पाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो धारा 370 की वकालत करते हैं, कि यह भ्रष्टाचार का रुपया कहां गया?

वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वहां पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाला कोई कानून लागू नहीं होने दिया, जिसकी वजह धारा 370 है।

जम्मू-कश्मीर बैंक में ऑडिटर गया, प्रशासक रखा गया, तो मैंने अच्छों-अच्छों के माथे पर सर्दियों में पसीना देखा है। यह जो हो-हल्ला हो रहा है, वह जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है और जांच शुरु हुई है। मैं समझता हूं कि इसे एक अलग रंग देना चाहते हैं।

मान्यवर, घाटी के व्यक्ति को क्या मिला? देश आजाद हुआ, देशभर में एक एकड़ जमीन की औसतन कीमत 3 हजार रुपये थी। वह देश के कई हिस्सों में 10 लाख हो गई, कई हिस्सों में 30 लाख हो गई और कहीं पर 3 करोड़ हो गई। शहर के आसपास कहीं पर भी जमीन का दाम 10 लाख से कम नहीं है। आज जम्मू-कश्मीर में जमीन का क्या भाव है? जमीन की कीमत 3 हजार से 30 हजार भी नहीं हुई। जिसके पास भूमि है, उसकी भूमि का दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वहां खरीदार ही नहीं हैं, वहां कोई खरीद ही नहीं सकता है। जब कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो भला दाम कहां से बढ़ेगा! मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है, उसको आप गरीब क्यों रखना चाहते हो? आप उसकी वेल्थ को क्यों नहीं बढ़ाते हो?

मान्यवर, वहां जो गरीबी बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35(A) है। वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वहां पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाला कोई कानून लागू नहीं होने दिया, जिसकी वजह धारा 370 है।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख, जमीन पर स्वर्ग है, मुगल काल से सभी लोग यह मानते हैं। मगर जितना पर्यटन बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा। वहां पर बर्फ भी है, तालाब भी हैं, घाटी भी है, वन भी है। वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं भरी पड़ी हैं, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता है। वहां भला कौन जाएगा? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने किया है। बड़ी-बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती हैं, अच्छे-अच्छे होटल लगाना चाहती हैं, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं, घाटी के अंदर इनको खोलना चाहती हैं। यदि कंपनियां खुल गईं, तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा, परंतु वहां पर्यटन इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि धारा 370 के कारण कोई बड़ी ट्रैवल एजेंसी वहां जा नहीं सकती, कोई बड़ी कंपनी होटल भी नहीं बना सकती है।

महोदय, वहां हजरतबल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है। वहां पर रिलिजियस टूरिज्म की ढेर सारी

संभावनाएं भी पड़ी हैं, मगर इन सभी संभावनाओं का ढंग से दोहन नहीं हो पाता, वे एक्सप्लोर नहीं हो पातीं, उनका विकास भी नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो मुझे जरा समझा दें, कैसे लगाएगा? बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई वहां जाकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगाना चाहे, पंजाब से जाकर, हिमाचल प्रदेश से जाकर लगाना चाहे, तो वहां 35A और 370 है, वह वहां कैसे लगाएगा? क्यों आप मोनोपॉली में आज भी कश्मीर को जकड़कर रखना रखना चाहते हैं?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि ये जो आपको 370 का स्वप्न दिखाते हैं, 370 से घाटी का, उन युवाओं को कोई भला नहीं होने वाला है, केवल कुछ सियासतदारों का भला होने वाला है, कुछ पोलिटिशियन्स का भला होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि घाटी को कोई फायदा नहीं हुआ है उसका। कोई मुझे गिना दे कि क्या फायदा है, समझा दे कि क्या फायदा है? हां, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा, 370 चालू रखो, रोजगार मिल जाएगा, 370 चालू रखो, तनख्वाह, जो 5 हज़ार मिलती है, वह 15 हज़ार हो जाएगी, 370 चालू रखो।

मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि ये जो आपको 370 का स्वप्न दिखाते हैं, 370 से घाटी का, उन युवाओं को कोई भला नहीं होने वाला है, केवल कुछ सियासतदारों का भला होने वाला है, कुछ पोलिटिशियन्स का भला होने वाला है।

संस्कृती, भाषा की बात की जाती है। बाकी सारे राज्यों की इतनी सारी रियासतें जुड़ गईं, सबकी संस्कृति, भाषा विलुप्त हुई हैं क्या? क्या आज महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची? मान्यवर, मैं इस पर बाद में आता हूं।

महोदय, आज वहां पर आरोग्य, हेल्थ का भी खस्ता हाल है। क्योंकि जिस प्रकार से देश भर में आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से अकेली सरकारें इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं को अप टू दि मार्क नहीं रख सकती हैं। महोदय, कई जगहों पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया है, कई जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाया गया है, मगर यहां न पीपीपी मॉडल हो सकते हैं, न प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। अगर किसी के प्रभाव से चले जाएं, तो चले जाएं, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है, तो कोई कैसे जाएगा? क्या तर्क है इसके पीछे? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम। आज प्रधान मंत्री आयुष्यमान भारत योजना आ गई है, पांच लाख रुपये उपयोग करने का अधिकार मिल गया है। मगर अस्पताल कहां हैं? नर्स कहां है, डॉक्टर कहां हैं? वहां 35A है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? न वह अपना मकान खरीद सकता है, न अपनी भूमि खरीद सकता है और न ही ढंग से वहां रहकर अपना मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकता है। विश्व का कौन-सा बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा, मुझे जरा धारा 370 की वक़ालत करने वाले बताएं? मुंबई से कौन-सा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? ओडिशा में ढेर सारे डॉक्टर्स जाते हैं, देश भर के जाते हैं, दुनिया भर के जाते हैं, गुजरात में दुनिया भर के, देश भर के डॉक्टर्स आते हैं, क्योंकि उनको वहां पर घर खरीदने की परमिशन है। वह डॉक्टर वहां पर अपने आपको सेफ महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं चार पैसे कमाऊंगा, यहां इनवेस्ट करूंगा, तो वे सलामत हैं। मान्यवर, वहां कोई नहीं जाता, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में भी ढेर सारी कमियां दिखती हैं, उसका मूल कारण भी यह 370 ही है।

महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, वैसे मैं यह आंकड़ों के साथ, बहुत डिटेल में भी बता सकता हूं। मैं कल एक पत्र लिखकर गुलाम नबी आज़ाद साहब को आंकड़े भेजने भी वाला हूं कि आप भी देखिए, जरा पुनर्विचार कीजिए, अभी भी समय है।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहूं, तो देश भर के 14-6 साल के बच्चों को 2009 में ही शिक्षा का अधिकार मिल गया था। संविधान में सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, लेकिन यह अधिकार आज कश्मीर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे, जो लोग 370 के लिए बोलते थे,

चाहे कपिल सिब्बल साहब हों, चाहे चिदंबरम साहब हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, कहना चाहता हूं कि क्यों कश्मीर घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के समर्थकों को देना है। उनको वह अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने यहां संविधान में जो सुधार किए, उनको वहां स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं होगा। अगर कल लोक सभा इस संकल्प को पारित करती है, तो शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू-कश्मीर के हर बच्चे को मिल जाएगा।

मान्यवर, वहां पर निजी शिक्षण संस्थान नहीं हैं। वे क्यों वहां जाएंगे? कौन प्रोफेसर वहां पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? उसके नाम पर तो सम्पत्ति ही नहीं हो सकती तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। भला कौन वहां जाएगा? आप इसको क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं? कारण क्या है, मैं नहीं समझ पाता।

मान्यवर, इस प्रस्ताव के विरोध का कोई कारण हो, तो बताना चाहिए। आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमने यह नहीं किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम तो राष्ट्र हित का बिल लेकर आए थे, आपने इन्दिरा जी को इलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लाकर उसी दिन पारित कर इस देश की लोकतंत्र को, जम्हूरियत को खत्म किया और आज हमें उपदेश देते हैं! मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मैं तो जिस बिल को लेकर आया हूं, उस बिल के अन्दर मैं मानता हूं कि मतभेद हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि 370 और 35A हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और सच्चे अर्थ में जम्मू-कश्मीर 370 और 35A हटने के बाद भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बताया कि शेड्यूल 1 में जम्मू-कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल 1 में तो जम्मू-कश्मीर राज्य है, वह तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत के दोनों सदन जो कानून पारित करते हैं, क्या वह जम्मू-कश्मीर में लागू होता है? क्या जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है? सरकारें, सरकार चलाने के लिए कानून नहीं बनाती हैं, सरकारें नागरिकों के भले के लिए कानून बनाती हैं। अगर नागरिकों के भले के लिए इस देश की संसद ने, दोनों सदनों ने कोई कानून पारित किया, तो वह वहां पहुँचता ही नहीं है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि अंतर्राज्य शादियां होने लगी हैं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि Inter-State शादियां हो रही हैं। मुझे बताइए कि जम्मू-कश्मीर की एक बच्ची ने किसी ओड़िया भाषी से शादी कर ली, तो क्या उसको और उसके बच्चों को कश्मीर में कोई अधिकार मिलता है क्या?

गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि अंतर्राज्य शादियां होने लगी हैं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि Inter-State शादियां हो रही हैं। मुझे बताइए कि जम्मू-कश्मीर की एक बच्ची ने किसी ओड़िया भाषी से शादी कर ली, तो क्या उसको और उसके बच्चों को कश्मीर में कोई अधिकार मिलता है क्या?

कुछ समस्या नहीं होने वाली है। एक मेंटल बैरियर है, यह वोट बैंक की राजनीति है। खामख्वाह कुछ लोग बोझ लेकर घूमते रहते हैं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, मान्यवर, कुछ नहीं होने वाला है।

मान्यवर, यह 370 दलित और आदिवासी विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां कितने परसेंट OBCs हैं? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राम गोपाल यादव जी से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनकी पार्टी तो OBC की बात करने वाली पार्टी है। राम गोपाल यादव जी, आपको मालूम है कि कश्मीर में OBCs को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता है।

आदिवासियों को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता है, दलित को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसीलिए आज बहन मायावती जी की पार्टी ने इसका समर्थन किया है, वह इसके पक्ष में वोट डालेंगी। मैं सतीश चन्द्र मिश्रा जी को सुन रहा था। मान्यवर, हम कब तक इनके साथ अन्याय करेंगे? ये जो आदिवासी हैं, ये हिन्दू नहीं हैं। जो

कहते थे वोट बैंक, वोट बैंक, भाई, वे तो गुर्जर हैं, मुस्लिम गुर्जर हैं। उनको भी रिजर्वेशन से वंचित किया गया है। मान्यवर, जम्मू-कश्मीर के दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स, इनके लिए आज तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसका कारण भी धारा 370 ही है।

फिर कहा गया कि यह संवैधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। साहब, मुझे भी मालूम है कि कुछ पार्टियों ने NGOs की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये इस बिल को चैलेंज करेंगे, यह बात मुझे मालूम है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि किसी भी कानूनी परीक्षा से इस बिल को कुछ नहीं होने वाला है। हर प्रकार की कानूनी वैधता इसमें दी गई है।

मान्यवर, अब मैं आतंकवाद पर आता हूं। वहां पर आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा, लेकिन अब धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। हमें आतंकवाद की जड़ में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धारा 370 के भूत ने समय-समय पर वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन को गुमराह करके एक नाराज़गी की भावना खड़ी की और पाकिस्तान ने उस नाराज़गी की भावना का उपयोग किया। मान्यवर, आज तक आतंकवाद के कारण जम्मू-कश्मीर में 41,849 लोग मारे जा चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे क्यों मारे गए हैं? आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। चलो, यह एक मत हो सकता है, मगर आपकी पॉलिसी ने क्या किया? किसकी पॉलिसी के कारण 41,849 लोग मारे गए? जो पॉलिसी जवाहर लाल जी चालू करके गए थे, वही पॉलिसी आज तक चल रही है। पॉलिसी किसी ने नहीं बदली। इसका जिम्मेदार कौन है? वहां इतने लोग क्यों मारे गए?

धारा 370 के भूत ने समय-समय पर वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन को गुमराह करके एक नाराज़गी की भावना खड़ी की और पाकिस्तान ने उस नाराज़गी की भावना का उपयोग किया। मान्यवर, आज तक आतंकवाद के कारण जम्मू-कश्मीर में 41,849 लोग मारे जा चुके हैं।

मान्यवर, स्वायत्तता की मांग उठी। तीन युद्ध हारने के बाद 1988 में पाकिस्तान के जनरल ज़िया उल हक़ ने Operation Tupac को स्वीकृति दी, उसमें भी वह धारा 370 का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रुप खड़े करिए, जो कश्मीर के युवाओं को गुमराह करें और उन्हें भारत की मुख्यधारा से अलग करें और यह भी कहा गया कि जब तक 370 कायम है, तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ जुड़ नहीं सकता है। 1988 में Operation Tupac की शुरुआत हुई और 1989 से घाटी में आतंकवाद शुरू हो गया।

मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो पाक प्रेरित ग्रुप्स हैं, आतंकवादी हैं, वे तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता है, क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता? गुजरात का भी तो पाकिस्तान का बॉर्डर है! क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता है? क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता है? बाकी प्रदेशों के युवा इसलिए गुमराह नहीं होते, क्योंकि वहां धारा 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं है।

मान्यवर, समय-समय पर, जब भी आतंकवाद खत्म होने के कगार पर आता है, कुछ लोग धारा 370 को लेकर वहां के लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं कि कश्मीर के युवाओं को हुर्रियत, आईएसआई और घुसपैठियों ने गुमराह किया है, यह कारण है कि 1990 से 2018 तक, वहां 41,849 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है।

कहा गया कि रक्तपात हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप ऐसी शुभकामनाएं क्यों देते हैं? हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, आपको तो कहना चाहिए कि चलो, सब अच्छे से हो, शांति से हो। जो आप कह रहे हैं, उससे घाटी में क्या संदेश जाएगा? आप यहां खड़े होकर यह कह रहे हैं कि रक्तपात हो जाएगा, क्या ऐसा कहना उचित है? क्या यह सदन और हम वहां रक्तपात कराना चाहते हैं? इस सदन के माध्यम से हम घाटी में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि

आप 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में जीते रहो? क्या वहां के लोगों को 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का अधिकार नहीं है?

मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोग उकसाते हैं, उन सबके बेटे-बेटियां लंदन और अमरीका में पढ़ाई करते हैं। ज़रा वे भी घाटी में रहकर वहां के स्कूल में पढ़ें, ज़रा वे भी वहां के कॉलेज में पढ़ें, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि धारा 370 क्या है। धारा 370 की वकालत जितने भी करते हैं, ज़रा आप उनसे पूछिए कि उन सबके बेटे-बेटियां कहां पढ़ते हैं? उन्होंने तो अपने सब काम अच्छे से कर लिए हैं, इसलिए उनको इसकी चिंता नहीं है। घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने के लिए, उनका विकास न होने देने के लिए यह धारा 370 एक बहुत बड़ी बाधा है।

मान्यवर, मैं स्पष्टता से मानता हूं कि जब तक धारा 370 और धारा 35A हैं, कश्मीर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसी लिए कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, धारा 370 का हटना निहायत जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वे लोग घाटी के युवाओं को अपने गले लगाना चाहते हैं।

हम युवाओं को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्री लगेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट्स जायेंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा।

हम युवाओं को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्री लगेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट्स जायेंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा। हम उनको सम्पन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत में जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर में भी विकास हो, इसके लिए धारा 370 की बाधा दूर करना जरूरी है।

जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था धारा 370 घिसते-घिसते घिस जायेगी। मगर धारा 370 को इतने जतन से सम्भाल कर रखा कि 70 साल हो गये, मगर वह नहीं घिसी। अब आप मुझे बताइए, यह एक अस्थाई प्रावधान है, इसे सब स्वीकार करते हैं, क्या 'temporary' शब्द 70 सालों तक चल सकता है? यह कब जायेगा, कैसे जायेगा? इस temporary provision.. अस्थाई प्रावधान को कब तक चलाना है?

सरदार पटेल ने देश के 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़ कर अखंड भारत बनाने का प्रयास किया। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं कि जम्मू-कश्मीर को सरदार पटेल ने कभी डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ को डील किया था, जो आज भारत में है, और 370 के बिना है। उन्होंने हैदराबाद को डील किया था, जो आज भारत में है, और 370 के बिना है। जम्मू-कश्मीर को पंडित नेहरू ने डील किया था और यहां 370 है.... और आज हमें डील करना पड़ रहा हैं। सरदार पटेल के पास यह मसला था ही नहीं।

मान्यवर, कुछ लोगों ने कहा कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है। मगर मैं दो तिथियों का जिक्र करना चाहता हूं। महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर, 1947 को Instrument of Accession of Jammu-Kashmir में साइन किया गया। लेकिन धारा 370,1949 में आयी। मान्यवर, भारत के साथ जुड़ाव का धारा 370 से कोई लेना-देना नहीं है। यह भ्रामक प्रचार किया गया है।

मान्यवर, कहा गया कि धारा 370 नहीं रहेगी, तो जम्मू-कश्मीर भारत से अलग हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे अलग हो जायेगा। मैं घाटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारी रियासतें थीं। वे 370 के बगैर, 35A के बगैर भारत के साथ घुल-मिल गयी हैं, मगर सभी ने अपनी-अपनी संस्कृति बनाकर रखी हैं। महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है, गुजरात ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है, तमिलनाडु ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है, तेलुगू राज्यों ने अपनी संस्कृति

बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है। धारा 370 कैसे और किस प्रकार से आपकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करता है, यही मेरी समझ में नहीं आता है। 370 केवल और केवल 3 सियासतदारों के परिवारों को प्रोटेक्ट करता है। वे यह नहीं चाहते हैं कि धारा 370 हट जाए।

गुलाम नबी साहब ने कहा कि आज तो बम फूट गया, धारा 370 और 35A से संबंधित बिल लाकर हमने बम फोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं, 1950 से लगातार मेरी पार्टी के हर घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम धारा 370 को हटाएंगे। इस बार के घोषणा पत्र में भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि यह धारा भारत के हित में नहीं है और विशेषकर घाटी के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि धारा 370 तुरन्त हटनी चाहिए।

1950 से लगातार मेरी पार्टी के हर घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम धारा 370 को हटाएंगे। इस बार के घोषणा पत्र में भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि यह धारा भारत के हित में नहीं है और विशेषकर घाटी के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं है।

मान्यवर, 1964 में जब लोक सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी, चर्चा में भाग लेते हुए राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब तक धारा 370 है, तब तक भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता, एकरूपता नहीं आ सकती। मधु लिमये जी ने, सरजू पाण्डे जी ने, एस.एम. मुकर्जी ने, इन्दर मल्होत्रा जी ने, कश्मीर से आने वाले मुस्लिम सांसद, समनानी साहब और अब्दुल गनी गोन साहब ने, गोपाल दत्त जी ने, श्याम लाल सर्राफ ने और कांग्रेस के 14 संसद सदस्यों ने भी यही कहा, लेकिन उस दिन सदन को स्थगित कर दिया गया। दूसरे दिन, व्हिप लगाकर सदन में कांग्रेस के सदस्य इसके पक्ष में वोट न करें, इसकी व्यवस्था की गई। दूसरे दिन चर्चा हुई, और उस वक्त देश के गृह मंत्री, गुलजारी लाल नंदा को कहना पड़ा कि बहुत से सदस्यों की भावना है कि 370 हट जाए लेकिन अभी उचित समय नहीं आया है। उचित समय आने पर हम इस विषय पर सोच-विचार करके संवैधानिक कदम उठाएंगे।

महोदय, मेरा जन्म 1964 में हुआ था और मेरी आयु के 55 साल चले गए, लेकिन वह उचित समय अब तक नहीं आया। उचित समय तब आया, जब देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी बने। महोदय, इसमें किसी उचित समय की जरूरत नहीं थी, सिर्फ राजनितिक इच्छाशक्ति... पोलिटिकल विल की जरूरत थी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर, देश के हित में फैसला करने का जिगर चाहिए था और वह जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिखाया। राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही आज धारा 370 को सीज़ करने का प्रस्ताव लेकर मैं सदन में उपस्थित हुआ हूं।

धारा 370 का इससे पहले बहुत बार उपयोग और दुरुपयोग भी हुआ है। मैं यहां एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया, इंदिरा जी एक प्रस्ताव लेकर आईं कि सारे विधायक मंडलों और संसद सदस्यों का कार्यकाल 6 साल कर दिया जाए। उस समय जम्मू-कश्मीर असेम्बली ने, धारा 370 होते हुए, उस प्रस्ताव को लागू कर लिया और अपने सदस्यों का कार्यकाल 6 साल कर दिया। बाद में, मोरारजी देसाई देश के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने इस फैसलों को पूर्ववत कर दिया, 6 साल का कार्यकाल फिर से 5 साल कर दिया गया, लेकिन धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में कार्यकाल 5 साल नहीं हुआ। वहां आज भी सदस्यों का कार्यकाल 6 साल ही है। अगर इसी प्रकार आप शासन करते हैं तो मैं मानता हूं कि वह ठीक नहीं होगा।

कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी-अपनी जिज्ञासा प्रगट कीं। प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए? मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम रिजर्वेशन का बिल लेकर इसलिए आए हैं कि इस सदन में तो आज यह पास हो जाएगा, मगर दूसरा सदन क्या करेगा, मुझे मालूम नहीं है। अगर वहां का सदन भी इसे पहले पास कर दे तो मैं रिजर्वेशन के बिल को मूव नहीं करूंगा, क्योंकि फिर रिजर्वेशन बिल को मूव करने

की जरूरत ही नहीं होगी। 10 परसेंट रिजर्वेशन अपने आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिल जाएगा। स्वपन दासगुप्ता जी ने कहा कि धारा 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं - मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर सभापति महोदय की आज्ञा हो तो मैं पूरी constitutional position सदन के सामने रखने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य ने पूछा कि यूनियन टेरिटरी की रचना कब तक यह रहेगी? माननीय गुलाम नबी साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने भी यूनियन टेरिटरी बनने पर आपत्ति दर्ज की है। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, इसको फिर से पूर्ण राज्य बनाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आज इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है, तो हमें इसको कोई ज्यादा लंबा करने का शौक नहीं है और न हम करना चाहते हैं।

माननीय गुलाम नबी साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने भी यूनियन टेरिटरी बनने पर आपत्ति दर्ज की है। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, इसको फिर से पूर्ण राज्य बनाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्रीमान् तिरुची शिवा ने कहा कि बाकी सारे राज्यों के अंदर भी आप यह रूट लेंगे। मैं माननीय सदस्य शिवा जी को और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बाकी कोई राज्य में 370 नहीं है, इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी नहीं है, आज़ादी के बाद ढेर सारे विभाजन हुए हैं, हमने भी किया है। हमने उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, आपने आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया। मान्यवर, मुझे इतने सारी सलाह देते हैं, वे आंध्र और तेलंगाना के डिवीजन का दृश्य जरा आंख बंद करके याद करें कि कांग्रेस ने कैसे किया था। मैं तो सिर्फ आज बिल लाया और आपसे आज पारित करने का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय, आपने अपना विशेषाधिकार का उपयोग करके मुझे अनुमति दे दी, आपकी कृपा हो गई। तेलंगाना विधेयक के समय आपने तो सबको सदन से उठा कर बाहर डाला, दरवाजे बंद किये, टीवी बंद किया और उसके बाद आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया था, जो आज नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मत समझाइए कि किस तरह से होता है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि कश्मीर के इस 370 को बचाने के लिए हजारों महिलाएं विधवा हुई हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, विधवाएं जरूर हुई हैं... 41 हजार से ज्यादा लोग मारे गए... विधवाएं हुई हैं, लेकिन 370 के कारण हुई हैं।

मैं घाटी के लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि 70 साल 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार-बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूं कि हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पर भरोसा कीजिए। ये बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, उनकी मत सुनिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कश्मीर के युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि इस 5 साल में कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जिस मुद्दे को लेकर निकले थे, वह मुद्दा ही ठीक नहीं था।

मान्यवर, बाद में फाइनल सॉल्यूशन के बारे में टिप्पणियां की गईं, मगर मैं मानता हूं, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, समय जरूर लगेगा, मगर 370 का हटाना ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, यह मैं निश्चित रूप से मानता हूं। चिदम्बरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं? जो संवैधानिक आदेश है, 367 रेड विथ 371D है। आप एक बार ध्यान से उसे देख लीजिएगा, तो संवैधानिक आदेश की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी।

मान्यवर, मैं आज इस भाषण में कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारी सामग्री हैं, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बेंच और विपक्ष, दोनों के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अलग-अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने-अपने तरीके से, दिल से किया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि किसी ने प्रयास किया ही नहीं या आधा-अधूरा किया। सभी ने मन से किया है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, इस वास्तविकता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज मैं यह जो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूं, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा। मान्यवर, मुझे यह विश्वास है। मैं सभी को कहता हूं कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाएं और कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सरकार की भी सहायता करें। कश्मीर के युवाओं की भी सहायता करें। कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं, वे सब लोग एकत्रित होकर धारा370- हटाने का जो यह कदम हुआ है, उस कदम को हम कश्मीर की जनता के बीच में लेकर जाएं। यह सदन यूनाइटेड हो। सदन की काफी सारी पार्टियां, आमतौर पर जो पार्टियां हमारे साथ नहीं रहती हैं, ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन भाषण दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, बसपा ने किया है, एआईडीएमके ने समर्थन किया है, बीजेडी ने किया है, वाईएसआरसीपी ने किया है, टीडीपी ने किया है, बहुत सारे सांसदों ने समर्थन किया है, बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए हैं और सब लोग मानते हैं।

मैं सबको यह बात भी कहना चाहता हूं कि रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि धारा 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वहां की समस्या का समाधान हो जाएगा।

मान्यवर, मैं सबको यह बात भी कहना चाहता हूं कि रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि धारा 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वहां की समस्या का समाधान हो जाएगा। मान्यवर, जब जनता का इतना दृढ़ विश्वास है, तो आज जनता का विश्वास देखकर मेरा भी विश्वास बहुत बढ़ा है। मैं तो पहले से मानता हूं कि कश्मीर को नॉर्मल बनाने में धारा 370 सबसे बड़ा बाधक है। मुझे यह भी मालूम है कि कुछ पार्टियां इस पर वोट बैंक की राजनीति करेगी, इसे चैलेंज करके इसके रास्ते में बाधाएं भी खड़े किए जाएगी, तो सारे बाधाएं को पार करते हुए ये दो संकल्प, एक स्टेट रिआर्गेनाईजेशन बिल और चौथा रिज़र्वेशन बिल, ये सभी कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे।

मुझे भरोसा है कि कुछ दिनों में हम हंसता, डोलता, खिलता कश्मीर देखेंगे और वहां जो बम धमाके, गोलियां, बंदूकें और आतंकवाद पर दिख रहा है, उसकी जगह बच्चे हंसते-खेलते स्कूलों में जाएंगे, बुजुर्गों का इलाज भी होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलेगी और डल लेक घुमने के लिए भी नागरिक बगैर डरे आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा। हम ऐसे कश्मीर की रचना करेंगे। मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इन दोनों संकल्पों का और दोनों बिल्स का समर्थन करिए और कश्मीर में एक अच्छा मैसेज भेजिए। इतनी करबद्ध विनती करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है : कि यह सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि, वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड (1) के, जिसे नामत् निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः-

संविधान के समय-समय पर संशोधित, सभी उपबंध, बिना किसी संशोधन और अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे; इस बात के सिवाय, कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित, किसी अपवाद, अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज अथवा भारत के भू-भाग में कानून के प्रवर्तन, अथवा कोई अन्य लिखित संधि, अथवा समझौता, जैसा अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा अन्यथा न हो।

The motion was adopted

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।

Ayes 125
Noes 61
Abstentions 1
The motion was adopted.

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाहः मैं प्रस्ताव करता हूंः
कि विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न यह हैः
कि विधेयक को पारित किया जाए।
The motion was adopted.

❖ ❖ ❖

कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है: अमित शाह

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

28 जून, 2019 । लोकसभा

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पर वक्तव्य

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि यह सदन संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 जुलाई, 2019 से आगे छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करता है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004, का और

संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित

रूप में, विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों बिल्स पर सदन के 17 सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया है, कुछ लोगों ने सुझाव दिये हैं और कुछ लोगों ने विरोध किया है। मैं सभी सदस्यों का मन से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिन लोगों के मन में इस बिल के लिए कुछ-कुछ आपत्तियां थीं, आपके माध्यम से उन्होंने अपने विचार सदन में रखे हैं, मैं निश्चित रूप से उनका जवाब भी देना चाहूंगा।

काफी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की सवा सौ करोड़ जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर चल रही है और वह जारी है। आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ने के लिए यह सरकार दृढ़निश्चयी है और मुझे भरोसा है कि जनता के सहयोग से हम जरूर सफल होंगे।

मनीष तिवारी जी ने कहा कि यह जो लड़ाई है उसे विचारधारा से ऊपर उठकर लड़िएगा। मनीष जी, इसको विचारधारा से ऊपर उठकर जरूर लड़ना चाहिए, अगर विचारधारा वैसी हो। हमारी तो विचारधारा ही भारत माता के हित में समाहित है, इसलिए इससे ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी विचारधारा ही हमें बताती है कि टॉप-मोस्ट प्रायरिटी इस देश की सुरक्षा, देश की जनता की सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा, मेरी पार्टी की सरकार की विचारधारा ही इस लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है, ऐसा मेरा विनम्र मत है।

जब 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, श्री राजनाथ जी देश के गृह मंत्री बने, तो इस सरकार ने डे-वन से ही जम्मू-कश्मीर की शांति के लिए आतंकवाद को नष्ट करने को टॉप-मोस्ट प्रायरिटी दी है। यह ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ भाषणों की नहीं रही, यह ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ सदन में और राजनीतिक जलसों में तक़रीरों के लिए ही नहीं रही, इसको जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ढेर सारे कदम उठाए गए हैं।

पहले सीएपीएफ की कम्पनियों की कमी रहा करती थी, वह कभी इधर जाती थीं, कभी उधर जाती थीं। हमने कम्पनियां भी बढ़ाईं और कम्पनियों के आबंटन में जम्मू-कश्मीर को टॉप-मोस्ट प्रायरिटी पर रखा। सुरक्षा बलों की जितनी कम्पनियों की डिमांड है, उससे एक भी कम्पनी आज कम नहीं है।

सीएपीएफ के जवान देश भर में सुरक्षा का काम करते हैं, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, दंगों में भी काम करते हैं, चुनाव के वक्त भी वे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मगर जम्मू-कश्मीर में एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति है क्योंकि वहां जो आतंकवाद है, वह पाक-प्रेरित आतंकवाद है।

यह पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ प्रदेश है, यहां सीएपीएफ की कुछ विशिष्ट माँगें थीं, जिनमें हाई सिक्योरिटी इक्विप्मेंट्स में- बी. पी. व्हीकल्स, सीसीटीवी कैमरा, अत्याधुनिक गन्स, रडार, कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर

आदि चीजें थीं। पूरा एक पेज भर जाए, इतनी इनकी रिक्वायरमेंट्स आई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 2307 करोड़ रुपये खर्च करके उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं।

मैं कल ही रिव्यू लेकर आया हूं। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गईं। सीआरपीएफ के हेड, डीजी, वहां थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट ज़ीरो हुई है।

वहां एजेंसियों के को-ऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वहां सेना भी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी होती है, आईबी भी काम करती है, रॉ भी काम करती है, मिलिट्री एजेंसी भी काम करती है, सीआरपीएफ भी काम करती है और जम्मू-कश्मीर पुलिस भी काम करती है। जब इतनी सारी एजेंसियां एक छोटे से क्षेत्र के अंदर काम करें तो कॉर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत आती थी। पिछली सरकार के समय मल्टी डिसिप्लिनरी टैरर मॉनिटरिंग ग्रुप (TMG) बनाया गया। आज हर सप्ताह टीएमजी के सदस्य बैठते हैं और कोऑर्डिनेट होकर आतंकवाद का सामना करने का सफल प्रयास करते हैं।

जब इतनी सारी एजेंसियां एक छोटे से क्षेत्र के अंदर काम करें तो कॉर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत आती थी। पिछली सरकार के समय मल्टी डिसिप्लिनरी टैरर मॉनिटरिंग ग्रुप (TMG) बनाया गया। आज हर सप्ताह टीएमजी के सदस्य बैठते हैं और कोऑर्डिनेट होकर आतंकवाद का सामना करने का सफल प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रपति शासन लगाने पर जम्हूरियत की बात करते हैं और राज्यपाल शासन लगाने को लोकतंत्र का गला घोंटना कहते हैं , मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किसने किया है। हमने तो विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया। यह सदस्यों की जानकारी में रहे, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि इस देश में अब तक (आज होगा तो उसके बाद 133 हो जाएंगे) 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया है। 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। आज ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया है? एक विशिष्ट परिस्थिति है, आपने तो चुनी हुई 20-20 सरकारों को 356 के तहत एक दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया था। आपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए यह किया था। हमने कभी 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं। लोकतंत्र रहना चाहिए, यह बात तो ठीक है, मगर लोकतंत्र के रहते जब कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं, जिन पर वोट बैंक के लालच में कभी कुछ नहीं किया जाता तो इसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया? आप किस को खुश करना चाहते थे? यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर उसके कैडर को निष्क्रिय कर दिया। इतने सालों से जेकेएलएफ किस देश का लिब्रेशन करना चाहती है? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको देश का अंग न मानने वालों पर जेकेएलएफ पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले सभी लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत जितना पिछली सरकार के समय में जेल में डाला गया है, इतना आजादी के बाद कभी नहीं डाला गया। प्रिवेंटिव अरेस्ट को बधाई। जेलों की सुरक्षा चरमराई हुई थी। अंदर टैरिरिस्ट्स के ट्रेनिंग कैम्पस चलते थे। एके47- को कैसे चार मिनट में खोलकर असेंबल किया जाता है, इसके वीडियो बनते थे। हमारी सरकार ने जेलों की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया। आज जेलों के अंदर जो लोग जा रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि टैरिरिज़म को फैलाने का मतलब

क्या होता है। यह एहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो देश विरोधी बात करता था, उसको सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते थे। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था। चार भारत विरोधी बयान दे दो, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता। सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रैट नहीं है, मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, यह पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती थी। इसका रिव्यु कभी नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, 2 हजार लोगों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा दी गई थी, उसका हमने रिव्यु किया। उनमें से 919 ऐसे लोग थे, जिनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, उनको भारत विरोधी सर्टिफिकेट के कारण सुरक्षा मिली थी। उनकी सुरक्षा को हटाने का काम इस सरकार ने किया है।

पाकिस्तान के चैनल्स दिखाए जाते थे, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते थे, भारत के अंतर्गत विषयों को तोड़-मरोड़कर रखा जाता था। जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था, उन चैनलों पर रोक कभी नहीं लगायी गयी। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान राजनथ सिंह जी बैठे हैं, उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं, देश के प्रधान मंत्री का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के अनऑथराइज्ड चैनल थे, उनका प्रसारण इस सरकार ने बंद करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। माननीय सदस्य मनीष जी ने ठीक ही कहा है कि हर पार्टी जब सरकार में रही है, उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, इसको नेस्तनाबूत करने के लिए प्रयास किया है। इसका किसी ने समर्थन नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने-लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है।

पहले लड़ाई क्या चलती थी कि टेरेरिस्ट घुसपैठ करते थे, यहां के अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बड़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे, बेरोकटोक भारत के अंदर टेरेरिज्म को फैलाते थे और हम उन टेरेरिस्टों को मारते थे, उन अपने ही लड़कों को मारते थे। अपनी जमीन पर अपने सुरक्षाकर्मी, अपने लड़के और टेरेरिस्ट भी मरते थे।

हम सब को मालूम है कि कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेरेरिज्म की समस्या है, वह पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेरेरिज्म पाक प्रेरित टेरेरिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे। देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया।

एप्रोच क्या होनी चाहिए? टेरेरिज्म कहां से आता है? हम सब को मालूम है कि कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेरेरिज्म की समस्या है, वह पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेरेरिज्म पाक प्रेरित टेरेरिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे। देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़नी हो तो वे लड़ते ही हैं और मजबूती से लड़ते हैं आगे और भी मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेरेरिज्म की जड़ है, वहां, उनके घर में घुसकर, उनके दिल दहलाने वाले हमले करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, सवाल उठाए गए, शान्ति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं कि रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए देश की जनता और दुनिया के सामने कि हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई, पूरे के पूरे टेरेरिस्ट मारे

गए। माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए और हमने कोई हमला नहीं किया है। यह भारत का आत्म रक्षा का अधिकार है। एक सार्वभौमिकता प्राप्त करने वाले देश को अपनी आत्म रक्षा का अधिकार है और सर्जीकल स्ट्राइक तथा एयर स्ट्राइक दोनों भारत की आत्म रक्षा के अधिकार का प्रयोग है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया भर के डिफेंस के पण्डित कहते थे कि ये भारत की नीति नहीं है, ये Fluke है, अचम्भे में हो गया है, अचानक कर दिया है। यह बात भी सही थी, पहली बार हो रहा था। जो बोलते थे, वह तो हम सुनते थे। जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलवामा हमला हुआ, हमारे 40 सी.आर.पी.एफ. के जवान शहीद हो गए। सब को लगता था कि अब क्या होगा? अचानक से तो अब नहीं होगा, पाकिस्तान सावधान है। सेना तैनात कर दी, टैंक लगा दिए, मगर माननीय अध्यक्ष जी, नरेन्द्र मोदी सरकार का देश की रक्षा के लिए कमिटमेंट जस का तस था। उन्होंने टैंक बिछाए, तोपें बिछाईं, सेना बिछा दी, नरेन्द्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई नहीं कहता कि यह Fluke है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने-करने में अंतर है और उनके परिणामों में भी अंतर होता है।

एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई नहीं कहता कि यह Fluke है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने-करने में अंतर है और उनके परिणामों में भी अंतर होता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो इसमें जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे लगता था कि सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का मौका ही नहीं आएगा। मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात की। इन्होंने इतिहास की बात की है, तो मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये इतिहास की बात करते हैं। इन्होंने विभाजन की बात की, कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्तरंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम न उस वक्त विभाजन का समर्थन करते थे, न आज करते हैं। मनीष जी विभाजन का सवाल उठा रहे हैं। किसने किया विभाजन? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह ऐतिहासिक गलती हुई है। इसकी उंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। मगर हमने वह गलती नहीं की है। गलती आपने की है, आपकी पार्टी ने की है और इस इतिहास से आप भाग नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें इतिहास की दुहाई दे रहे हैं। एक तिहाई हिस्सा जम्मू-कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि की तो वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई। उसने पाकिस्तान की कबीलाई के रूप में भेजी हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते-खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एल.ओ.सी. तक पहुंचे। किसने सीज़फायर कर दिया?

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहर लाल नेहरू उस वक्त प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने सीज़फायर किया। वह हिस्सा आज भी पाकिस्तान में है। आप हमें इतिहास सिखाते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, फलाने को नहीं लेते, ढिमके को नहीं लेते। जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर यह कर दिया। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के कब्ज़े में होता। इसको वापस लेने के लिए इतनी जद्दोज़हद न होती और शायद भरोसे में लेते तो टेरेरिज्म का मूल ही न उगता। इसलिए, मनीष जी इतिहास हमें मत सिखाइए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 600 से ज्यादा रियासतें थीं,

राजे-रजवाड़े थे। ओवैसी जी चले गए हैं। वह मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसी प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुई थी। मजलिस ने ऐसा किया था। ऐसी प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुई थी, मगर ये दोनों प्रॉब्लम्स सरदार पटेल जी टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा हैं। उस वक्त जम्मू-कश्मीर कौन देख रहा था? माननीय अधीर रंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने सवाल नहीं खड़े किए। जवाब क्यों न दें? उस भूल के कारण आज देश को सज़ा भुगतनी पड़ रही है। उस भूल के कारण आज हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। उस भूल के कारण देश टेररिज्म का शिकार बना है। क्यों न दें जवाब? क्यों न दें नाम? जरूर देंगे। ये इतिहास का हिस्सा हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे तब मैंने ट्रैज़री बैंचिज़ से भी आग्रह किया था कि कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। आपने भी कहा था। अगर आपको कोई बात कहनी है तो माननीय गृह मंत्री के बाद दो मिनट बोलने का समय आपको भी दिया जाएगा।

अधीर रंजन जी जिस संधि की बात कर रहे हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह संधि सिर्फ जम्मू-कश्मीर के साथ नहीं हुई थी, देश की 630 रियासतों के साथ हुई थी। मेरा कहने का यही मतलब है कि 630 रियासतों के साथ संधि हुई, कहीं 370 नहीं है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक ही जगह नेगोसिएशन किया था और आज वहां 370 है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप इनसे रेज़ोल्यूशन पर बोलने के लिए कहिए।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी जिस संधि की बात कर रहे हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह संधि सिर्फ जम्मू-कश्मीर के साथ नहीं हुई थी, देश की 630 रियासतों के साथ हुई थी। मेरा कहने का यही मतलब है कि 630 रियासतों के साथ संधि हुई, कहीं 370 नहीं है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक ही जगह नेगोसिएशन किया था और आज वहां 370 है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): स्पेशल सिचुएशन थी (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि स्पेशल सिचुएशन थी। इनके अप्रोच के कारण ही इस समस्या का उद्भव हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कहा जा रहा है कि भरोसा नहीं है। मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूं कि जम्मू-कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच में खाई पैदा हुई है। मगर भरोसा क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले से भरोसा बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया था। मैं थोड़ा-और इतिहास में पीछे जाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के अंदर सन् 1931 में मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। इसके नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला साहब। मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने वहां पर लंबे समय तक अपनी पार्टी भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुस्लिम कान्फ्रेंस को चलाना चाहते थे, समर्थन करना चाहते थे।

माननीय अध्यक्ष जी, परिणाम क्या हुआ? Congress Party put all the eggs in Sheikh Abdullah's basket. सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे और अब्दुल्ला साहब टोकरी लेकर ही भाग गए। स्थिति क्या पैदा हुई? शेख अब्दुल्ला साहब को वहां का प्रधान मंत्री बनाया गया। 23 जून, 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में दो प्रधान मंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए, जम्मू-कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था और जेल के अंदर उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई थी। अब कहेंगे कि अगर मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसकी जांच तो हो सकती है। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देश के विपक्ष का नेता था। नई बनी हुई, मगर एक पार्टी का नेता था। देश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, बंगाल के नेता थे। अगर आज बंगाल भारत में है, तो उसमें श्यामा प्रसाद जी का योगदान है। वरना आज बंगाल भारत में नहीं होता।

उसके बाद देश में ऐसे हालात बने कि 8 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला को पदच्युत करके उनको जेल में

डालना पड़ा। किसने भरोसा किया? क्यों भरोसा किया? वहीं से यह विश्वास टूटने की बात शुरू हुई है, मनीष भाई।

माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं करते हैं, तो जम्मू-कश्मीर की आवाम के अंदर शंका पैदा होती है। अच्छा हो गया कि ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी जी ने भी कहा कि चुनाव कराने चाहिए, शंका उत्पन्न होती है। चुनाव कराए गए 1957 में, चुनाव कराए गए 1962 में, चुनाव कराए गए 1967 में, शंका क्यों उत्पन्न होती है, उसका मूल वहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव फर्ज़ी कराए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर की जनता को वोट नहीं देने दिया गया। हमारी सरकार नहीं थी, न 1957 में थी, न 1962 में थी और न ही 1967 में थी। ये तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक थे। वहीं से जम्मू-कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है, जो आज बड़ा पेड़ बनकर, दरख्त बनकर खड़ा है। यह हमने शुरू नहीं किया है।

चुनाव कराए गए 1957 में, चुनाव कराए गए 1962 में, चुनाव कराए गए 1967 में, शंका क्यों उत्पन्न होती है, उसका मूल वहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव फर्ज़ी कराए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर की जनता को वोट नहीं देने दिया गया। हमारी सरकार नहीं थी, न 1957 में थी, न 1962 में थी और न ही 1967 में थी।

यहां पर जम्मू-कश्मीर के सदस्यड़ भी बैठे हैं। वे शायद अब्दुल खालिक के नाम को जानते होंगे, जो श्रीनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आधी घाटी श्रीनगर जिले में आती थी, उस वक्त ज्यादा जिले नहीं थे। उस वक्त दो हिस्से होते थे, एक जनता के चुने हुए एमएलए होते थे और एक खालिक साहब के बनाए हुए एमएलए होते थे। तीनों चुनावों के अंदर ख़ालिक साहब के सामने ही पर्चे दिए जाते थे। ख़ालिक साहब उनको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे और 25 से 31 तक मेंबर निर्विरोध चुने जाते थे। यह डैमोक्रेसी का मज़ाक हमने नहीं उड़ाया था। डैमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं की थी। जब ख़ालिक जैसे लोग सरकार के एजेंट बन कर चुनाव कराते हैं तो जनता के मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, और उसमें से शंका उत्पन्न होती है।

चुनाव तो सन् 1977 में मोरारजी भाई ने कराए थे। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराए थे, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार था। चुनाव हमारे शासन में हुआ। हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए किसी ख़ालिक को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मेंडेट दिया, उसको हमने स्वीकार किया।

मैं अभी-भी कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव डैमोक्रेटिक तरीके से कराए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। केन्द्र सरकार का उसमें कोई दख़ल नहीं होगा। कुछ सदस्यों ने पूछा कि चुनाव कब कराएंगे? सवाल आपकी बेंच से ही उठा। इसलिए उठा कि पहले इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस पार्टी चलाती थी, लेकिन हम नहीं चलाते हैं। हमारे समय में इलेक्शन कमीशन के फैसले इलेक्शन कमीशन ही करता है। रिकॉर्ड है। साहब, ऐसे भी तीन अलग-अलग चुनाव आपने कराए हैं। इतिहास में मत ले जाइए। इतिहास में ले जाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा और बाद में वहां से डांट भी खानी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आज कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं। जीतती हैं और जीतकर आती हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नियंत्रण में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जो रिगिंग नहीं करती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, शेख़ अब्दुल्ला जी को जेल में डाला, बाहर निकाला। फिर से मुख्यमंत्री बनाया, फिर से झगड़ा किया। फ़ारुख़ अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री बनना और फ़ारुख़ अब्दुल्ला को बाहर निकालने का भी एक बड़ा इतिहास है। यहां से बी. के. नेहरु गवर्नर बन कर गए। उनको कहा गया कि अब आप राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजो। बी.के. नेहरु कौन हैं, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है। किनके रिश्तेदार हैं, वह भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आज बी.के. नेहरु साहब की सराहना

करना चाहता हूं कि उन्होंने वह रिपोर्ट नहीं भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। वे रुक सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह में ही बी.के. नेहरु का इस्तीफा कराया गया और दूसरा गवर्नर भेजा गया। दूसरे गवर्नर ने तीन ही दिन में 356 का उपयोग किया।

माननीय अध्यक्ष जी, शंका क्यों पैदा हुई थी? जम्मू-कश्मीर की आवाम के दिमाग के अंदर शंका किसलिए पैदा हुई? शंका के बीज किसने रोपे? हमने नहीं रोपे थे। शंका के बीज रोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, गुलाम मोहम्मद साहब को पार्टी तोड़ कर मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक महीने के अंदर ही सिचुएशन ऐसी हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कि गुलाम मोहम्मद शाह भारत के किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं या पाकिस्तान के किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनके बयान इस तरह से आते थे कि उनको भी अंत में हटाना पड़ा। यह पूरी जो उठा-पटक चली, शेख़ अब्दुल्लाह साहब से ले कर गुलाम मोहम्मद साहब तक की, उस उठा-पटक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नेंस समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टैरेरिज्म के खिलाफ हमारी जो लड़ने की मंशा थी, सिक्योरिटी फोर्सेज़ का जो हौसला था, जम्मू कश्मीर की जनता का जो विश्वास था, वह चूर-चूर हो गया और टैररिज्म Peak पर पहुंचता गया।

गुलाम मोहम्मद साहब को पार्टी तोड़ कर मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक महीने के अंदर ही सिचुएशन ऐसी हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कि गुलाम मोहम्मद शाह भारत के किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं या पाकिस्तान के किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनके बयान इस तरह से आते थे कि उनको भी अंत में हटाना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बताता हूं कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। रोग क्या है, वह समझना पड़ेगा। उसकी दवाई करनी पड़ेगी, भले ही कटु हो, वह दवाई ही रोग को खत्म कर सकती है। आतंकवाद को वह दवाई ही समाप्त कर सकती है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरी कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिलता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहां लिखा है, वहां चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेन्द्र मोदी जी ने यात्रा कर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगा कर झंडा फहराया। उस वक्त हम नहीं थे, हम दूर-दूर तक सत्ता में नहीं थे।

ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही है, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा होना ही चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है, उनके मन में डर पैदा होना ही चाहिए। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं। यह रिकार्ड इस हाउस में क्लियर है। हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। उनके मन में डर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जम्मू-कश्मीर की आवाम के मन में डर होना चाहिए। हमने तो उनको देश भर में घुमाया, बच्चों की नौकरियों पर बाद में आऊंगा, क्या-क्या किया है, बच्चों को नौकरियां देने की शुरुआत की, कोर्टों को Establish किया, स्कूलों को फंक्शनिंग में लाए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, मिड-डे-मील उन तक पहुंचता रहा और जम्मू कश्मीर की घाटी की विधवा बहनों तक विधवा पेंशन पहुंच रही है। एक बूढ़े कश्मीरी को बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है। उनको आज प्रधान मंत्री जी का कार्ड मिल गया है, जिससे पांच लाख तक का इलाज वह फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहे हैं। उनके घर में उन्होंने गैस के सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखा था, आज उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, शौचालय पहुंचा है। अध्यक्ष जी, हम डर पैदा नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को हम अपना मानते हैं, वह हमारी है। हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, हम गले से लगाना चाहते हैं। मगर आपने जो शंका का पर्दा डाला है, वह हटाने में हमें तकलीफ हो रही है। मैं इसलिए पूरे इतिहास में जा रहा हूं। अधीर रंजन जी ने कहा कि पीछे का क्यों बता रहे हैं। दो बातें हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैंने पीछे का नहीं बोला, मैंने कहा असलियत बताइए।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं असलियत ही बता

रहा हूं। अभी तो बहुत है, जरा सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कश्मीर की आवाम की चिंता करने वाली सरकार है। आज तक उनकी पंचायतों को अपना पंच और सरपंच चुनने का अधिकार किसने नहीं दिया था। सिर्फ तीन ही परिवार इतने साल तक कश्मीर पर शासन करते रहे। पंचायत का शासन भी वह करे, तहसील पंचायत का भी वही करे, जिला पंचायत का भी वह करे, म्यूनिसिपेलिटी और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का भी वह करे और सरकार भी वह चलाए, क्यों? जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? आज माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे यह बताते हुए, इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 40 हजार पंच-सरपंच अपने अधिकार के साथ अपने गांव का विकास कर रहे हैं। विश्वास इस तरह से खड़ा होता है। विश्वास खड़ा करने की प्रकियाएँ हैं, हमने तो अधिकार दिए, आपके समय में अधिकार छीने गए हैं। हसनैन साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अधिकार हमने दिया है। अधिकार हमने दिया है और यही तकलीफ है कि अधिकार तीन परिवारों के पास से निकल कर जनता के पास जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत का चुनाव होना चाहिए, भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी का ही यह सपना था, इसी सदन के अंदर लेकर आए। मगर दुःख का विषय यह है कि जम्मू-कश्मीर तक नहीं पहुँचा। वह जम्मू-कश्मीर तक पहुँचाने का काम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है। हमने जम्मू-कश्मीर के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे हैं, जिसमें असेम्बली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर खून की नदियां बही हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। 40 हजार पदों के लिए 4 हजार गांवों में चुनाव हुआ, खून का कतरा भी जम्मू-कश्मीर की भूमि पर नहीं गिरा है और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। अभी लोक सभा चुनाव हुआ, खून का एक कतरा भी जम्मू-कश्मीर की जमीन पर नहीं गिरा और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है, मगर यह कंट्रोल आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग है, हमारा देखने का नज़रिया अलग है।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक जम्मू-कश्मीर की जनता को भरोसे में लेने का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उनके कल्याण का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि उनको कुछ ज्यादा भी देना पड़ेगा, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है। कुछ ज्यादा देने में नरेन्द्र मोदी जी का या हमारी सरकार का दिल कोई छोटा नहीं हो जाएगा, हम बड़े हृदय के साथ राज्य के विकास में लगे हैं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक जम्मू-कश्मीर की जनता को भरोसे में लेने का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उनके कल्याण का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि उनको कुछ ज्यादा भी देना पड़ेगा, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है।

महोदय, मैं फिर एक बार कहता हूं कि यह सिर्फ तकरीर नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम जम्मू-कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यह सिर्फ तकरीर नहीं है, भाषण नहीं है, जम्मू-कश्मीर के आवाम की खुशहाली के लिए, जम्मू-कश्मीर के आवाम को विकास देने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए। 7 नवम्बर, 2015 को प्रधान मंत्री जी ने, आजादी के बाद सबसे बड़ा, 80 हजार करोड़ रुपये का, एक विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए देने का काम किया।

महोदय, इस पैकेज के पहलुओं में जाते हैं तो यह पैकेज सर्वस्पर्शी है। यह लद्दाख को भी स्पर्श करता है, जम्मू को भी स्पर्श करता है, घाटी को भी स्पर्श करता है और पहाड़ियों को भी स्पर्श करता है। यह पैकेज सर्व समावेशक पैकेज है। इसमें जम्मू-कश्मीर के हरेक नागरिक का समावेश हुआ है। इस पैकेज के तहत 63 बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के हैं, 16 बड़ी सड़कें हैं, 8 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 2 एम्स हैं, 2 आईआईएम हैं, 1 आईआईटी है। पैकेज की घोषणाएं तो बहुत सारी हुई हैं। कल मैं रिव्यू लेने के लिए गया था, एक ब्रिज के बारे में मुझे बताया

गया, 32 साल पहले उसका भूमि पूजन हुआ है, 2 खंभे वहां लगे हैं, मगर ब्रिज निर्माण अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।

महोदय, नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है कि जिसका भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। लगभग 82 प्रतिशत धनराशि भेजी जा चुकी है। 44 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि के टेंडर आबंटित हो चुके हैं और 16 प्रोजेक्ट्स अब तक पूरे समाप्त होकर माननीय प्रधान मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी ने उनका उद्घाटन करने का काम भी समाप्त कर दिया है।

महोदय, लद्दाख के क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख का 45 प्रतिशत भू-भाग है, मगर वहां पर स्थानीय ईकाई के चुनाव हो सकें, ऐसी स्थिति नहीं है। वे बिखरे पड़े हैं। वे बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर छिटपुट-छिटपुट रहते हैं। हमने वहां की हिल काउंसिल को पंचायत की तरह उनके विकास का अधिकार उनको सुपुर्द करने का काम किया और आजादी के बाद पहली बार लद्दाख को लग रहा है कि हिल काउंसिल की दृष्टि से हमें हमारा बजट खूब मिलेगा।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है कि जिसका भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। लगभग 82 प्रतिशत धनराशि भेजी जा चुकी है। 44 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि के टेंडर आबंटित हो चुके हैं।

महोदय, उनकी फरियाद थी कि हमें प्रशासन का अनुभव नहीं है। आजादी के बाद पहली बार हमें अधिकार मिला है, हो सकता है कि हम इसे खर्च न कर पाएं, आप एक ही साल की अवधि देते हो, तो हमने लद्दाख को एक स्पेशल फेवर दिया है कि इनकी काउंसिल को जो भी बजट दिया जाएगा, वह लैप्स नहीं होगा, वह क्यूम्यूलेटिव इफेक्ट से सालों तक बरकरार रहेगा।

महोदय, हम चिंता करने वाले लोग हैं। श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर दी गई है। कारगिल और हेनली में 7500 मेगावाट की क्षमता से चलने वाले सोलर प्लांट की नींव रख दी गई है। 2 नए डिग्री कॉलेज लद्दाख में खोले हैं। 5 नए टूरिस्ट सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग के मार्ग खुले हैं। मैंने कल रिव्यू में इस बारे में पूछा। पांचों मार्ग पर आज तक दुनिया भर के 170 से ज्यादा दल ट्रेकिंग के लिए आए हैं। यह लेह-लद्दाख के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, 6 राज्यों और दिल्ली में हमारे कश्मीरी पंडित, जो वहां से निष्कासित किए गए हैं, जो भागकर आए हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। उनकी नगद राहत को 2015 में 6600 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया, 2018 में उसे 13 हजार रुपये किया गया। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा यह राशि सीधे उनके एकाउंट में पहुंचा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार में 3 हजार अतिरिक्त पद सृजित किए गए, यह उनके लिए किए गए और इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी चालू है और 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ओवैसी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पंडितों के लिए क्या किया? मैं मानता हूं कि वे सुनते होंगे, उनका ध्यान भी होगा। हमने घाटी के अंदर 6 हजार ट्रांजिट आवासों का निर्माण कश्मीरी पंडितों के लिए शुरू किया है। अब जम्मू प्रवासियों को भी, कश्मीर की तरह, जो बाहर गए हैं, नकद राशि दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब से जो विस्थापित आए थे, जिन्हें वहां से भागना पड़ा, उन्हें साढ़े पांच लाख रुपये प्रति परिवार सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए मुझे आनन्द है कि आज तक 26,989 लोगों को 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके बैंक एकाउंट्स में ट्रांसफर की गयी है। यह 70 सालों से नहीं हुआ, भरोसा इसलिए टूटा, शंका इसलिए उत्पन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए, उन्हें भी साढ़े पांच लाख रुपये देने की शुरुआत की गयी है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी होती है। इससे मृत्यु अथवा 50 प्रतिशत

दिव्यांगता के मामले में पांच लाख रुपये तक की राशि दी गई। दुधारू पशुओं की हानि पर पचास हजार रुपये दिए गए। कठुआ, साम्बा, जम्मू, राजौरी और पुंछ जिले में पन्द्रह हजार बंकरों के निर्माण की शुरुआत की गयी। 4400 बंकर्स बनाए जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसके सृजन के लिए भी हमने बहुत काम किया है। दो बॉर्डर बटालियन्स की मंजूरी दी गयी। दो हजार नए विशेष पुलिस अधिकारियों के पदों को मंजूरी दी है। उनकी भर्तियां हो चुकी है, ट्रेनिंग चालू है। पांच नई आई.आर. बटालियन्स, दो नई वूमेन बटालियन्स, और सीमावर्ती जिलों में इनकी भर्ती में 60 प्रतिशत आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। यह काम एक साल के अन्दर हुआ है।

अध्यादेश जारी करने के बाद आरक्षण के मामले में, जो लोग नियंत्रण रेखा के पास रह रहे हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। अगर आप सब सहमति देंगे तो इसे कानून बनाएंगे और जम्मू क्षेत्र के इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर की जो अमन पसन्द अवाम है, उनके मन में कोई भय नहीं है, बल्कि उत्साह है। उन्हें नए मौके दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि 70 सालों के बाद वे तीन परिवारों के चंगुल से मुक्त हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार में 41,000 नए पद सृजित किए गए हैं। 'हिमायत', 'उड़ान', और 'पी.एम.के.वी.वाई.' जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 2.27 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। देश के दूसरे स्थानों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा के लिए 18,000 से ज्यादा युवकों को पी.एम. स्कॉलरशिप्स देने का काम किया गया। जो शंका आपके समय में सृजित हुई थी, उस शंका का निवारण करने के लिए, 'वतन को जानो' प्रोग्राम के तहत 6,000 कश्मीरी युवाओं को देश भर में घुमा कर, देश आपका है - इसका अहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। 'सेवा' के माध्यम से कुपवाड़ा में लगभग 880 मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए, 4,900 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो भय की बात है, इसके दो हिस्से हैं। जम्मू-कश्मीर की जो अमन पसन्द अवाम है, उनके मन में कोई भय नहीं है, बल्कि उत्साह है। उन्हें नए मौके दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि 70 सालों के बाद वे तीन परिवारों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। मगर, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर के अन्दर आग लगाने की मंशा है, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा है, जिनके मन में अलगाववाद खड़ा करने की मंशा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हां, उनके मन में भय है, यह होना चाहिए और यह और बढ़ेगा। जो देश के साथ जम्मू-कश्मीर को जोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें जरूर भयभीत होना चाहिए और यह अच्छे शासन का गुणधर्म है।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अलग-अलग चीजें उठाई हैं। अपने भर्तृहरि जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस ऑर्डिनैंस को फिर से राज्य विधान मंडल की अनुमति की जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के संविधान ने भारत की संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार दिया हुआ है। लेकिन, अगर वहां नई चुनी हुई सरकार आती है तो वह इस बिल पर जरूर पुनर्विचार कर सकती है। किसी भी बिल पर कोई भी सदन पुनर्विचार कर सकता है। अगर वहां विधान मंडल है तो उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दानिश अली जी ने कहा कि 'इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति चालू रहनी चाहिए। दानिश अली साहब, 'इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति ही चालू है। इंसानियत तो वह है कि 70 सालों के बाद जम्मू-कश्मीर की माताओं को टॉयलेट उपलब्ध कराने का काम इस सरकार ने किया है, उनकी झोपड़ी को

धुएं से मुक्त कराने का काम किया है।

जम्मू-कश्मीर के अंदर एक लाख 42 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंसानियत तो यह है कि इनके मन में जो भय था, शंका थी और अविश्वास था, उसे दूर करने लिए हमने उनको सुरक्षा दी है और जो इस अविश्वास को खड़ा करते थे, उनके मन में भय का सृजन किया है, यही इंसानियत है।

जहां तक जम्हूरियत का सवाल है, 87 Elected representatives की जम्हूरियत की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा, हम चुनाव करा लेंगे, शांतिप्रिय चुनाव होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। दानिश अली साहब, हमने 40 हजार लोगों तक जम्हूरियत को पहुंचाने का काम किया है। क्या 70 साल तक इन 40 हजार लोगों को जम्हूरियत मालूम थी? उनके वोट यहां सरकार के एजेंट डाल देते थे। वे अपने नुमाइंदा नहीं चुन पाते थे। वे अपनी बात अपनी पंचायत में नहीं रख सकते थे। मेरे गांव में क्या चाहिए, वह तय नहीं कर सकते थे। मेरी तहसील के अंदर, मेरे जिले के अंदर क्या चाहिए, वे तय नहीं कर सकते थे। जम्हूरियत इसको कहते हैं कि आज गांव का विकास कैसे करना है, उस गांव के सरपंच और पंच बैठकर इस काम को कर रहे हैं। एक करोड़ रुपये, पचास लाख रुपये, अस्सी लाख रुपये जैसी अमाउन्ट ग्राम पंचायत के खाते में दिल्ली के खजाने से सीधे जाती है, इसको जम्हूरियत कहते हैं।

जहां तक जम्हूरियत का सवाल है, 87 Elected representatives की जम्हूरियत की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा, हम चुनाव करा लेंगे, शांतिप्रिय चुनाव होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। दानिश अली साहब, हमने 40 हजार लोगों तक जम्हूरियत को पहुंचाने का काम किया है।

अब जहां तक कश्मीरियत का सवाल है, कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है, कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है, बल्कि कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है, कश्मीरियत कश्मीर की भलाई के लिए है, कश्मीरियत कश्मीर की संस्कृति को तवज्जो देने की है। किसने सूफ़िज्म को भगाया, किसने कश्मीरी पंडितों को भगाया, क्या वे कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं? कहां गए सूफ़ी? मैं पूछना चाहता हूं। जो हम पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां हैं सूफ़ी? माननीय अध्यक्ष जी, हम कश्मीर की संस्कृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीरियत जरा भी Dilute नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि ऑर्डिनेन्स लाए। प्रेमचन्द्रन जी, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन, धारा 356, कितनी बार किस पार्टी ने लगाया। अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। ऑर्डिनेन्स के आंकड़ें आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसलिए मैं देना नहीं चाहता। जितने ऑर्डिनेन्स कांग्रेस के शासन में आए, उतने कुल मिलाकर बाकी किसी शासन में नहीं आए। इसके एक-चौथाई है, इसलिए आप हमें यह न कहें। छह महीने में ऑर्डिनेन्स को सदन में लाना ही पड़ता है। हम चर्चा भी करते हैं, शांति से चर्चा करते हैं। आपके एक-एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं।

ओवैसी साहब ने कहा कि डीलिमिटेशन का क्या करोगे अच्छा, वह चले गए। छोड़ दीजिए, आगे चले। श्री नायडू जी ने कहा कि गृह मंत्री एश्योरेंस देंगे कि हम चुनाव करा देंगे। इलेक्शन हमें नहीं कराना होता है, चुनाव इलेक्शन कमीशन को कराना होता है। अध्यक्ष जी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनुशंसा करेगा, हमारी सरकार चुनाव कराने में एक सेंकेंड की भी देरी नहीं करेगी। यह विषय नहीं है, मगर जवाब चाहिए तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। आपने 13 बार किया है। जब आपकी बारी आई, तब सहन नहीं होता है। 13 बार इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराए और देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है।

श्री के मुरलीधरन (वदकरा) : Why are you

angry?

श्री अमित शाहः मैं एंग्री नहीं हो रहा हूं। मैं जरा भी एंग्री नहीं हो रहा हूं। जरा सुनिए तो मैं आपको बताता हूं। मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं। मेरी आवाज़ ऊंची हुई है, वह इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन ले।

माननीय अध्यक्ष जी, इसको आप इतना पर्सनली क्यों लिया जा रहा है? किसी आदमी की आवाज़ बड़ी हो सकती है। आप आवाज़ पर क्यों जाते हो? आप कन्टेन्ट पर जाओ। हसनैन साहब ने कहा कि धारा 370 है। हसनैन साहब, मैं मानता हूं कि धारा 370 है। मगर क्या आप अस्थाई शब्द भूल गए हैं?

यह अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। अस्थायी शब्द है, आप भूल गए हैं या तो जान-बूझकर पढ़ते नहीं है। धारा 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, यह याद रखिएगा। यह शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि एप्रोच में परिवर्तन, मैं सदन के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे एप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी एप्रोच पहले भी वह थी, आज भी वह है, आगे भी वही रहेगी। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, सुसंस्कृत और शिक्षित बनाने की एप्रोच हमारी जस की तस बनी रहेगी। इसलिए आप परिवर्तन की चिंता न करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो संकल्प और बिल जो मैं आज लेकर आया हूं, ये जम्मू-कश्मीर की भलाई के लिए हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सिचवेशन उत्पान्न हुई है।

ओवैसी साहब ने यह भी पूछा था कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए गए? काफी मेंबर्स ने भी पूछा कि लोक सभा के साथ वहां चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि लोक सभा की छः सीट्स होती हैं, छः प्रत्याशी होते हैं। जब असेंबली का चुनाव करते हैं, तो ढेर सारी जगहों पर असेंबली के चुनाव होते हैं, ढेर सारे प्रत्याशी होते हैं। लोक सभा चुनाव के साथ इन सब को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। सुरक्षाकर्मियों की एक बहुत बड़ी संख्या भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी। अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा, हम तुरन्त चुनाव करा लेंगे। इसकी आप जरा भी चिंता मत करिए। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मगर हम तभी इसे कर सकते हैं, जब चुनाव आयोग हमें कहे।

सुरक्षाकर्मियों की एक बहुत बड़ी संख्या भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी। अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा, हम तुरन्त चुनाव करा लेंगे। इसकी आप जरा भी चिंता मत करिए। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं कि ये जो दोनों बिल मैं लेकर आया हूं, माननीय मनीष जी, अब सुनें, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर, इसका समर्थन करिए। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

❖ ❖ ❖

सरकार न केवल जम्मू-कश्मीर के विकास अपितु न्यायसंगत विकास के लिए प्रतिबद्ध है: अमित शाह

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

01 जुलाई, 2019 । लोकसभा

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पर वक्तव्य

सभापति जी, मैं पूरे सदन की ओर से, मेरी ओर से, और मेरी पार्टी की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी सदस्य आपके दीर्घायु होने की भी कामना करते हैं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि यह सदन संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 जुलाई, 2019 से आगे छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करता है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

सभापति महोदय, मैं जो ये बिल और रेजेल्यूशन लेकर आया हूं, इन दोनों के लिए संक्षेप में, पहले बिल लाने के कारण और क्या परिस्थिति रही कि सरकार को ये रेजेल्यूशन लाना पड़ा, सदन के सामने रखना चाहूंगा।

महोदय, सबसे पहले मैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में जो संशोधन सदन के सामने लेकर आया हूं, उसके बारे में कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत सीधी भर्ती, प्रमोशन, प्रोफेशनल कोर्स और शिक्षा के अन्य कोर्सेज में 43 प्रतिशत vertical आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अन्दर अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 20 प्रतिशत, कमजोर और निर्धन वर्गों के लोगों के लिए 2 प्रतिशत और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के लोगों के लिए 3 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान है। 3 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान केवल LoC के लिए है, International Border के लिए यह प्रावधान नहीं किया गया है। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि Line of Control और International Border दोनों क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनकी hardships एक समान है। दोनों क्षेत्रों के उस ओर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना बार-बार सीजफायर को भंग करके गोलाबारी करती है, shelling करती है। उसके कारण कई बार वहां रहने वाले लोगों को बंकर के अन्दर रहना पड़ता है और बार-बार स्कूल बंद हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। Intelligence का लेवल ठीक होने के बावजूद अगर उनकी शिक्षा में निरंतरता नहीं रहती है, तो इसका असर उनके Result पर पड़ता है। LoC के लिए तो 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से किया गया था, मगर International Border, जो जम्मू के तीन जिलों को छूता है, वहां पर यह प्रावधान नहीं किया गया था। जम्मू-कश्मीर के इन तीन जिलों के रहने वाले सभी लोगों को लगता था कि यह हमारे साथ अन्याय है तथा जम्मू और घाटी के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। यह भावना बहुत तीव्र थी। आजाद साहब जम्मू से ही आते हैं, उनको भी मालूम है। बहुत सारे लोग, जो वहां की स्थिति को जानते हैं, उनको भी मालूम है और सदन के कई सदस्य भी, जो वहां की परिस्थिति से परिचित हैं, उन सबको मालूम है कि यह जो अन्याय हो रहा है, इससे वहां उनकी भावनाएं दिन-प्रतिदिन तीव्र होती जा

LoC के लिए तो 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से किया गया था, मगर International Border, जो जम्मू के तीन जिलों को छूता है, वहां पर यह प्रावधान नहीं किया गया था। जम्मू-कश्मीर के इन तीन जिलों के रहने वाले सभी लोगों को लगता था कि यह हमारे साथ अन्याय है तथा जम्मू और घाटी के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है।

रही हैं। इसीलिए एक अध्यादेश लाकर यह सुधार किया गया कि International Border पर जो लोग रहते हैं, उनके बच्चों को भी शिक्षा और नौकरी, दोनों क्षेत्रों में 3 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाए। चूंकि जम्मू-कश्मीर में अभी विधान सभा अस्तित्व में नहीं है और विधान सभा के कानून पारित करने के सारे अधिकार संसद के दोनों सदनों में निहित हैं, इसलिए संसद में यह बिल लाना जरूरी था। इस कारण मैं आज सदन के सामने यह बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं।

महोदय, इस बिल से कठुआ जिले के 70 गांवों, सांबा जिले के 133 गांवों और जम्मू जिले के 232 गांवों के बच्चों को इस सुविधा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर 435 गांवों की करीब-करीब 3 लाख 50 हजार की आबादी को इसका फायदा होगा। मैं मानता हूं कि बहुत लंबे समय से एक विसंगति, एक anomaly चली आ रही है। अगर आज यह सदन इस बिल को अपना आशीर्वाद दे दे, तो इस विसंगति का अंत होगा और वहां के बच्चों को भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में हम मदद कर पाएंगे। इसलिए मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बिल का समर्थन करें और लंबे समय से इन तीन जिलों के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय देने में हम मददगार हों।

मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार और अन्य सभी दलों से बात करके यह निर्णय लिया है। जम्मू-कश्मीर की वर्तमान की स्थिति, वहां के रिलिजियस कार्यक्रमों एवं त्योहारों के साथ-साथ वहां की सुरक्षा स्थिति को संज्ञान में लेकर ही चुनाव आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वहां पर इस साल के अंत में चुनाव कराया जाएगा।

महोदय, मैं एक दूसरा Statutory Resolution का प्रस्ताव लेकर आया हूं कि जम्मू-कश्मीर के अन्दर राष्ट्रपति शासन की अवधि जोकि कल समाप्त हो रही है, उसे और 6 माह के लिए बढ़ाया जाए।

महोदय, लोक सभा ने 28 दिसम्बर, 2018 को राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को पारित किया और राज्य सभा ने इसे 3 जनवरी, 2019 को पारित किया। इस प्रकार 2 जुलाई, 2019 को इसकी अवधि समाप्त हो रही है।

महोदय, 20 जून, 2018 को, राज्य की तत्कालीन पीडीपी की सरकार के पास बहुमत का समर्थन नहीं रहा, साथ ही अन्य पार्टियां भी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल महोदय के पास नहीं आई थी, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर के संविधान के तहत ही, वहां छः माह के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया था। राज्यपाल शासन लगाने के उपरांत, 21 नवम्बर, 2018 को इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई कि अभी बहुमत आने की स्थिति नहीं है, साथ ही राज्यपाल महोदय को कुछ horse-trading की भी सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसके कारण 21 नवम्बर, 2018 को राज्य विधान सभा भंग कर दी गई। जब 19 दिसम्बलर, 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त हो रही थी, उस समय विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए केन्द्र सरकार ने, राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर, आर्टिकल 356 का उपयोग करते हुए, 20 दिसम्बर, 2018 से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया। लोक सभा ने 28 दिसम्बर, 2018 को और राज्य सभा ने 3 जनवरी, 2019 को इसका समर्थन किया।

आज मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूं, वह जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगामी छः माह के लिए और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। कई सदस्यों ने लोक सभा में यह चर्चा की और वैसे भी इसकी चर्चा की जाती रही है कि वहां चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार और अन्य सभी दलों से बात करके यह निर्णय लिया है। जम्मू-कश्मीर की वर्तमान की स्थिति, वहां के रिलिजियस कार्यक्रमों एवं त्योहारों के साथ-साथ वहां की सुरक्षा स्थिति को संज्ञान में लेकर ही चुनाव आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वहां पर इस साल के अंत में चुनाव कराया जाएगा। चूंकि चुनाव आयोग इस वर्ष के अंत में वहां चुनाव करवाना चाहता है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है, इसके कारण आज यह संकल्प लेकर मैं सदन

के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। 7 मई से 5 जून तक रमजान का माह था। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। इसके अतिरिक्त गुर्जर बकरवाल समुदाय, जिनकी आबादी वहां की कुल आबादी का 10 प्रतिशत है, इस समय पहाड़ियों पर चले जाते हैं। लगभग अक्टूबर के आस-पास ही वे पहाड़ियों से नीचे आते हैं और उसके बाद ही वे अपने मताधिकार का उपयोग करने की स्थिति में आ सकते हैं। इन सब कारणों से, कई दशकों से जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर माह से पहले चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने, सबके साथ चर्चा करके, वहां अभी चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया है।

महोदय, चूंकि आज सरकार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन को छः माह तक और बढ़ाने के लिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये जो परिस्थितजन्य बाध्यसता है, उसको सदन अच्छे तरीके से समझेगा और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन देगा।

मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार न केवल जम्मू-कश्मीर के विकास, अपितु न्यायसंगत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब समय आ गया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तीनों के समान विकास के लिए काम किया जाए और तीनों के विकास के लिए योजनाएं बनें।

सभापति महोदय, आज यहां जब से चर्चा शुरू हुआ, उस समय से - श्री डी. राजा से लेकर, विरोधी दल के नेता, श्री गुलाम नबी आजाद साहब तक - लगभग सभी दलों ने अपने-अपने विचार इस प्रस्ताव और विधेयक पर रखे। लगभग 27 माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। मैं सभी के प्रति धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम-से-कम सभी माननीय सदस्यों की बातों में एक बात समान निकली कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस संबंध में, सदन में एकमत है। सदन ने आज जिस एकता का संदेश देश और दुनिया के सामने रखा है, मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए, विशेषकर घाटी की जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए, आज जो बहस यहां हुई है, वह बहुत बड़ा सहयोग करेगी।

सभापति महोदय, मैं यहां तीन हिस्सों में अपनी बात रखूंगा। जो सरकार अभी-अभी चुनकर आई है, इससे पहले भी इसी दल की सरकार थी और नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। हम फिर से चुनकर आए और इसी दल की सरकार बनी। यह सरकार जम्मू-कश्मीर की समस्या को किस दृष्टि से देखती है, इस बारे में पहले मैं थोड़ी बात करूंगा और उसके बाद सभी माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार यहां रखे, उनके बारे में बात करूंगा। अंत में जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में, जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए और आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए, उन्हें भी यहां रखने का प्रयास करूंगा।

मैं नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से, देश की जनता के सामने, इस सदन और आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों के सामने एक बात स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूं और जो सदन का विचार भी है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई हिन्दुस्तान से अलग नहीं कर सकता। दूसरी बात, यहां भले ही गुलाम नबी आजाद साहब ने थोड़ा तंज कसा, मगर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम आतंकवाद को हरदम और हर प ल उखाड़ने के लिए कटिबद्ध हैं।

तीसरी बात, मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार न केवल जम्मू-कश्मीर के विकास, अपितु न्यायसंगत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब समय आ गया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तीनों के समान विकास के लिए काम किया जाए और तीनों के विकास के लिए योजनाएं बनें। विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र के साथ, कभी भी, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

सभापति महोदय, यहां अनेक माननीय सदस्यों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक मशहूर Quote था कि

कश्मीर समस्या का समाधान जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के माध्यम से हो। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी अटल जी के द्वारा बताये हुए जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के रास्ते पर ही चलेगी। मगर जब मैं जम्हूरियत कहता हूं तो आप इसे विधान सभा के 87 सदस्यों तक ही सीमित मत रखिए। आजाद साहब ने कहा कि 125 लोग जेल में थे। मैं आजाद साहब को और इस सदन के माध्यम से सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि विशिष्टज परिस्थिति के कारण 125 लोग जेल मे थे, घर पर बैठे थे। मगर मैं यह बात भी आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 40,000 लोग, जो पंच सरपंच बनने का अधिकार रखते थे, वे 70 साल से घर में बैठे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक आया तो आपने समय पर जम्मू-कश्मीर के अंदर पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए?

आप चुनाव की बात करते हैं, जम्हूरियत की बात करते हैं। क्या पंच, सरपंच को लोकतंत्र का अधिकार नहीं है? क्या पंच, सरपंच को खुद अपने गांव का विकास करने का अधिकार नहीं है? क्या पंच, सरपंच को यह अधिकार नहीं है कि उसके गांव का पैसा पहले कहां खर्च किया जाए, वह उसकी PRIORITY तय करें?

आप चुनाव की बात करते हैं, जम्हूरियत की बात करते हैं। क्या पंच, सरपंच को लोकतंत्र का अधिकार नहीं है? क्या पंच, सरपंच को खुद अपने गांव का विकास करने का अधिकार नहीं है? क्या पंच, सरपंच को यह अधिकार नहीं है कि उसके गांव का पैसा पहले कहां खर्च किया जाए, वह उसकी PRIORITY तय करें? क्या तहसील, पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए? जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, कोई मेयर नहीं होना चाहिए? इस पर आपको चिंता क्यों नहीं हुई?

यह नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने जम्हूरियत को गांव तक पहुंचाने का काम किया। मैंने उस सदन में भी कहा कि जम्हूरियत तीन परिवारों के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए, जम्हूरियत नीचे तक, गांव तक जानी चाहिए, 40 हजार पंचों, सरपंचों तक जानी चाहिए और यह ले जाने का काम हमने किया।

महोदय, आजाद साहब ने कहा कि यह अच्छी बात है कि चुनाव में एक भी खून का कतरा नहीं बहा। लोक सभा के चुनाव में भी खून का कतरा नहीं बहा। आजाद साहब, यह वास्तविकता है, यह QUOTE की बात है, यह हम सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं, यदि कोई और सरकार ऐसा करेगी, तो हम उसका भी बखान करेंगे। यह वास्तविकता है। पूछा गया कि विधान सभा का चुनाव साथ में क्यों नहीं हुआ, इस बात पर मैं बाद में चर्चा करूंगा।

मान्यवर, जहां तक कश्मीरियत की बात है, हम भी मानते हैं कि कश्मीरियत को संरक्षित करना है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरे जेहन में एक सवाल उठता है, वह भी रखना चाहता हूं। शायद आजाद साहब बोलेंगे नहीं, मगर पर्सनली मिलें, तब शायद मेरी बात का समाधान कर पाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सूफी परंपरा थी, क्या वह कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी? हमारा जम्मू और कश्मीर पूरे देश में सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ था। सूफी कहां चले गए? उनको किसने निर्वासित कर दिया? किसी ने उनके लिए एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्या वे कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे?

कश्मीरी पंडित, जो आज अपने ही देश के अंदर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको अपने ही घरों से निकाल दिया गया, इनके बहुत सारे धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया गया, उनको निर्वासित कर दिया गया। क्या वे कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? मान्यवर, वे भी कश्मीरियत का हिस्सा थे। अगर उनकी आवाज कश्मीरी पंडितों के लिए आती, सूफी परंपरा के लिए आती, सूफी संतों के लिए आती और कश्मीरियत की बात करते, तो मैं भी मानता कि कश्मीरियत के लिए सबकी चिंता है। मगर जब सूफियों पर हमला हुआ, पूरे सम्प्रदाय को खदेड़ दिया गया, सारे सूफी संतों को, एक-एक करके, चुन-चुन कर मार दिया

गया, क्योंकि वे एकता की बात करते थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते थे। वे भारत की बात करते थे। उनको भगा दिया गया। जिन कश्मीरी पंडितों ने पुरखों के समय से सालों तक कश्मीर के अंदर रह कर कश्मीरी परंपरा को सुदृढ करने का काम किया, चाहे किसी का राज रहा हो, चाहे रणजीत सिंह जी का राज रहा हो, चाहे मुस्लिम शासकों का राज रहा हो, चाहे हरि सिंह जी का राज रहा हो, इन्होंने कश्मीर को अपना समझा। मान्यवर, आज वे लोग कश्मीर से भगा दिए गए। मैं मानता हूं कि जब कश्मीरियत की बात करते हैं, तब इनकी भी चिंता करनी चाहिए, कश्मीरी संस्कृति की भी बात करनी चाहिए और पूरे कश्मीर की बात करनी चाहिए।

महोदय, मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की नीति है कि कश्मीर के आवाम की संस्कृति का संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से जस का तस बनाएगें। मान्यवर, मैं निराशावादी नहीं हूं, एक समय आएगा, वहां क्षीर भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी संत भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। मान्यवर, यह समय आएगा, मैं निराशावादी बात नहीं करता हूं, इंसानियत की बात करता हूं। अटल जी ने भी इंसानियत की बात कही थी। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने सारे स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चे अनपढ़ हो गए, पूरी की पूरी पीढ़ियां अनपढ़ होने लगीं। क्या यह इंसानियत है? हमने काम किया है, हमने राष्ट्रपति शासन के अंदर स्कूल चालू करा दिये। हमने राष्ट्रपति शासन के अंदर यह काम किया है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उन्हें गांवों तक पहुंचाया है। गुलाम नबी आजाद साहब यहां बैठे हैं, जो सरकारी बाबू कभी भी कश्मीर के गांवों में नहीं जाते थे, आज एक भी ऐसा गांव नहीं है, जहां पिछले 10 दिनों के अंदर, सरकारी बाबू नहीं गया हो और योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम नहीं किया हो। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के दौरान योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम किया गया।

हमने उनके घर में शौचालय पहुंचाया, यही इंसानियत है। हमने उनके घरों में बिजली पहुंचाई है। कोई कश्मीर में 70 साल में बिजली पहुंचने वाले घर गिन ले और हमारे छः साल में बिजली कितने घरों में पहुंची, इसका हिसाब-किताब कर ले, हम आगे हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें स्पर्धा होनी चाहिए, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इंसानियत की बात है।

मान्यवर, हमने घर-घर तक गैस पहुंचाई। अगर किसी बुढ़िया की झोपड़ी धुएं से मुक्त होती हो, तो यही इंसानियत है। Minus degree temperature में घर में शौचालय नहीं है, क्या हम महिलाओं की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? हमने उनके घर में शौचालय पहुंचाया, यही इंसानियत है। हमने उनके घरों में बिजली पहुंचाई है। कोई कश्मीर में 70 साल में बिजली पहुंचने वाले घर गिन ले और हमारे छः साल में बिजली कितने घरों में पहुंची, इसका हिसाब-किताब कर ले, हम आगे हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें स्पर्धा होनी चाहिए, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इंसानियत की बात है। हमने कश्मीर में खाना पहुंचाया। वहां सस्ता अनाज, गेंहूं, चावल, दलहन कभी नहीं पहुंचा था, इससे बहुत तकलीफ होती थी। मैं आजाद साहब को बताना चाहता हूं कि मैं सरपंचों को सुनकर आया हूं, उन्होंने मुझे यह खुद बताया है कि इस शासन के दौरान वहां खाना भी पहुंचा है।

मान्यवर, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन आज डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक एकाउंट में पहुंचती है और बैंक कर्मचारी उनके घर पर पैसा पहुंचाने की पद्धति को लागू करता है। आज वे 600 रुपए, 1000 रुपए पाते हैं, जो उनके जीवन-निर्वाह के लिए काम आता है। यह इंसानियत है।

मान्यवर, पूरे देश में अगर किसी राज्य में आयुष्मान भारत योजना का कवरेज एक साल में सबसे ज्यादा है, तो मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि वह जम्मू-कश्मीर है। यह इसलिए है, क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी की, देश के प्रधान मंत्री जी की यह एप्रोच है कि कोई भी गरीब इलाज के बगैर अपनी जान न गंवा बैठे। मान्यवर, यही इंसानियत है। हम जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत को लेकर चलते हैं और आगे भी इसी को लेकर चलेंगे, मगर इससे

कोई यह मतलब न निकाल ले कि भारत को तोड़ने की बात करने वालों के साथ भी यही रवैया रहेगा। हमारी एप्रोच स्पष्ट है कि जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं, हमें उनके कल्याण की चिंता है। मैं जम्मू-कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, विशेषकर घाटी के भाई-बहनों को कहना चाहता हूं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह जो दहशत फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार हो रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा मत करिए। आप एक बार अपने आपको भारत के साथ जोड़िए, आपके जान-माल की सुरक्षा करने की, आपके जीवन को ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत के किसी भी सूबे में जितनी सुख-सुविधा पहुंची है, वह घाटी के लोगों को भी मिलनी चाहिए, यह नरेन्द्र मोदी सरकार का मानना है।

महोदय, लद्दाख में कई सालों से हिल काउंसिल की मांग थी, मगर सशक्त हिल काउंसिल बनाई नहीं जाती थी, क्योंकि लद्दाख बहुत दूर का क्षेत्र है। आजाद साहब ने इतिहास और भूगोल का बहुत वर्णन किया।

श्री गुलाम नबी आजाद : वह 92-1991 में बन गई थी, तब से कई इलेक्शंस हो गए हैं।

श्री अमित शाह : हमने अधिकार दिए। हमने प्राधिकार दिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : हमने भी तब अधिकार दिए थे। हमने रेवेन्यू, फाइनेंस, कैबिनेट मिनिस्टर आदि सब अधिकार दिए थे। मैंने Status दिया था।

श्री अमित शाह : हमारी नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक प्राधिकार दिए और उनको खुद फैसले करने का अधिकार दिया। इसमें रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए। मान्यवर, अभी सदन के सारे सदस्य चर्चा कर रहे थे, और मैं भी उनकी चिंता से सहमत हूं कि आर्टिकल 356 का उपयोग कम से कम करना चाहिए। यह हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं और हम भी इस spirit के साथ सहमत हैं, मगर जब आप यहां बैठें तो, तब एक बात और जब वहां बैठे हो, तब दूसरी बात, यह तो कम से कम नहीं करना चाहिए। यह विषय यहां उठाया गया है, इसलिए मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं।

जब से देश आजाद हुआ, तब से इस देश में कुल 132 बार आर्टिकल 356 लागू हुआ। अकेली काँग्रेस पार्टी ने 93 बार आर्टिकल 356 का उपयोग किया। मैं एक-एक बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हमने तो आर्टिकल 356 का परिस्थितजन्य उपयोग किया। आपने तो केरल में सबसे पहली communist सरकार को गिराकर आर्टिकल 356 लगाया। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत आपके समय में हुई थी। अगर मैं नाम लूँगा, तो बुरा लगेगा। यह किसके समय में हुआ था? यह इतिहास का हिस्सा है, यह श्री जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। कम से कम कांग्रेस और अपोजिशन के मेरे मित्र आर्टिकल 356 के बारे में कम ही बोलें, तो अच्छा है।

जब से देश आजाद हुआ, तब से इस देश में कुल 132 बार आर्टिकल 356 लागू हुआ। अकेली काँग्रेस पार्टी ने 93 बार आर्टिकल 356 का उपयोग किया। मैं एक-एक बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हमने तो आर्टिकल 356 का परिस्थितजन्य उपयोग किया।

मान्यवर, एक बात आती है। प्रधान मंत्री जी ने सभी दलों के अध्यक्षों को बुलाया। लोक सभा के स्पीकर साहब ने सभी दलों के नेता, सदन को बुलाया। यहां एक बात आती है कि बिलों की चर्चा कमिटियों में नहीं हो रही है। चाहे लोक सभा, राज्य सभा की स्टैंडिंग कमिटी हो या सेलेक्ट कमिटी हो, कमिटियों के अंदर कम ही बिल जाते हैं। यह बात सही है। हम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास भी करेंगे, मगर जब अर्जेनसी होती है, तब बिल को यहां लाते हैं और हम बिल पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय देने में कोई कमी नहीं करते हैं। मान्यवर, आज भी आठ बजने वाले हैं। यहां सभी दलों ने अपने विचार रखे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी बातें रिकॉर्ड पर रख रहा हूं, रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए, कम से कम इस सदन का रिकॉर्ड क्लीयर रहता है। यूपीए-II के अंदर

टोटल 180 बिल लाए गए और 180 बिलों में से 125 बिल एक भी कमिटी के सामने नहीं गए थे। मान्यवर, यूपीए-वन में 248 बिल आए, गुलाब नबी साहब दसों साल मंत्री रहे, हमारे आदरणीय आनन्द जी भी रहे, उनमें से 207 बिल एक भी कमिटी के सामने नहीं गए। मान्यवर, हमें अपना रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। जब मैं उनका बता रहा हूं, तो हमें अपना भी बताना चाहिए। हमारे समय में 180 बिल आए, जिनमें से 124 बिल कमिटी के सामने लाए गए। हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, फिर भी हम चाहते हैं कि जब जल्दबाजी नहीं होगी, तो इस पर हम जरूर विचार करेंगे। मगर जब विचार करते ही कोई कागज की चिट पकड़ा दे, तो अपने समय में क्या हुआ था, यह भी जरा सोचकर बोलिए, तो जनता को भी अच्छा लगेगा और सदन को भी अच्छा लगेगा।

मान्यवर, चुनाव की बात की गई। मैं आज जो संकल्प लेकर आया हूं, इस पर स्वाभाविक रूप से सभी ने चुनाव की बात कही। सबने इसके समर्थन का विश्वास दिलाया, इसके लिए भी मैं सरकार की ओर से गुलाम नबी साहब और बाकी सभी दलों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या पर हम एकमत हैं। मान्यवर, जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि एक मुद्दा बार-बार उठाया गया कि पंचायतों के चुनाव हुए, खून का एक कतरा तक नहीं बहा, लोक सभा के चुनाव हुए, खून का एक कतरा नहीं बहा, तो स्थिति अच्छी है, चुनाव होने चाहिए। यह भी कहा गया कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ क्यों नहीं हुए? हम तो कहते हैं कि देश भर के विधान सभा और लोक सभा के चुनाव साथ हों, आप न बोलते हो। पर यहां चुनाव एक साथ क्यों नहीं हुए, इसकी बात भी मैं करता हूं। मान्यवर, हम तो कहते हैं कि आप अभी हाँ बोल दें, मैं कल लोक सभा के अंदर बिल लेकर आ जाऊँ और पूरे देश भर के विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ हों। मान्यवर, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे समय में 180 बिल आए, जिनमें से 124 बिल कमिटी के सामने लाए गए। हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, फिर भी हम चाहते हैं कि जब जल्दबाजी नहीं होगी, तो इस पर हम जरूर विचार करेंगे।

साहब, मैंने धैर्य से, कान पर मशीन लगाकर सबको सुना है और मेरी अपेक्षा है कि सब मुझे भी सुनें और आप मुझे संरक्षण दीजिए। दूसरा मुद्दा आया है कि दो चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए? मैं आपकी सारी बातों को सम्मान के साथ मानने के बाद इस सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन्, लोक सभा के चुनाव में सिर्फ छः सीट्स होती हैं, प्रत्याशियों की संख्या कम होती है। यह सबको मालूम है कि हम और विपक्ष, सभी दल मिलकर आज भी जम्मू-कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, मगर ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बगैर हम चुनाव करवाएँ। मान्यवर, अगर विधान सभा के चुनाव होते हैं तो उसके लिए 1,000 प्रत्याशी फॉर्म भरते हैं। 1,000 प्रत्याशी, उनके प्रचार, उनकी छोटी-छोटी नुक्कड़ मिटिंग्स, उनके गाँव के दौरे, उनकी बड़ी सभाएँ, सभी राष्ट्रीय नेताओं का गाँव तक का दौरा, इन सबको जो सुरक्षा कवर देने का मामला है, इसके लिए सुरक्षा बलों ने चुनाव आयोग के सामने साफ शब्दों में अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि अगर चुनाव एक साथ कराते हैं तो क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती करनी है, इसलिए हम विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक-साथ कराने की स्थिति में नहीं हैं।

किसी को राष्ट्रपति शासन के जरिए शासन करने का शौक नहीं है। आजाद साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं है, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी लोकप्रिय हैं। हमारे पास 16 सरकारें हैं, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं है। मगर साफ तौर पर सुरक्षा Concerns के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए थे, अब चुनाव इसलिए नहीं कराए कि लोक सभा चुनाव के दौरान रमजान का महीना था। लोक सभा चुनाव के बाद अमरनाथ यात्रा का समय आ गया था। इसलिए सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर सरकार

के एडमिनिस्ट्रेशन का सुझाव था कि फिलहाल चुनाव न करायें जाएं और यह फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। आदतन गुलाम नबी साहब ने बोल दिया कि आप चुनाव करा दीजिए। हम काँग्रेस नहीं है, हमारे समय में चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। आप जब थे, तब ऐसा था कि सरकार ही चुनाव कराती थी। हम चुनाव नहीं कराते हैं। चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है, उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, मैं कैसे करा दूंगा? अगर मैं कराता तो एक गिलास पानी पीकर अभी कहता कि चलो कल से चुनाव करा दें, किंतु बाद में आप कहेंगे कि चुनाव आयोग भी आप चला रहे हैं। मैं चुनाव आयोग नहीं चलाता। मेरे मन में भ्रान्ति नहीं है और यह इच्छा भी नहीं है। मान्यवर, मैं चुनाव नहीं करा सकता। मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव कराने की स्थिति को अनुकूल मानेगा और सरकार को इंगित करेगा, तो हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे और तुरंत चुनाव होंगे, इतना मैं सदन को बताना चाहूंगा। मान्यवर, अभी प्रो. राम गोपाल जी शायद गलती से बोल गए हैं, मगर एक बात रिकॉर्ड पर न रहे, इसलिए क्लियर करना चाहता हूं, यह कहना कि पूरा कश्मीर विवादित है, यह सही नहीं है। राम गोपाल जी, कुछ विवादित नहीं है, न कश्मीर विवादित है और न ही पी.ओ.के. विवादित है, ये सब भारत के अभिन्न अंग हैं।

मैं चुनाव नहीं करा सकता। मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव कराने की स्थिति को अनुकूल मानेगा और सरकार को इंगित करेगा, तो हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे और तुरंत चुनाव होंगे, इतना मैं सदन को बताना चाहूंगा।

महोदय, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि आपने पी.डी.पी. के साथ गठबंधन क्यों किया। मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि पी.डी.पी. के साथ हम गठबंधन करें, यह हमारा फैसला नहीं था, यह जम्मू-कश्मीर की जनता का फैसला था। महोदय, हमें एक खण्डित जनादेश मिला था और खण्डित जनादेश भी इस प्रकार का मिला था कि जिसके अन्दर अगर कोई भी दो दल इकट्ठा नहीं होते तो बहुमत की संभावना ही नहीं थी। एन.सी. ने अपना रुख कायम कर दिया था, कांग्रेस ने अपना रुख कायम कर दिया था, उनकी संख्या से सरकार नहीं बन सकती थी। मान्यवर, इसमें कम समय नहीं गया है, काफी समय तक राज्यपाल शासन रहा था, जब कुछ नहीं हुआ, तब एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़े और हमने सरकार बनायी थी। मगर जब हमें लगा कि अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है, पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तब हमने तनिक भी देर नहीं की, समर्थन वापस लिया और हम सत्ता से वापस आए। गुलाम नबी साहब, यह सरल नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी कोई एक उदाहरण बताए कि वह सत्ता में हो और सत्ता छोड़कर निकली हो। मैं तो उदाहरण नहीं ढूंढ़ पाया, 55 वर्ष की आयु मेरी भी हो गई है। हम तो छोड़कर निकले हैं, कश्मीर के लिए निकले हैं, घाटी के लिए निकले हैं और कश्मीर की जनता के लिए निकले हैं।

महोदय, उस वक्त वहां जब राज्यपाल शासन लगाया गया, उस वक्त भी पूर्ण प्रयास किए गए थे कि सरकार बने, वोहरा साहब गवर्नर थे और सरकार बनाने के पूरे प्रयास किए गए थे, मगर जब कोई नहीं आया तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

मान्यवर, देरेक ओब्राईन जी बड़े सम्मानित नेता हैं। उनके मन में मेरे विभाग के लिए थोड़ा मलाल है कि हमने एक सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल के लिए दो एडवाइजरी इश्यू कर दी हैं।

मान्यवर, उन्होंने मुझे पूछा कि आपने बिहार को क्यों नहीं किया? वहां इतने बच्चे मरे। मैं तो पूरा Confirm ही था, फिर भी मुझे लगा कि तृणमूल कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, तो मुझे क्रॉस चैक करना चाहिए और मैंने डिटेल मंगवाई। ओब्राईन साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गृह मंत्रालय आवश्यकतानुसार व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए ही एडवाइजरी इश्यू करता है, हेल्थ कारणों के लिए एडवाइजरी इश्यू करने का अधिकार हमारा नहीं है।

SHRI DEREK O''BRIEN: Sir, I Spoke

About Uttar Pradesh

श्री अमित शाह : उत्तर प्रदेश भी कहता हूं। हमने आपको एडवाइजरी कोई फैमिलियर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के लिए इश्यू नहीं की है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए एडवाइजरी की है, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीतिक कारणों से हत्या नहीं हुई है। सदन के अंदर यह मसला उठाने की जगह मेरी अपील है और मैं इस सदन के माध्यम से सुश्री ममता बनर्जी से भी अपील करना चाहता हूं कि वहां शांति जल्दी बहाल हो और यह आपका संवैधानिक दायित्व है और तुरंत होना चाहिए। सलाह देने का मुझे अधिकार है, यह तुरंत करना चाहिए। ये जो Political Killings हो रही हैं, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हैं। इसको रोकना चाहिए, इसको तुरंत बंद करना चाहिए।

हम एनआरसी के लिए कटिबद्ध हैं। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम पोलिट्क्स करने का भी प्रयास किया और कहा कि हिंदुओं के बारे में क्या, क्योंकि हिंदू भी परेशान हैं। कुछ हिंदुओं ने आत्महत्या भी कर ली है। यह सरकार हिंदू शरणार्थियों के लिए भी committed है।

मान्यवर, उन्होंने बताया कि श्री प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि यह जो आरक्षण का विधेयक है, उसे यहां पारित करने के बाद विधान सभा में पारित करने की जरूरत है या नहीं है। मैं आपके माध्यम से आचार्य जी को बताना चाहता हूं कि जरूरत नहीं है। अभी विधान सभा के सारे अधिकार इन्हीं दोनों सदनों मे निहित हैं। यहां जो कानून बनता है, वह अंतिम स्वरूप लेता है। परंतु जब भी असेम्बली अस्तित्व में आएगी, यदि वह इसमें बदलाव करना चाहती है, तो उनके अधिकार बने हुए हैं। आपने पूछा था, इसलिए मैंने आपको बताने का कष्ट किया।

देरेक ओब्राईन साहब ने एनआरसी की बात की। उनका एक नजरिया हो सकता है। उनकी पार्टी का नजरिया भी स्पष्ट है, चुनाव में भी बोले हैं और सब पार्टियों को अपना नजरिया रखने का अधिकार है, मगर मैं सरकार का संकल्प आपके माध्यम से सदन के सामने दोहराना चाहता हूं। यह सरकार मानती भी है और चाहती भी है कि घुसपैठ रोकनी चाहिए और घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालना चाहिए।

मान्यवर, इसलिए हम एनआरसी के लिए कटिबद्ध हैं। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम पोलिट्क्स करने का भी प्रयास किया और कहा कि हिंदुओं के बारे में क्या, क्योंकि हिंदू भी परेशान हैं। कुछ हिंदुओं ने आत्महत्या भी कर ली है। यह सरकार हिंदू शरणार्थियों के लिए भी committed है। हम सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर सारे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं, यह आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं।

मान्यवर, मैं श्री आर.सी.पी. सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने कुछ फैक्टस रखे, जिनके कारण मुझे कम बोलना पड़ेगा। प्रो. मनोज झा जी और गुलाम नबी आजाद साहब, दोनों ने एक बड़ी आपत्ति दर्ज की है कि हम नेहरू जी के बारे में, देश की जनता में दुष्प्रचार करना चाहते हैं, कुछ गलत भ्रांतियां, गलत सोच खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर, यह सोच ठीक नहीं है। मैं कड़े शब्दों का भी उपयोग कर सकता हूं, मगर यह सदन है, इसलिए कहता हूं कि यह सोच ठीक नहीं है। हम नेहरू जी के बारे में कोई गलत विचार देश की जनता के बीच में खड़ा नहीं करना चाहते हैं और देश की जनता को गुमराह भी नहीं करना चाहते हैं। यह न हमारा मकसद है और न हो सकता है।

मान्यवर, एक बात है, इतिहास की भूलों से, जो देश नहीं सीखते हैं, उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। इतिहास की भूलों की चर्चा होनी चाहिए और इतिहास की भूलों से सीखना चाहिए। गुलाम नबी साहब ने बड़ी लंबी-लंबी बात की। कुछ बातें अच्छी भी कीं, जिनसे मेरा भी ज्ञानवर्धन हो गया। उन्होंने जो भी कहा - उसमें काफी चीजें मुझे मालूम नहीं थी, आज पहली बार सुनी और कश्मीर को समझने के लिए उसको पढ़ने और जानने का भी प्रयास करूंगा। गुलाम नबी साहब, चाहे मकबूल शेरवानी हों,

चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हों या आप एक नाम भूल गए ... ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह हों, जो महाराजा की सेना के ब्रिगेडियर थे, जो शहीद भी हुए और सालों तक लड़ते रहे। इन तीनों के लिए हमारे मन में, सभी शहीदों के लिए जिस प्रकार का पूज्य भाव होता है, वह ही है - चाहे मकबूल शेरवानी हों, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हों या चाहे ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह हों। इन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिये हैं, अपने खून का कतरा-कतरा वादियों के लिए बहा दिया है तो इनके लिए और कोई भाव नहीं हो सकता है। आपने बताया कि पूरा साल किस प्रकार से किस तारीख को सेना जीतती गयी, जीतती गयी - यह सब मैं जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए साहब, कि यह जीतने का सिलसिला अभी बाकी था और 1 जनवरी, 1949 को अभी एक-तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में था तो आपने सीजफायर क्यों कर दिया? इसका जबाव मैं नहीं पूछता, पूरा देश पूछता है, इतिहास पूछता है - आप इस बात को बताइए। अगर यह सीजफायर न हुआ होता तो आज यह झगड़ा ही न होता। अगर यह सीजफायर न हुआ होता तो आज terrorism भी न होता, अगर यह सीजफायर न हुआ होता तो 35,000 जानें न गयी होतीं। इसका मूल root cause वह सीजफायर है जो उस समय हुआ था। सरदार पटेल 'ना' बोलते थे, फिर हम क्यों गए? महोदय, इन तीन बातों का जवाब देश जानना चाहता है। हम यूएन में क्यों गए? जब महाराजा के भारतीय संघ के साथ संधि करने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, तो हमें यूएन में जाने की जरूरत क्या थी? हम क्यों गए? क्या यह गलती नहीं है? गलतियों से हम सीखेंगे नहीं? गलतियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आगे की पीढ़ी भी गलती करती जाए? मान्यवर, मैं इतना ही कहता हूं कि जनमत संग्रह के लिए हमने क्यों सहमति दी? आज जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं है, लेकिन उस वक्त सहमति क्यों दी, किसने दी? क्या यह गलती नहीं है? और अगर गलती है तो साहब, इतिहास बड़ा क्रूर होता है - कितने भी साल हो जाएं, गलती के बारे में इतिहास सवाल पूछता है।

जब महाराजा के भारतीय संघ के साथ संधि करने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, तो हमें यूएन में जाने की जरूरत क्या थी? हम क्यों गए? क्या यह गलती नहीं है? गलतियों से हम सीखेंगे नहीं? गलतियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आगे की पीढ़ी भी गलती करती जाए?

मैं कहना चाहता हूं कि इससे भी खराब situation हैदराबाद की थी। यहां तो महाराजा ने संधि कर ली थी। हैदराबाद के निजाम साहब संधि करने के लिए भी तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ को मक्खन की तरह भारत के साथ मिला दिया था। सवाल approach का है, approach ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि श्री नेहरू ऐसा चाहते होंगे, ऐसा नहीं चाहते होंगे, वे अच्छा ही चाहते होंगे, अच्छी भावना से ही किया होगा, लेकिन जब इतिहास के लिखे जाने के बाद इतिहास को पढ़ने बैठते हैं तो मान्यवर, जो गलती है, उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है।

मान्यवर, शेख अब्दुल्ला बड़े वरिष्ठ नेता थे। वे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े वरिष्ठ नेता थे और आजाद साहब, मैं स्वीकार करता हूं कि शेख साहब का बड़ा योगदान था, लेकिन क्या मैं इतना पूछ सकता हूं कि 09.08.1953 को कांग्रेस सरकार को उन्हें क्यों गिरफ्तार करना पड़ा था और आप यह क्यों नहीं बोले? क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि 08.05.1965 को उन्हें क्यों रियासत बदर किया गया और वह आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि अभी एनसी के साथ समझौता करना है इसलिए इतिहास से कुछ निकालना और कुछ बोलना... मुझे लगता है कि सदन के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इतिहास को रखना है तो मैं 1931 से आज तक का, मेरे भाषण तक का इतिहास अभी सबके सामने पढ़ने के लिए तैयार हूं और मैं कभी तोड़-मरोड़ नहीं करूंगा। इतिहास मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन इतिहास के अंदर जो अच्छी लगें, वे बातें बता देना और जो अपने लिए अच्छी न हों, उन बातों को छिपा देना... मैं मानता हूं कि इस सदन के अंदर यह नहीं करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा, टेलीविजन बंद कर दीजिए। भाई, हम तो इमरजेंसी लादना नहीं चाहते हैं। टेलीविजन चालू रहेगा, फिर भी शांति होगी। गुलाम नबी साहब, मैं आपको बताता हूं - जिसे जो दिखाना हो, दिखा दे, घाटी की आवाम का दिल हम जीतेंगे, उसको गले हम लगाएंगे और उन्हें गुमराह होने से हम बचाएंगे - यह हमारा संकल्प है। हम टेलीविजन बंद नहीं कर सकते। इसके बगैर ही हम यह सब करेंगे।

इन्होंने बताया कि 6 प्रतिशत कर दो। चलिए, अच्छा सुझाव है, इस पर भी विचार करेंगे, अभी 4 प्रतिशत बाकी है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है, 50 तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन मान्यवर, मैं एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी जम्मू से हैं, वहां से चुनाव भी जीते हैं, आपने आनन्द व्यक्त किया कि अच्छा हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर वालों को दे दिया, तो आप जब मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं दिया?

मान्यवर, यही जम्मू के लोगों के मन में खलता है, यही मान्यवर लद्दाख के लोगों के मन में खलता है। समव्यवहार नहीं हुआ है और इसी तुष्टीकरण ने घाटी की मानसिकता बिगाड़ने का भी काम किया है। ... (व्यवधान)...

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। मैंने पहले ही कहा है कि आतंकवाद के लिए हम zero tolerance की नीति लेकर चलते हैं। हमने आज तक सबसे ज्यादा CRPF की कंपनियां भी वहां पहुंचाई हैं और जम्मू–कश्मीर में CRPF की जो कंपनियां हैं, उनको आधुनिक साधनों से लैस करने का भी प्रयास किया है।

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं इसीलिए कह रहा हूं कि International Border पर ceasefire violations सबसे minimum होते थे, इसीलिए मैंने बताया कि उस वक्त International Border पर ceasefire violations से नुकसान होता था। मेरे ख्याल में यह 1971 में हुआ था। पहली दफा आपके वक्त में, 1971 के बाद, इन हथियारों का पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हुआ और यही है कि पिछले 5 साल में 500 ceasefire violations हुए।

श्री अमित शाह : मान्यवर, ceasefire के आंकड़े आज मेरे पास नहीं हैं, किसी और दिन चर्चा होगी, तो मैं लेकर आऊंगा। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जम्मू में पहले ceasefire violations नहीं होते थे। Ceasefire violations इतनी मात्रा में होते हैं कि हमें सुरक्षा के लिए 15,000 बंकर बनाने का निर्णय करना पड़ा और 4,400 बंकर हमने बना दिए हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। मैंने पहले ही कहा है कि आतंकवाद के लिए हम zero tolerance की नीति लेकर चलते हैं। हमने आज तक सबसे ज्यादा CRPF की कंपनियां भी वहां पहुंचाई हैं और जम्मू-कश्मीर में CRPF की जो कंपनियां हैं, उनको आधुनिक साधनों से लैस करने का भी प्रयास किया है। 2307 करोड़ रुपए खर्च करके हमने जम्मू-कश्मीर की CRPF की कंपनियों और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को equip किया है, ताकि उनकी जानें बच सकें। हमने BP vehicles दिए हैं, drones दिए हैं, CCTV camera दिए हैं, radar दिया है और training के भी काफी सारे काम हमने पूरे किए हैं। मान्यवर, एक Multi Disciplinary Terror Monitoring Group (TMG) की भी रचना की है, जिससे जो 6-5 एजेन्सीज वहां काम करती हैं, वहां सेना काम करती है, BSF काम करती है, CRPF काम करती है, Jammu-Kashmir Police भी काम करती है, वहां IB होती है, RAW होती है, military agency होती है, इन सब के बीच में अच्छा coordination हो सके, इसके लिए March, 2019, से एक नए ग्रुप का गठन किया गया है, जो सप्ताह में दो बार बैठता है और अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है।

मान्यवर, हमने कोई लाग-लपेट की बात नहीं की है। अलगाववाद और आतंकवाद को जो बढ़ावा देते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। Jammu Kashmir Liberation Front पर इतने समय तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया। Jammu Kashmir Liberation Front पर प्रतिबंध लगाने का काम श्री

नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है।

मान्यवर, जमात-ए-इस्लामी (जम्मू एवं कश्मीर) को भी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था, मैं दल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु इसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था और यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। उस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया है। जमीनी स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों के Preventive arrest किए गए। जेलों की चरमराई हुई व्यवस्था को अत्याधुनिक करके, कठोर से कठोर तरीके से, जेलों के अंदर से जो terrorism को बढ़ावा दिया जाता था, उसको हमने बंद किया। उसके बाद कैदियों को असंगठित करने के लिए बहुत लंबे समय के बाद जम्मू-कश्मीर के बाहर भी कैदियों को ले जाने की व्यवस्था की। हिसार, झज्जर और तिहाड़ जेल में कुछ गंभीर प्रकार के कैदियों को भेजा गया है।

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, हमने फैसला किया कि जहां से टेररिज्म आता है, उसकी जड़ में जाकर हम उसे खत्म करेंगे। उरी की घटना के बाद हमने ऐसा ही किया। उरी की घटना के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया।

राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा पर पुनर्विचार किया गया। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारत के विरोध में बात करते थे, जम्मू-कश्मीर की आवाम को गुमराह करते थे, उन लोगों को भी इतनी भारी सुरक्षा दी गई थी कि सारे सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा करने में ही खर्च हो जाते थे, जनता की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। लगभग दो हजार व्यक्तियों की सुरक्षा को हमने रिव्यू किया, उसमें से 919 लोगों की सुरक्षा को completely withdraw करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसमें 18 अलगाववादी नेता भी हैं। हां, यह ठीक है कि हमारे नजरिए से कई लोग सहमत नहीं होंगे।

मगर मैं दृढ़ता से मानता हूं कि अगर अलगाववाद और आतंकवाद को रोकना है, तो यह बहुत जरूरी कदम है, बहुत उपयोगी कदम है। पाकिस्तान के unauthorised चैनल पर लगाम लगा दी गई है। सभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद, कई बार कहा जाता है, लेकिन यहां कोई नहीं बोला, कई लोग कहते हैं कि आपके आने के बाद ही टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई हुई है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इस देश के कई दल के कई राजनैतिक नेता टेररिज्म की बलि चढ़े हैं और हमें सभी का सम्मान करना है। भारत में जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया है। सभी ने टेररिज्म के खिलाफ अपने-अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ने का नजरिया होता है और नजरिये में बहुत बड़ा अंतर होता है। सभापति महोदय, पहले लड़ाई कैसे होती थी। पहले लड़ाई ऐसे होती थी कि Pak Occupied Kashmir में आतंकवादियों के training camps लगते थे, यहां के और वहां के सब लोगों की वहां ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग होने के बाद बर्फ पिघलते ही घुसपैठ होती थी। वे यहां आते थे, शस्त्र आते थे और यहां पर वे हादसे करते थे, वारदातें करते थे और यहां पर वे लोग गोली चलाते थे, उसमें वे मारे जाते थे, जवान मारे जाते थे और सिविलियन मारे जाते थे। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई अपनी जमीन पर ही लड़ी जाती थी। मगर जहां से टेररिज्म पनपता है, जहां से टेररिज्म को प्रेरणा मिलती है, जहां से टेररिस्टों को शिक्षित किया जाता है, वहां पर जाने का किसी ने सोचा ही नहीं था और किसी की नीति भी नहीं थी। श्रीमन्, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, हमने फैसला किया कि जहां से टेररिज्म आता है, उसकी जड़ में जाकर हम उसे खत्म करेंगे। उरी की घटना के बाद हमने ऐसा ही किया। उरी की घटना के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया और एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनियाभर में एक संदेश भेजा कि भारत की सरकार टेरेरिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है।

मैं उरी के बाद पुलवामा पर आता हूं। मान्यवर, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। दुनिया भर के बड़े-बड़े पंडित और विद्वान इसकी चर्चा करते थे, मीमांसा करते थे, ढेर सारे आर्टिकल भी लिखे गए, ढेर सारे आर्टिकल का मेरे पास compilation

है। सबके अंदर एक अंडरलाइन मैसेज क्या था? यही कि अचम्भा है, यह भारत की डिफेंस नीति नहीं है। भारत की कोई डिफेंस नीति ही नहीं है, कभी डिफेंस नीति रही ही नहीं है। यह घटनाक्रम अचानक हुआ। उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और पुलवामा के अंदर हमला कर दिया गया। उसमें 40 जवान शहीद हो गए। सबको लगता था कि अब क्या हो सकता है? पाकिस्तान भी सचेत था, artillery बीच में बिछा दी, सेना बिछा दी, सबको लगता था कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है? देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का, आज मैं सदन के माध्यम से अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उन्होंने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए air strike करने का निर्णय किया और पाकिस्तान के घर में घुस कर उसके आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। अब दुनिया भर के डिफेंस के पंडित कह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा नीति अब निश्चित है और सबसे top priority पर सुरक्षा है।

70 साल तक सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में द्वंद्व होता था। विदेश नीति के नाम पर सुरक्षा के साथ, सुरक्षा प्रबंधनों के साथ खिलवाड़ किया गया। पहली बार, विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अलग कर दिया गया है।

सालों तक, 70 साल तक सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में द्वंद्व होता था। विदेश नीति के नाम पर सुरक्षा के साथ, सुरक्षा प्रबंधनों के साथ खिलवाड़ किया गया। पहली बार, विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अलग कर दिया गया है। हम दुनिया भर में शांति चाहते हैं, मगर शांति की बात तभी होगी, जो हमारी सीमाओं का सम्मान करे और हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी न करे। इस देश की सुरक्षा नीति बनाने का श्रेय, इस देश के अभी के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है।

सभापति महोदय, अभी आजाद साहब ने कहा कि रोड बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब सीआरपीएफ के काफिले आते-जाते हैं, तो रोड का आवागमन बंद किया जाए, ऐसा पहले भी 12 साल तक चला है। जब मुफ्ती साहब मुख्य मंत्री बने तब उन्होंने इसको उठा लिया। यह अच्छा चलता तो हम भी इसको चलाते, मगर 40 जवान मारे जाएं और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, यह मेरी सरकार की नीति नहीं है, आवागमन रुकेगा, तो रुकेगा।

मैं गुजरात से आता हूं। महोदय, कांग्रेस का शासन था, तब 365 दिनों में से 300 दिन तक कर्फ्यू रहा था। आप रोड की बात करते हैं, स्कूटर लेकर सब्जी तक लेने नहीं जा पाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके शासन में कर्फ्यू लगते रहे हैं, क्या उस वक्त परेशानी नहीं होती थी? सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं होता। जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और उन्हीं नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाने पड़ते हैं। उनके human rights के violations के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए उठाने पड़ते हैं।

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है, वहां देश भर से यात्री जा रहे हैं। अब तक पूरे देश से 17 हजार और कुल देखें, तो 24 हजार लोग जम्मू-कश्मीर के भी वहां हैं। जितने यात्री होते हैं, उतने ही जम्मू-कश्मीर के लोग भी होते हैं। यह जो फैसला लिया गया है, यह जम्मू-कश्मीर में रह रहे लोगों और देश भर से वहां पहुंच रहे यात्रियों के भले के लिए लिया गया है, इससे एक इंच भी पीछे ह ट ने का कोई सवाल नहीं है।

मान्यवर, terrorism कैसे चलता है? अभी मेरा तो बहुत भाषण बाकी है। मैं थोड़ी स्पीड पकड़ता हूं, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि आप मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, क्योंकि इस पर बहुत कुछ बोला गया है। Terrorism कैसे चलता है, उसमें एक तो मानसिकता, उनकी ट्रेनिंग, उन्हें जेहादी बनाना, हाथ में हथियार पकड़ाना और इन सब कामों के लिए पैसा भी चाहिए। इनके लिए जो पैसा आता था, उसे रोकने के लिए कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी की, नरेन्द्र मोदी सरकार ने, पहली बार NIA का उपयोग करके, पाकिस्तान से पैसे आने के जितने भी चैनल थे, उन

सभी को बंद कर दिया। आज वहां CBDT और ED के offices full-fledged चल रहे हैं। वहां 21 मामलों की जांच चल रही है। 24 अलगाववादियों सहित, 43 लोग विदेश से फंड लेने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। Proceeds of crime के रूप में, अब तक, इतने कम समय के अंदर लगभग 457 करोड़ रुपए और लगभग 59 करोड़ रुपए की संपत्तियां seize की गई हैं। Terror funding के प्रमुख स्रोतों की पहचान, via transfer अलगाववादियों के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई व्यवस्था, LET, HM, JeM जैसे संगठनों की LoC के trade के माध्यम से जो funding होती थी, उसे भी पकड़ने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। Terrorism कभी भी बातों से खत्म नहीं होता है, terrorism कभी पब्लिक भावनाओं से खत्म नहीं होता है, बल्कि उस पर कड़ा प्रहार करना पड़ता है। इसके जितने भी अंग-उपांग हैं, सभी पर कड़ा प्रहार करना पड़ता है, तब कहीं यह खत्म होता है और यह काम हमने किया है। मान्यवर, गोला-बारूद के लिए LoC के व्यापार का उपयोग किया जाता था। उन सभी फर्मों को निलम्बित करने का काम किया गया है।

हमने नेशनल हाइवे 1ए के ऊपर चेनानी-नाशरी सुरंग बनाई है। इसकी शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन कार्य अभी समाप्त हुआ, नेशनल हाइवे 1ए पर जम्मू-उधमपुर पर चार लेन का निर्माण, श्रीनगर-बनिहाल खंड पर चार लेन का निर्माण, आदि और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, कुछ चल रहे हैं।

आज मैं जम्मू-कश्मीर की आवाम और विशेष रूप से घाटी की आवाम को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां कितने स्कूल बन्द कर दिए गए, कितने स्कूल जला दिए गए, कितने ही स्कूलों के मास्टरों की हत्या कर दी गई। एक-दो पूरी की पूरी पीढ़ी अनपढ़ जनरेट की गई और उन अलगाववादियों के बच्चे क्या कर रहे हैं, वह भी मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। मेरे पास तो नाम के साथ उन सभी अलगाववादियों और उनके बच्चों की सूचना है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यहां फिर कोई point of order उठा देगा। यदि सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो, तो मैं नाम भी पढ़ सकता हूं। जो लोग यह कहते थे कि पढ़ाई-लिखाई बन्द करो, बहिष्कार करो, उनके एक नेता का पुत्र सउदी अरब में शिक्षा प्राप्त करके 30 लाख रुपए महीने का तनख्वाह पर काम कर रहा है। एक दूसरे नेता के पुत्र सउदी अरब में डॉक्टर हैं। पढ़े कहां, लंदन में पढ़े, लेकिन यहां स्कूलों को बन्द कराते हैं। एक नेता के दो पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं और तीसरा पुत्र मलेशिया में पढ़ रहा है। उन्होंने क्या किया, यहां स्कूलों को बन्द करा दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी की जनता को भी कहना चाहता हूं कि आपको जो गुमराह कर रहे हैं, उनके बच्चे कहां हैं, कितना पढ़े हैं और कितने सुख-चैन से रह रहे हैं, उस पर आप सोंचे और इनकी बातों में न आएं। इनकी बातों में आकर गुमराह होकर आप अपने हाथों में पत्थर मत उठाइए और इनकी बातों में आकर गुमराह होकर हाथ में हथियार मत लीजिए। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि इनके घर में इनके पसीने छूट रहे हैं। मेरे पास पूरी सूची है। 130 अलगाववादियों के बेटे और बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं और उन्होंने यहां पर स्कूलों को बन्द करा दिया। हायर सेकेंडरी स्कूलों को बन्द करा दिया, कॉलेजों को जला दिया गया और लाइब्रेरियां जला दी गईं। ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं घाटी के लोगों, युवाओं और जनता से कहना चाहता हूं कि इनकी बातों में आकर गुमराह मत होइए।

मान्यवर, एनआईए के मामले में भी मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि समय कम है, लेकिन बताना चाहता हूं कि इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक 137 से ज्यादा लोगों पर हमने देश की अलग-अलग अदालतों में चालान दाखिल कर दिए हैं।

मान्यवर, मैंने विकास की बात की है। जो काम पूरे हो गए हैं, उसका जिक्र भी मै कर दूँ। सदस्यों ने पूछा है कि क्या किया है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने नेशनल हाइवे 1ए के ऊपर चेनानी-नाशरी सुरंग बनाई है। इसकी शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन कार्य अभी समाप्त हुआ, नेशनल हाइवे 1ए पर जम्मू-उधमपुर पर चार लेन का निर्माण, श्रीनगर-बनिहाल खंड पर चार लेन का निर्माण,

एनएच24- बटोल-किश्तवार-अनंतनाग खंड की डबल लेनिंग, श्रीनगर-लेह रोड की डबल लेनिंग, लेह में 200 के.वी. लाइन डालना, झेलम और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, कुछ चल रहे हैं। उधमपुर-रामबन-बनिहाल रोड का निर्माण, जम्मू-अखनूर-पुंछ रोड का निर्माण, श्रीनगर में सेमी रिंग रोड का निर्माण, जम्मू में सेमी रिंग रोड का निर्माण, पाकल डुल परियोजना का निर्माण, डल झील का पुनरूद्धार, दो एम्स, जम्मू में IIT, श्रीनगर में आउट कैंपस की स्थापना के साथ-साथ जम्मू में IIMs, जिला अस्पताल, पीएचसी का उन्नयन, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, सब जगहों पर गर्ल्स होस्टल्स का निर्माण, श्रीनगर में एनआईटी का आधुनिकीकरण, जम्मू-कश्मीर के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास के काम, हिमालय योजना के तहत युवाओं की स्किलिंग, पर्यटन योजना पर 400 करोड़ रुपये की दर से पाँच साल के लिए 2000 करोड़ रुपये, अनेक मात्रा में छोटे हाइड्रो व सोलर प्रोजेक्ट, 24 खेल परियोजनाएं और पश्मीना संवर्द्धन कार्यक्रम आदि हैं।

आज असंगठित क्षेत्र के 55 हजार, 544 मजदूर पेंशन योजना के साथ जुड़कर अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। 28 अक्टूबर, 2018 को सभी घरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य समाप्त कर दिया गया है। राज्य को ओडीएफ का दर्जा भी मिला है।

मान्यवर, इसके अलावा भी ढेर सारे काम है। आजाद साहब, प्रधान मंत्री जी ने 80 हजार करोड़ रुपये की जो घोषणा की थी, उसमें भारत सरकार के पंद्रह मंत्रालय थे। उसमें 63 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें हमने 2 एम्स, 2 IIMs, IIT दिए हैं। हमने AIIMS और IIM दो दिए हैं, एक नहीं दिया है। वह जम्मू के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी दिया है। उन 63 प्रोजेक्ट्स में से 16 प्रोजेक्ट्स समाप्त हो चुके हैं और 80 हजार करोड़ रुपये में से 80 प्रतिशत रुपया पहुंच चुका है, बाकी सब काम चालू हैं। हमने सिर्फ भाषण नहीं दिए हैं, तकरीर नहीं की है। हमने 80 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, हमने उसका 80 प्रतिशत भाग वहां पहुंचाने का काम कर दिया है।

सर, हमने लगभग 6 लाख से ज्यादा परिवारों तक आयुष्मान भारत की स्कीम पहुंचाई है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार गरीबों को घर दिए हैं, फसल बीमा योजना के अंतर्गत 85 हजार किसानों को भुगतान किया है, 45 हजार लाभार्थियों को Soil Health Card दिए गए हैं।

मान्यवर, आज असंगठित क्षेत्र के 55 हजार, 544 मजदूर पेंशन योजना के साथ जुड़कर अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। 28 अक्टूबर, 2018 को सभी घरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य समाप्त कर दिया गया है। राज्य को ओडीएफ का दर्जा भी मिला है। यदि फिर भी कुछ छूट गया है, तो मैं अभी वहां गया था, वेबसाइट चालू कराकर आया हूं और उन्हें पत्र लिखने के लिए भी प्रेरित किया गया है कि जिसके भी घर में, घाटी में, जम्मू में या लद्दाख में, शौचालय नहीं है, वह यहां लिखे। ग्रेटर श्रीनगर के लिए पहली बार मास्टर प्लान बनाने का काम भी किया गया है। राज्य में स्टार्ट-अप कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इसको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि सिर्फ घाटी में ही 43 स्टार्ट-अप कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर और जम्मू के लिए लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम की स्थापना करने के लिए भी काम हो रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मैंने सारी योजनाओं का स्वयं रिव्यू किया है। विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं। ये छोटी सी लिस्ट है, दो मिनट दीजिए। इसके पीछे का एक वाक्य महत्वपूर्ण है। पी.एम. कृषि सिंचाई योजना, मुद्रा योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना एवं पी.एम. जन-धन योजना आदि हैं। मान्यवर, ये 126 योजनाएं हैं, मगर इसमें 18 योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर

राज्य का आबादी के अनुपात में देश भर में रैंक 1 से 3 राज्यों में हैं। हमसे जो यह पूछते हैं कि क्या किया, मैं उनके लिए यह बतलाना चाहता हूं।

महोदय, पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ही शक्तियाँ उन्हें दे दी गई हैं। उनके पास 3700 करोड़ रुपये जाएंगे। अभी 700 करोड़ रुपये चले गए हैं, 1500 करोड़ रुपये और जाएंगे। वहां से सर्टिफिकेट आने के बाद ये 1500 करोड़ रुपए दिसंबर से पहले वहां पहुँच जाएंगे। महोदय, दूसरे चरण में तहसील पंचायत, जिला पंयाचत के चुनाव भी शुरू किए जायेंगे।

उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। अधिकारियों ने हर गाँव में जाकर उनको ट्रेनिंग देने का काम भी किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है।

श्रीमन, पत्थर कौन उठाता था? पत्थर गाँव का वह बच्चा उठाता था, जिसके हाथ में थोड़े रुपए पकड़ा देते थे। उसको मालूम भी नहीं था कि मैं पत्थर क्यों उठाता हूं। पुलिस ने कई पकड़े हुए बच्चों से interrogation किया। उन बेचारे घाटी के बच्चों को यह भी मालूम नहीं कि वे पत्थर क्यों मार रहे हैं। मगर तकरीरें की जाती थीं, पैसा दिया जाता था। आज गाँवों में ये 3,700 करोड़ रुपये पहुँचेंगे, तो गाँवों के अन्दर विकास होगा, रोजगार पहुँचेगा और गाँव का विकास वे स्वयं तय कर पाएँगे। मुझे लगता है कि इससे भी law and order control करने में बहुत बड़ा फायदा होगा।

पत्थर कौन उठाता था? पत्थर गाँव का वह बच्चा उठाता था, जिसके हाथ में थोड़े रुपए पकड़ा देते थे। उसको मालूम भी नहीं था कि मैं पत्थर क्यों उठाता हूं। पुलिस ने कई पकड़े हुए बच्चों से interrogation किया। उन बेचारे घाटी के बच्चों को यह भी मालूम नहीं कि वे पत्थर क्यों मार रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सेना ने 45 सद्भावना विद्यालय खोले हैं, CRPF ने health helpline खोले हैं, CRPF ने भी 17 विद्यालय खोले हैं, BSF ने भी खोले हैं और व्यक्ति प्रतिभा पोषण में हमने बहुत सारे बच्चों को आगे ले जाने का कार्य किया है। मान्यवर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या बहुत पुरानी है। एक ही प्रकार की सोच से हम इसको आज तक सुनते आए हैं, इसको आज तक tackle करते आए हैं। अगर समस्या 1947 से लेकर 2019 तक समाप्त नहीं हुई तो मुझे लगता है कि नए नजरिए की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। कब तक हम उसी रास्ते पर चलेंगे? विकास करने से किसी को परहेज नहीं है। घाटी, घाटी, करते हैं, घाटी हमारी है भाई। मान्यवर, घाटी के प्रति जितना भाव गुलाम नबी साहब का है, उतना ही शायद या उससे अधिक भाव मेरे मन में भी है, इसमें किसी को संदेह नहीं रखना चाहिए, शंका नहीं रखना चाहिए। हम उनका उन्नयन करना चाहते हैं, उनकी ऊर्ध्व गति चाहते हैं। हम उनके घर में बिजली, शौचालय, गैस पहुँचाना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई चाहते हैं। हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह वे भी आगे बढ़ें, हम यह चाहते हैं। मगर मान्यवर, जहां तक terrorists का सवाल है, separatists का सवाल है, जो भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव को स्वीकार नहीं कर सकते, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, मैं मानता हूं कि उनके लिए इस सरकार की योजना में कोई जगह नहीं है। उन पर कठोरता भी होगी और उनको कठिनाइयाँ भी होंगी। जब तक हम यह approach नहीं लेंगे, हम इस समस्या को समाप्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि यह जो extension लेकर आए हैं, कृपया इसको पीछे से सरकार चलाने का हथकंडा मत समझिए। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का आकार और फैलाव बहुत बड़ा है। मान्यवर, किसी एक राज्य के अन्दर, एक सूबे के अन्दर सरकार चलाने के लिए हम 356 का उपयोग नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया रिजर्वेशन का जो विधेयक है, वह और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव, दोनों को सर्वानुमति से सदन पारित करे, इतनी ही विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

❖ ❖ ❖

मुख्य बिन्दु

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के संबोधन से :

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभभाई पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान हैं और दायित्व भी समान हैं।
- अनुच्छेद 370 और 35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद-आतंकवाद-परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले तीन दशक में लगभग 42 हजार निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया, जिसका वो हकदार था।
- देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू-कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए Minimum Wages Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले श्रमिकों को ये सिर्फ कागजों पर ही मिलता था। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय अनुसूचित जनजाति के भाई-बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था।
- केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन, सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां Good Governance और Development का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थीं, उन्हें अब जमीन पर उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिली है।
- जम्मू-कश्मीर के अपने भाई-बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले MLA होते थे, वैसे ही MLA आगे भी होंगे। जैसे पहले मंत्रिपरिषद होती थी, वैसी ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके सीएम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद-अलगाववाद से जम्मू-कश्मीर को मुक्त कराएंगे।

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह के वक्तव्य से :

- भारत के संविधान और उस वक्त जम्मू-कश्मीर का जो संविधान बना था, इन दोनों संविधानों में बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है, जम्मू-कश्मीर ने भी इसे स्वीकार किया है कि वह भारत का अभिन्न अंग है।
- भारत सभी राज्यों का एक संघ है और इसमें भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों की लिस्ट दी हुई है। उसमें 15वें नम्बर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का उल्लेख है। इससे यह प्रस्थापित होता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके लिए कानून बनाने के लिए यह संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतः कम्पिटेंट है.. सक्षम है।
- जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है।
- जब-जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब-तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा हैं। हमारे संविधान ने जम्मू-कश्मीर की जो सीमाएं तय की है और जम्मू-कश्मीर के संविधान ने जम्मू-कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर

पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित हैं।

- पूरा देश जानता है कि जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है। धारा 1)356)(बी) के हिसाब से असेम्बली की पूरी सत्ता इन दोनों सदनों में निहित है। दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है, वही असेम्बली का भी अभिप्राय होता है।
- बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि उसे एक यूनियन टेरिटरी बनायी जाए, इसलिए इस मांग के तहत हम जम्मू-कश्मीर में दो यूनियन टेरिटरीज लेकर आए हैं। एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख क्षेत्र की होगी, जिसमें अक्साई चीन भी समाहित होगा और वहां दो हिल काउंसिल्स बनी हैं, वे चालू रहेंगी और हिल काउंसिल्स के अध्यक्ष मिनिस्टर के दर्जे के साथ अपना कार्यभार सभांलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिसे स्थानीय नुमाइंदों की आवाज पूरे हिल काउंसिल्स में सुनाई देगी।
- धारा 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका उत्पन्न की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है? संविधान में इसकी बड़ी स्पष्टता है, मगर जन मानस में दुनिया के अंदर एक संशय था और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके साहस के कारण आज यह कलंक हमारे माथे से मिटने जा रहा है।
- धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है, बल्कि धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ने से रोकती है और अगर इस सदन का आदेश प्राप्त होता है तो आज वह रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। किसी ने धारा 370 हटाने का विरोध नहीं किया।
- आज भी पाक ऑक्यूपाईड कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली हैं और पाक ऑक्यूपाईड कश्मीर पर हमारा दावा उतना ही मजबूत है, जितना पहले था।
- मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, इन सारे राज्यों की कुछ-कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 ,371A से 371J तक अलग-अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 370 और 371 की तुलना ही नहीं हो सकता।
- 70 साल तक चर्चा करते-करते थक गए, तीन पीढ़ियां आ गईं, मगर चर्चा का अंत नहीं आया, तब जाकर यह करना पड़ा है। कितनी चर्चा करें, किससे चर्चा करें? जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं, उनसे चर्चा करें। क्या चर्चा करें? हम हुर्रियत के साथ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अगर घाटी के लोगों के मन में कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम उनको सीने से लगाएंगे, प्यार से रखेंगे, पूरा हिन्दुस्तान उनको प्यार से रखेगा।
- जम्मू-कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू-कश्मीर ने दर्द को सहा है। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2019 तक 41,849 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसलिए उन्हें सरकार से कुछ विशेष देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
- आपका एक स्टेटमेंट है कि बेकारी के कारण आतंकवाद बढ़ा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेकारी, इकोनॉमी की समस्या हर राज्य में है। वहां आतंकवाद क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही आतंकवाद क्यों बढ़ा, क्योंकि वहां धारा 370 का उपयोग करके पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना में पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए।
- मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यूनियन टेरिटरी का सवाल है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज़ बनाना लद्दाख वालों की डिमांड है, जिसे आपने आज तक पूरा नहीं किया। जहां तक जम्मू और कश्मीर का सवाल है, तो वहां की परिस्थिति के नॉर्मल होते ही, उचित समय पर हम तुरन्त उस पर पुनर्विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।
- वहां हमने असेम्बली का प्रोविजन किया है। जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद असेम्बली है, वहां विधायक भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, जन-प्रतिनिधि भी होंगे और उनका मंत्रिमंडल भी होगा, जो जम्मू और कश्मीर का शासन करेगा।
- जब पाकिस्तान ने वर्ष 1965 में भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया। अब यूनाइटेड नेशन में रेफरेंडम का कोई मुद्दा नहीं है और यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है।
- धारा 370 कैसे एक सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है! क्या जम्मू-कश्मीर में हिन्दू नहीं रहते हैं, क्या वहां जैन नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते है, सिख नहीं रहते हैं। कैसे यह सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है?
- पूरे दिन धारा 370 और 35A पर चर्चा चलती रही, मगर किसी ने यह नहीं बताया कि धारा 370 से फायदा क्या होगा? अगर धारा

370 चालू रखनी है, तो क्यों रखनी है, यह तो बताते! घाटी को भी मालूम पड़ता कि धारा 370 से हमें प्राप्त क्या होगा।

- धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक है। जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन विकास को रोकने वाली, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। यह धारा 370 महिला विरोधी है, यह धारा 370 दलित विरोधी है, यह धारा 370 आदिवासी विरोधी है और यह धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद के ग्रुप्स बने।
- जैसे बाल विवाह का कानून है। छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, भला यह कानून कैसे जम्मू-कश्मीर का विरोधी कानून है? देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अंदर नहीं है। कितनी भी छोटी बच्ची हो, उससे आप शादी कर सकते हो। किस जमाने में जम्मू-कश्मीर को डाल रहे हैं? धारा 370 को जो रखना चाहते हैं, उन्हें देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि बाल विवाह का आप समर्थन कर रहे हैं।
- नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी, वहां क्यों नहीं पहुंचाना है? वहां सिख रहते हैं, जैन भाई रहते हैं, लद्दाख बौद्ध धर्म मतावलम्बियों से भरा हुआ है। क्यों माइनोरिटी कमीशन नहीं बना?
- राइट टु एजुकेशन एक्ट में छः से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अधिकार देश की संसद ने दिया है। देश भर में बच्चों को अधिकार है कि वह राज्य से मांग करे कि 14 साल तक मेरी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की जाए। मसूदी साहब बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ाई-लिखाई हो रही है और मेरा अधिकार पढ़ाई-लिखाई का है, दोनों चीजों में मूलभूत अंतर है। देश के छः से 14 साल के सभी बच्चों को अधिकार है जबकि जम्मू-कश्मीर के बच्चों को नहीं है।
- देश भर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू-कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं होगा चाहे निर्वाचन क्षेत्र में कितनी भी आबादी बढ़ जाए, एक ही जन प्रतिनिधि मिलेगा, क्यों? देशभर में बढ़ती आबादी के अनुपात में जन प्रतिनिधि मिले, क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है क्यों कि मेरा वोट बैंक घट रहा है, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा।
- वहां तीन परिवारों का शासन है। भ्रष्टाचार पनपता रहे, हमें कोई आंच नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि चिंता 370 की नहीं है, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है।
- नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देश में सभी जगह है। वहां के वाल्मीकि भाइयों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए इस कमीशन को स्वीकार नहीं किया, कारण क्या है? कारण एक ही है कि जो चलता है उसे चलने दो, हम धारा 370 के प्रोटेक्शन में है, मगर आज यह प्रोटेक्शन जाने वाला है। सभी सफाई कर्मचारियों को देश के समान न्याय मिलेगा।
- पूरे देश के अंदर दलित और ट्राइबल भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा है, जम्मू-कश्मीर के अंदर क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो 370 की वकालत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं?
- वर्ष 2004 से 2019 तक दो लाख सत्तर हजार करोड़ (2,70,000 करोड़) रुपये भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दिए हैं, लेकिन आप जम्मू के गावों में जाकर देखिए कि वहां स्थिति क्या है। गांवों में जाकर देखिए कि कितनी गरीबी है, वह पैसा कहां गया।
- वर्ष 2011-12 में भारत में प्रति व्यक्ति 3,683 रुपये एवरेज भेजा, जिसमें जम्मू-कश्मीर भी आ जाता है। जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजे, लेकिन वहां विकास नहीं हुआ।
- अब जाकर जब वहां राष्ट्रपति शासन आया है तो उनके नसीब में गैस, बिजली, शौचालय भी आया है। गांव में रोड़ भी बन रही हैं और सरपंच और पंच बैठकर गांवों के विकास का खाका तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उनको आर्टिकल 370 नहीं हटाना है, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हो सकता।
- जब अनुच्छेद 370 हटेगा, वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां पर शिक्षा संस्थाएं जाएगी, वहां आरोग्य की संस्थाएं जाएगी, इंडस्ट्री जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो गरीबी हटेगी और उनकी भूमि की वैल्यू बढ़ेगी।
- जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मधु लिमये सेक्युलर नहीं थे? मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या लोहिया जी सेक्युलर नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोहिया जी के लिए, लोहिया जी ने ढाई घण्टे के लम्बे भाषण में इसी सदन में खड़े होकर कहा है कि अनुच्छेद 370 भारत और कश्मीर को अलग करने वाला अनुच्छेद है, उसे तत्काल निकाल देना चाहिए, एक क्षण की भी देरी नहीं हो।

- ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल से, 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं?
- जो धारा 370 का समर्थन करते हैं, वे दलित विरोधी हैं, ट्राइबल विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं और जो 370 का समर्थन करते हैं, वे आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं।
- हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, मैं डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी को जरूर याद करना चाहूंगा।
- धारा 370 और 35A के कारण ही वहां गरीबी घर कर गयी। आज पूरे देश में विकास दिखायी देता है, लेकिन घाटी के गांवों को देखते हैं तो हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी वे क्यों गुरबत में जी रहे हैं, क्यों गरीबी में जी रहे हैं।
- 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। यह 2,77,000 करोड़ रुपया नरेन्द्र मोदी पैकेज के अलावा है। मान्यवर, जब हम देखते हैं, तो जमीन पर कुछ नहीं हुआ।
- 2017 से 2018 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा था और जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया था, मगर यह नीचे तक नहीं जाता है, क्योंकि धारा 370 रूकावट डालता है।
- देशभर में एक एकड़ जमीन की औसतन कीमत 3 हजार रुपये थी। वह देश के कई हिस्सों में 10 लाख हो गई, कई हिस्सों में 30 लाख हो गई और कहीं पर 3 करोड़ हो गई। शहर के आसपास कहीं पर भी जमीन का दाम 10 लाख से कम नहीं है। आज जम्मू-कश्मीर में जमीन का क्या भाव है? जमीन की कीमत 3 हजार से 30 हजार भी नहीं हुई।
- जिस प्रकार से देश भर में आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से अकेली सरकारें इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं को अप टू दि मार्क नहीं रख सकती हैं। महोदय, कई जगहों पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया है, कई जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाया गया है, मगर यहां न पीपीपी मॉडल हो सकते हैं, न प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। अगर किसी के प्रभाव से चले जाएं, तो चले जाएं, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है, तो कोई कैसे जाएगा?
- आज प्रधान मंत्री आयुष्यमान भारत योजना आ गई है, पांच लाख रुपये उपयोग करने का अधिकार मिल गया है। मगर अस्पताल कहां हैं? नर्स कहां है, डॉक्टर कहां हैं? वहां 35A है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? न वह अपना मकान खरीद सकता है, न अपनी भूमि खरीद सकता है और न ही ढंग से वहां रहकर अपना मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकता है। विश्व का कौन-सा बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा, मुझे जरा धारा 370 की वक़ालत करने वाले बताएं?
- मैं मानता हूं कि 370 और 35A हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और सच्चे अर्थ में जम्मू-कश्मीर 370 और 35A हटने के बाद भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है।
- जो पाक प्रेरित ग्रुप्स हैं, आतंकवादी हैं, वे तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता है, क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता? गुजरात का भी तो पाकिस्तान का बॉर्डर है! क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता है? क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता है? बाकी प्रदेशों के युवा इसलिए गुमराह नहीं होते, क्योंकि वहां धारा 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं है।
- जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था धारा 370 घिसते-घिसते घिस जायेगी। मगर धारा 370 को इतने जतन से सम्भाल कर रखा कि 70 साल हो गये, मगर वह नहीं घिसी। अब आप मुझे बताइए, यह एक अस्थाई प्रावधान है, इसे सब स्वीकार करते हैं, क्या 'temporary' शब्द 70 सालों तक चल सकता है? यह कब जायेगा, कैसे जायेगा? इस temporary provision.. अस्थाई प्रावधान को कब तक चलाना है?
- सरदार पटेल ने देश के 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़ कर अखंड भारत बनाने का प्रयास किया। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं कि जम्मू-कश्मीर को सरदार पटेल ने कभी डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ को डील किया था, जो आज भारत में है, और 370 के बिना है। उन्होंने हैदराबाद को डील किया था, जो आज भारत में है, और 370 के बिना है। जम्मू-कश्मीर को पंडित नेहरू ने डील किया था और यहां 370 है.... और आज हमें डील करना पड़ रहा हैं। सरदार पटेल के पास यह मसला था ही नहीं।
- 1950 से लगातार मेरी पार्टी के हर घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम धारा 370 को हटाएंगे। इस बार के घोषणा पत्र में भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि यह धारा भारत के हित में नहीं है और विशेषकर घाटी के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं है।

इसलिए मैं मानता हूं कि धारा 370 तुरन्त हटनी चाहिए।

- 1964 में जब लोक सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी, चर्चा में भाग लेते हुए राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब तक धारा 370 है, तब तक भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता, एकरूपता नहीं आ सकती। मधु लिमये जी ने, सरजू पाण्डे जी ने, एस.एम. मुकर्जी ने, इन्दर मल्होत्रा जी ने, कश्मीर से आने वाले मुस्लिम सांसद, समनानी साहब और अब्दुल गनी गोन साहब ने, गोपाल दत्त जी ने, श्याम लाल सर्राफ ने और कांग्रेस के 14 संसद सदस्यों ने भी यही कहा, लेकिन उस दिन सदन को स्थगित कर दिया गया।
- हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाएं और कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सरकार की भी सहायता करें। कश्मीर के युवाओं की भी सहायता करें। कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं, वे सब लोग एकत्रित होकर धारा- 370 हटाने का जो यह कदम हुआ है, उस कदम को हम कश्मीर की जनता के बीच में लेकर जाएं। यह सदन यूनाइटेड हो। सदन की काफी सारी पार्टियां, आमतौर पर जो पार्टियां हमारे साथ नहीं रहती हैं, ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन भाषण दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, बसपा ने किया है, एआईडीएमके ने समर्थन किया है, बीजेडी ने किया है, वाईएसआरसीपी ने किया है, टीडीपी ने किया है, बहुत सारे सांसदों ने समर्थन किया है, बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए हैं और सब लोग मानते हैं।
- जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया? आप किस को खुश करना चाहते थे? यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर उसके कैडर को निष्क्रिय कर दिया। इतने सालों से जेकेएलएफ किस देश का लिब्रेशन करना चाहती है? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको देश का अंग न मानने वालों पर जेकेएलएफ पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया।
- एक तिहाई हिस्सा जम्मू-कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि की तो वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई। उसने पाकिस्तान की कबीलाई के रूप में भेजी हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते-खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एल.ओ.सी. तक पहुंचे। किसने सीज़फायर कर दिया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहर लाल नेहरू उस वक्त प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने सीज़फायर किया।
- 23 जून, 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में दो प्रधान मंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए, जम्मू-कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था और जेल के अंदर उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई थी।
- चुनाव कराए गए 1957 में, चुनाव कराए गए 1962 में, चुनाव कराए गए 1967 में, शंका क्यों उत्पन्न होती है, उसका मूल वहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव फर्ज़ी कराए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर की जनता को वोट नहीं देने दिया गया। हमारी सरकार नहीं थी, न 1957 में थी, न 1962 में थी और न ही 1967 में थी। ये तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक थे। वहीं से जम्मू-कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है।
- चुनाव तो सन् 1977 में मोरारजी भाई ने कराए थे। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराए थे, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार था। चुनाव हमारे शासन में हुआ। हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए किसी ख़ालिक को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मेंडेट दिया, उसको हमने स्वीकार किया।
- अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक मशहूर Quote था कि कश्मीर समस्या का समाधान जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के माध्यम से हो। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी अटल जी के द्वारा बताये हुए जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के रास्ते पर ही चलेगी।

श्री अमित शाह, गृहमंत्री

गृहमंत्री के नाते भी मेरे मन में ज़रा भी दुविधा नहीं थी कि धारा 370 हटने के बाद क्या होगा? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म होगा और राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से आगे चल पड़ेगा।

नए भारत की ओर...

नए जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की ओर...

कमल संदेश

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास

पी.पी.– 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली – 110003
फोन: 011 – 23381428, फैक्स: 011 – 23387887
ईमेल: mail.kamalsandesh@gmail.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org